द्वितीय माला, खंड ५३—अंक ३२

बुधवार, २९ मार्च, १९६१
८ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५३ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५३—अंक ३१—४०—२८ मार्च से १० अप्रैल, १९६१/७ से २० चैत्र १८८३ (शक)

अंक ३१—मंगलवार, २८ मार्च, १९६१/७ चैत्र १८८३ (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३६ और ११३८ से ११४४	३६२३–४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ और ११४५, ११४६ और ११४८ से ११७३	३६४३–५६
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ से २४४४ और २४४६ से २४६७	३६५६–९३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३६९३–९५
ढिलवां में रेलवे के इमारती लकड़ी के डिपो में आग लग जाने से बर्बादी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३६९५–९६
प्राक्कलन समिति	
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	३६९६–९७
रुद्रसागर में तेल के कुएं के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	३६९७–३७००
विधेयक पुरःस्थापित किये गये	३७००
१. दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक।	
२. अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक।	
उड़ीसा का आयव्ययक १९६१–६२—सामान्य चर्चा	३७०१–१७
उड़ीसा सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगें, (१९६१–६२)	३७१७–१९
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक–पुरः स्थापित और पारित	३७१९–२०
अनुदानों की मांगे	३७२०–२७
गृह-कार्य मंत्रालय	३७२०–२७
पूर्वी श्रेत्रीय परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३७२८–२९
दैनिक संक्षपिका।	३७३०–३६

अंक ३२—बुधवार, २९ मार्च, १९६१/८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७४, ११७८ से ११८१, ११८४ से ११८७, ११८९ से ११९२, ११९४ और ११७७	३७३७–६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७५, ११७६, ११८२, ११८३, ११८८, ११९३, ११९५ से ११९८ . . . . ३७६२–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ से २५११ और २५१३ से २५१९ . ३७६५–८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना . . . ३७८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३७८९–९०

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

तार-विधियां (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ३७९०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

इकास्सीवां प्रतिवेदन ३७९१

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन ३७९१

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि . . . ३७९२

अनुदानों की मांगें ३७९१–३८५४

गृह-कार्य मंत्रालय ३७९१–३८२७

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३७२७–५४

दैनिक संक्षेपिका ३७५५–६०

अंक ३३—गुरुवार, ३० मार्च, १९६१/९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ से १२०२, १२०४ से १२०६ और १२११ से १२१४ . . . . . ३८६१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०३, १२०७ से १२१० और १२१५ से १२२१ ३८८२–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२० से २५५८ . . ३८८७–३९०६

स्थगन प्रस्ताव

शासक दल द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिये प्रशासनिक व्यवस्था का कथित दुरुपयोग ३९०६–०७

विषय सूची पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नवादा में इमारती लकड़ी के डिपो में आग लगना । . . ३९०८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३९०८–०९

प्राक्कलन समिति

एक सौ पन्द्रहवां और एक सौ सोलहवां प्रतिवेदन . . ३९०९

अनुदानों की मांगें ३९०९–५५

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ३९०९–३३

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय . . . ३९३४–५५

बीज उत्पादन निगम के बारे में आध घंटे की चर्चा . . ३९५५–५७

दैनिक संक्षेपिका ३९५८–६१

अंक ३४—शनिवार, १ अप्रैल १९६१/११ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२२, से १३३२, १२३२ और १२३४ . ३९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३९८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ और १२३५ से १२५६ . . ३९८८–९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५५९ से २६२६, २६२८, २६३०, २६३२ से २६४२ और २६४४ से २६४६ . . . . ३९९७–४०३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोआ के साथ व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना . . ४०३४–३५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४०३६

राज्य सभा से सन्देश ४०३७

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ४०३७

प्राक्कलन समिति

एक सौ बीसवां और एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन . ४०३७

रुद्रसागर में तेल के कुएं संख्या १ के बारे में वक्तव्य . . . ४०३८–३९

विषय सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	४०४०
अनुदानों की मांगें	४०४०–८०
सिचाई और विद्युत् मंत्रालय	४०४०–७६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय	४०७७–८०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति	
इकासीवां प्रतिवेदन	४०८१
समस्त प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	४०८१–९४
कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	४०९४–९७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०९४–९७
श्री शि० ला० सक्सेना	४४९७
दैनिक संक्षेपिका	४०९८–४१०४

अंक ३५--सोमवार, ३ अप्रैल, १९६१/१३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ से १२५९, १२६१ से १२६४, १२६६, १२६७ और १२७० से १२७२	४१०५–२९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३	४१२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६५, १२६८, १२६९ और १२७३ से १२८४	४१३१–३८
अतारांकित प्रश्न संख्या २६४७ से २७०५	४१३८–६८

स्थगन प्रस्ताव—

बस्तर की स्थिति	४१६४–६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लिस्बन से सैनिकों को गोआ भेजा जाना	४१६७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४१६७–६८
राज्य-सभा से सन्देश	४१६८

उड़ीसा राज्य-विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप से सभा पटल पर रखा गया	४१६८

विषय-सूची पृष्ठ

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ४१६८

लोक-लेखा समिति . . . ४१६८

पैंतीसवां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तीसवां प्रतिवेदन ४१६९

अनुदानों की मांगें ४१६९–४२११

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ४१६९–४२१२

दैनिक संक्षेपिका ४२१२–१७

अंक ३६—मंगलवार, ४ अप्रैल, १९६१/१४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८५, १२८६, १२८८ से १२९०, १२९३ से १२९६, १२९८, १२९९, १३०१ से १३०३ और १३०५ से १३०७ . ४२१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२८७, १२९१, १२९२, १२९७, १३००, १३०४ और १३०८ से १३१५ . . . . ४२४५–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७६७— . . ४२५२–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नैपाल में त्रिशूली बाजार के कस्बे में स्थिति . . ४२७८

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४२७८–७९

राज्य सभा से सन्देश ४२७९

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ४२७९

प्राक्कलन समिति—

एक सौ नौवां प्रतिवेदन और एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन . ४२७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

तेईसवां प्रतिवेदन ४२७९

सदस्य के कथन को वाद-विवाद में से निकालना . . . ४२८०–८१

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में ४२८१–८२

अनुदानों की मांगें ४२८२–४३२७

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४२८२–४३३४

दैनिक संक्षेपिका ४३३५–३९

अंक ३७—बुधवार, ५ अप्रैल, १९६१/१५ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा राज्य ग्रहन ४३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१६ से १३२४ और १३५३ . . ४३४१—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३५२ और १३५४ से १३५६ . ४३६६—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६८ से २८५२ . . . ४३७९—४४१९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारतीय उद्भव से व्यक्तियों को राशन कार्ड न दिये जाने के सम्बन्ध मे श्रीलंका सरकार का कथित निर्णय . . . ४४२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४४२१—२२

प्राक्कलन समिति—

एक सौ तेईसवां प्रतिवेदन ४४२२

गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों के लाने ले जाने पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के बारे मे वक्तव्य . . . . . ४४२२—२३

अनुदानो की मांगें—

पुनर्वास मंत्रालय . . . . . ४४२३—५०

परिवहन और संचार मंत्रालय . . . . ४४५१—७०

शिक्षण संस्थाओं को वाणिज्यिक ढंग पर चलाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४४७०—७७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४४७८—८४

अंक ३८—गुरुवार, ६ अप्रैल १९६१/१६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५७, १३५९, १३६०, १३६२ से १३६४, १३६६, १३६७ और १३६९ से १३७३ . . . . ४४८५—४५०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर-

तारांकित प्रश्न संख्या १३५८, १३६१, १३६५, १३६८ और १३७३ से १३८० . . . . . ४५०९—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २८५३ से २८९१ . . . ४५१५—३३

स्थगन प्रस्ताव—

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा एक भारतीय अधिकारी का अपहरण . ४५३३—३६

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५३६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ४५३६–३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे मे ४५३७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ चौबीसवां तथा एक सौ तैंतीसवां प्रतिवेदन . . ४५३७

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६ के उत्तर में शुद्धि . . . ४५३७

अनुदानों की मांगें . . . . . ४५३८—६८

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . ४५३८—६८

वक्तव्य में शुद्धि ४५५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४५६६—४६०२

अंक ३६—शुक्रवार ७ अप्रैल, १६६१/१७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८१ से १३८६, १३८८ से १३६१, १३६४, १३६५ और १३६७ से १३६६ . . . . . ४६०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३८७, १३६२, १३६३, १३६६ और १४०० से १४०३ . . . . . ४६२७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६२ से २८६६, २६०१ से २६१६ और २६१८ से २६७२ . . . . . ४६३०—६८

स्थगन प्रस्ताव—

कच्छ की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश और भारतीय सेनाओं पर गोली चलाना . . . ४६६८—७०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में बाल पक्षाघात का रोग महामारी के रूप में फैलना . . ४६७०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७२–७३

सभा का कार्य . . ४६७३

लोक लेखा समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४६७३

विषय सूची

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति--

एक सौ सत्रहवां तथा एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन . ४६७४

अनुपस्थिति की अनुमति ४६७४-७५

समितियों के लिये निर्वाचन ४६७५-७६

१. प्राक्कनल समिति ४६७५

२. लोक लेखा समिति ४६७५-७६

लोक लेखा समिति--

राज्य सभा के सदस्यों के संबद्ध होने के बारे में प्रस्ताव . . ४६७७

अनुदानों की मांगें ४६७७--४७०६

परिवहन तथा संचार मंत्रालय ४६७७--८१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ४६८१--४७०६

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)

विचार करने का प्रस्ताव ४७०७--१९

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक--

(धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम् का) . . ४७१९--२१

विचार करने का प्रस्ताव ४७१९--२१

आधे घंटे की चर्चा ४७२१--२६

दैनिक संक्षेपिका ४७२७--३३

अंक ४०--सोमवार, १० अप्रैल, १९६१/२० चैत्र १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४०४ से १४१२, १४१४, १४१६, १४१७, १४१९, १४२१ और १४२२ . . . . . ४७३५--५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . . ४७५६-५७

प्रश्नो के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४१३, १४१५, १४१८, १४२० और १४२३ से १४३२ ४७५७--६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७३ से ३०३५ . . . ४७६५--९२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . ४७९२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४७९२

कर्नल भट्टाचार्य के बारे मे वक्तव्य ४७९२-९३

जम्मू और काश्मीर युद्धविराम रेखा पर कथित दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४७९३-९४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७९४

प्राक्कलन समिति--

एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ४७९४

अनुदानों की मांगें ४७९४–४८२७

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

कलकत्ते के विकास के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ४८२७–२९

दैनिक संक्षेपिका ४८३०–३४

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, २९ मार्च, १९६१

८ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयात किया गया अखबारी कागज

+

*११७४. श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन :
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३० नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुछ वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किये गये अखबारी कागज के दुरुपयोग के बारे में जो जांच-पड़ताल चल रही थी उसका क्या परिणाम निकला ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जांच-पड़ताल अब भी जारी है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जांच पड़ताल में इतनी देर क्यों लग रही है ?

श्री मनुभाई शाह : अब इस में बहुत से मुद्दे शामिल हैं और इनक्वायरी काफी गहरी करनी है। वह केस तो दर्ज कर लिया गया है लेकिन उसकी इनवैस्टिगेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जिन समाचारपत्रों के खिलाफ इस तरह की शिकायत मिली थी तो केवल उनके खिलाफ जांच ही की जा रही है या इस बीच में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : नहीं वह तो मुकद्दमा दर्ज किया जायगा जबकि सारी रिपोर्ट तैयार हो जायगी। हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं उनको प्रासीक्यूट किया जायगा।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वी० चं० शर्मा : आयात किये गये अखबारी कागज के इस दुरुपयोग की कितनी रकम है ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक इस खास मामले का सम्बन्ध है, उस जगह छापा मारने पर २ टन विदेशी अखबारी कागज मिला था। उस में कुल कितनी रकम लगी हुई है यह मालूम नहीं। जांच पड़ताल के बाद ही यह अंदाज लगाया जा सकेगा कि उसमें कितनी रकम का सवाल है।

श्री अ० मु० तारिक: क्या यह दुरुस्त है कि ऐसे अखबार वाले जोकि इस शिकायत में शामिल हैं उनको नये अखबार जारी करने के लिये भी कागज का लाइसेंस दिया गया है और अगर यह दुरुस्त हो तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीकेकार को क्यों अपनाया गया ?

श्री मनुभाई शाह : जब तक कोई चीज सबजुडिस होती है तब तक हम यह नहीं कह सकते कि किस ने क्या जुर्म किया। वह तो सारी जब इनवैस्टिगेशन पूरी हो जायगी और मुकद्दमे का फैसला आयेगा तब हम जरूर इस पर विचार करेंगे।

श्री म०ला० द्विवेदी: क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि उसके लिये अखबारों के जो एजेंट्स मुकर्रर किये जाते हैं न्यूजप्रिंट देने के लिये वे कुछ वक्त के बाद इन न्यूजप्रिंट के दाम बढ़ा कर बेचते हैं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल यहां से नहीं होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : न्यूजप्रिंट का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यूजप्रिंट के बारे में जनरल डिसकशन तो नहीं करना है। यह एक खास जांच पड़ताल है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : लेकिन अखबार उस कागज का इस्तैमाल कर रहे हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : शांति, मेरी भी यही राय है।

†श्री तंगामणि : कौन कौन से अखबार इस कागज को काम में लाते हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : ये नाम बताना समय से पहले होगा। ज्यों ही जांच पड़ताल समाप्त हो जायेगी और सरकार अभियोग चलाने का निश्चय करेगी, त्यों ही सारी बातें मालूम हो जायेंगी।

†श्री न० रा० मनिस्वामी : जांच पड़ताल कौन कर रहा है? क्या वह गैर-सरकारी या विभागीय है ? विचारणीय विषय कौन कौन से हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : वह भारतीय दंड संहिता और दंड-प्रक्रिया संहिता के अधीन दांडिक जांच पड़ताल है। वह गैर-सरकारी ढंग से नहीं की जाती। वह सरकारी विभाग की ओर से की जाती है। वह अभियोग के लिये सामान्य सरकारी जांच पड़ताल है।

श्री ब्रजराज सिंह : श्रीमन्, क्या यह सही है कि जिन अखबारों के खिलाफ यह शिकायत है उनकी श्रंखलाओं ने जो अभी कुछ आर्थिक पत्र शुरू किये हैं उन आर्थिक पत्रों को भी न्यूजप्रिंट दिया गया है और यदि नहीं दिया गया है तो क्या उन श्रंखलाओं को अपने कोटे में से पत्र निकालने की इजाजत दी गई है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : वह इस सवाल से पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : एक या दो के भ्रष्टाचार के कारण क्या अखबारी कागज के सच्चे उपभोक्ताओं खासकर दैनिक तथा साप्ताहिक अखबारों को उन का पर्याप्त कोटा न मिलने के कारण कठिनाई नहीं होती और यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये तथा इस बात की ओर ध्यान देने के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं को तकलीफ न हो, सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†उपाध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : वह इस अर्थ में संगत है कि . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : मेरी राय में ऐसा नहीं है ।

†श्री जगन्नाथ राव : कितनी देर से जांच पड़ताल चल रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : हमने शुरू की है और हम उस में शीघ्रता करने की कोशिश में हैं । लेकिन जहां तक दांडिक जांच पड़ताल का सम्बन्ध है . . . . .

†श्री जगन्नाथ राव : वह कब से विचाराधीन है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह नहीं बताया जा सकता कि दांडिक जांच पड़ताल कब पूरी होगी । हम उस में यथासंभव शीघ्रता करने की कोशिश कर रहे हैं ।

स्कूटर और मोटर साइकल

\+

†*११७८. श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सम्पत :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों और मोटर साइकलों के निर्माण के मामले में भारत कहां तक आत्म-निर्भर है ;

(ख) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) देश में इनके निर्माण के लिये कितने प्रतिशत हिस्सों का आयात किया जाता है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७] ।

श्री विभूति मिश्र : इस स्टेटमेंट के देखने से यह पता नहीं चलता है कि स्कूटर्स और मोटर साइकिल्स की हिन्दुस्तान में जो कीमत है उस कीमत में कितनी कीमत का सामान हम बाहर से मंगाते हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन स्कूटर्स की यहां क्या कीमत है और उस कीमत में बाहर से कितने का सामान लाया गया ? कुल टोटल कितनी कीमत है और उसमें बाहर का कितने का सामान लगा है ?

श्री मनुभाई शाह : उस स्टेटमेंट में परसेंटज दी हुई है । मेम्बर साहब को चाहिये कि अलग अलग जो वेरायटीज हैं उनके परसेंटेज को लेकर हिसाब लगा लें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास सारे साधन और सामग्री सुलभ हैं और वह हमको इसका हिसाब नहीं देती है और उलटे हमसे कहा जाता है कि हम हिसाब लगा लें . . .

श्री मनुभाई शाह : यह बात नहीं है। इतनी वेरायटीज दी हुई हैं अब जिस किसी मेम्बर साहब का इंटरेस्ट हो तो वह उसके बारे में हिसाब लगा सकते हैं क्योंकि वह सारे वेल नोन फैक्ट्स हैं, हमने उनकी प्राइस लिस्ट्स छपाई हुई है और यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कि आसानी से पता न लगाया जा सके।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि एक स्कूटर और मोटर साइकिल की जो कीमत है तो उस स्कूटर और मोटर साइकिल के वास्ते कितने रुपये का सामान हम यहां खरीदते हैं और कितने रुपये का सामान हम बाहर से मंगाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सवाल मोटर साइकिलों और स्कूटर्स की सैल्फ सफिशिएंसी के बारे में पूछा है न कि कीमतों के बारे में।

श्री विभति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेंट में परसेंटेज दी हुई है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब बहस का ज्यादा वक्त नहीं होगा। अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो बराहे रास्त कर लें।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक स्कूटर और एक मोटर साइकिल की जो दिल्ली में कीमत है उस कीमत में कितने रुपये का सामान हम बाहर से मंगाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : वह मैं ने बताया है। लम्बरैटा में बाहर से ५५ परसेंट आता है। लम्बरैटा ४८ सी० सी० में ५२ परसेंट आता है। वह मैं ने स्कूटर्स और मोटर साइकिलों की डिफ्रेंस वेरायटीज का परसेंटेज स्टेटमेंट में दिया हुआ है। सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्री ने अपना टार्गेट ११,००० का रक्खा है जबकि मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि सन् १९६० में एक्चुएल प्रोडक्शन १७३७४ रहा और इसके लिये इंडस्ट्री बधाई की पात्र है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान में स्कूटर्स की जितनी डिमांड है वह पूरी हो रही है ?

श्री मनुभाई शाह : डिमांड पूरी नहीं हो रही है इसीलिये हमने उसके प्रोडक्शन का टार्गेट फिक्स किया है और उसका उत्पादन बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र मायुर : क्या यह प्रतिशतता पुर्जों की संख्या की प्रतिशतता है या कीमत की प्रतिशतता है ?

†श्री मनुभाई शाह : कीमत की प्रतिशतता सामान्य स्वीकृत सूत्र यह है कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य और स्थानीय खर्च की तुलना आयातित पुर्जों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के साथ की जाती है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : कितने स्कूटरों और मोटर साइकिलों का उपयोग हो रहा है और देश में उनकी आवश्यकता कितनी है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बताया जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : विवरण से यह पता चलता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी आवश्यकता करीब ६०,००० तक बढ़ जायगी। क्या तीसरी योजना के लिये कोई निश्चित लक्ष्य तय किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमने ६०,००० का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में मांग तेजी से बढ़ रही है, तीसरी योजना अवधि में अधिक उत्पादन की कल्पना है। सभा इस बात को समझेगी कि जब कि दूसरे क्षेत्रों में सामान्य वृद्धि १० से २० प्रतिशत है, यहां हमने ६०० प्रतिशत रखा है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह हकीकत है कि एक हिन्दुस्तानी शहरी ने हुकूमत को एक स्कीम इस सिलसिले में दी है कि अगर उसे इजाजत दी जाय तो इस मुल्क में स्कूटर की मौजूदा कीमत की निस्फ कीमत पर स्कूटर तैयार करके बाजार में सप्लाई कर सकता है ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है। वैसे हमारे पास स्कीमें बहुत सारी आती रहती हैं लेकिन उन को लागत और कीमत के वायदे पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उत्पादन का जो खर्चा है वह जब एक दफा फैक्टरी लगाते हैं तब पता चलता है कि उस में क्या खर्च होता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जिस स्कूटर की कीमत १७५० रुपये थी वह इस वक्त २८०७ रुपये में बिक रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसी तो कोई बात नहीं है। पहले जो दाम थे वही सही कीमत है और वह दाम कौस्टिंग फिक्स करके नियत की जाती है। एक और स्कीम है और पंजाब में जापानी कोलैबोरेशन से स्कूटर बनाने की फैक्टरी लगाई जा रही है और वहां से बन कर निकलने वाला स्कूटर ऐसा होगा जिसका कि दाम आज के स्कूटर के दाम से शायद आधा होगा।

श्री खादीवाला : क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि पहले जो हिन्दुस्तान मोटर निकली थी, उस की कीमत नौ हजार रुपया थी, जब कि आज उस की कीमत चौदह हजार रुपया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्कूटर्ज और दूसरी चीजों के भाव भी इसी तरह से दिन-प्रति-दिन बढ़ते जायेंगे, या सरकार की ओर से उन को कम करने का प्रयत्न किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो वह बता रहे हैं।

विखरोली में इस्पात के टेकों[1] का निर्माण

†*११७९. श्री विभूति मिश्र : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण कार्यों के लिये इस्पात के टेक और पैड़[2] बनाने के वास्ते बम्बई के निकट विखरोली में एक भारत-ब्रिटेन संयंत्र की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) संयंत्र की स्थापना कब होने की संभावना है ; और

(ग) आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से, विखरोली संयंत्र से विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) १९६१ के अन्त तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Props.

[2]Scaffolding.

(ग) लोहे और इस्पात की वस्तुओं के आयात पर पिछले तीन साल से रोक लगा दी गयी है और इसलिये विदेशी मुद्रा की सीधी बचत कोई नहीं होगी। लेकिन देश में बढ़ती हुई मांग पूरी करने में इस से मदद मिलेगी। पूर्ण-लाइसेंस प्राप्त क्षमता स्थापित किये जाने पर कम्पनी के उत्पादन का मूल्य लगभग ४८ लाख रुपया सालाना होगा।

श्री विभूति मिश्र : इस कारखाने में जो प्राप्स बनाये जायेंगे, उन का कितना परसेंट सरकार अपने खर्च के लिये लगी और कितना परसेंट आम जनता को देगी ?

श्री मनुभाई शाह : वह सारा पब्लिक के लिये है। अगर सरकार को भी चाहिये, तो वह टेंडर से खरीदेगी। इस बात का अन्दाजा नहीं लगाया जाता है कि हर एक फैक्टरी से कितना खरीदा जायगा।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सरकार को कोई अन्दाजा नहीं है, लेकिन मैं निवदन करना चाहता हूं कि आज अधिकतर लोहा पब्लिक सैक्टर में खर्च हो जाता है और प्राईवेट सैक्टर को बहुत कम मिलता है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पहले से कुछ निश्चित कर रखा है कि पब्लिक को कितना दिया जायगा और वह अपने काम के लिये कितना लेगी, क्योंकि प्राप्स का उपयोग लकड़ी के अभाव में बहुत ज्यादा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बारे में बहस न करें। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह संयंत्र स्थापित करने में ब्रिटिश फर्म के साथ सहयोग की क्या शर्तें हैं और भारत की ओर से सरकार है या कोई प्राइवेट कम्पनी ?

†श्री मनुभाई शाह : वह प्राइवेट कम्पनी है जिस का नाम हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी है जिस ने ब्रिटिश फर्म के साथ साझा किया है और ब्रिटिश फर्म की लगभग ५० प्रतिशत साझेदारी का अनुमान है।

न्यूयार्क में विश्व मेला

\+

*११८०. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क में १९६४ में होने वाले विश्व मेले में भारत ने भी भाग लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई योजना बनायी गयी है और उस सम्बन्ध में व्यय का कुछ अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि न्यूयार्क से इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : इस सम्बन्ध में जो टीम न्यूयार्क से आई थी, क्या उस से भारत सरकार की कोई बात-चीत हुई ? अगर हुई, तो भारत सरकार ने क्या क्या सुझाव दिये कि वहां पर कौन कौन सी इंडस्ट्री जानी चाहिये और उस फेयर में भाग लेना चाहिये या नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र : हम ने सुझाव नहीं दिया। वह टीम हिन्दुस्तान में आई थी यह सुझाव देने के लिये कि हम उस प्रदर्शनी में हिस्सा लें, जो कि न्यूयार्क में होने वाली है। वह टीम प्राइम मिनिस्टर से मिली, कामर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से मिली और मुझ से मिली। हम ने कहा कि हम विचार करेंगे।

†उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

†श्री रंगा : श्रीमन्, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : वह बहुत देर से उठ। मुझे अत्यन्त खेद है।

†श्री रंगा : मैं यह सोच रहा था कि जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी है वे पहले प्रश्न पूछने जा रहे हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं भी देख रहा हूं कि कौन माननीय सदस्य खड़े होते हैं।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था।

†श्री रंगा : मुझे खेद है, पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

†उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है। अगला प्रश्न।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना क्षेत्र के आसपास छोटे पैमाने के उद्योग

†*११८१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात परियोजना क्षेत्र के आसपास छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, अभी नहीं।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह सर्वेक्षण कब आरम्भ हो रहा है और इसे पूरा होने में लगभग कितना समय लगेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक अन्तरिम सिफारिशों का संबंध है सवक्षण हमारे पास ही है लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता था कि दुर्गापुर क्षेत्र में कई कार्यवाहियों का विस्तार अब भी हो रहा है। और इस समय किसी विकासशील नये क्षेत्र के द्वारा उसे सीमित कर देना कठिन है। इसलिये हम बड़े बड़े एककों के पूर्ण हो जाने की प्रतीक्षा में हैं। उनके पूरे हो जाते ही हम छोटे पैमाने के उद्योगों का काम शुरू करेंगे। वह पहले ही बहुत बड़ा क्षेत्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या दुर्गापुर क्षेत्र के संबंध में विचार करते समय माननीय मंत्री ने उन छोटे उद्योगों के बारे में विचार नहीं किया था जो यहां स्थापित किये जा सकेंगे ? क्या इस क्षेत्र के निर्माण के बाद उन्हें यह कल्पना सूझी है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात वहां इस्पात कारखाना स्थापित करने की, न कि तुरन्त ही छोटे उद्योग स्थापित करने की थी। अब चूंकि इस्पात कारखाने में उत्पादन और कोयला खनन प्रयोजना में शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है यह अधिकारियों के सोचने का विषय है कि उचित विश्लेषण के बाद किन चीजों के लिये दुर्गापुर में और किन चीजों के लिये शेष भारत में प्रोत्साहन दिया जा सकता है। हम फिर किसी एक ही जगह पर हर चीज को केन्द्रित नहीं करना चाहते ताकि उसका प्रबन्ध ही न किया जा सके।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि दुर्गापुर के पास स्माल-स्केल इंडस्ट्री के अलावा क्या मीडियम साइज और बड़े साइज की इंडस्ट्री स्थापित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। यदि हां, तो कौन कौन सी इंडस्ट्री के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : स्माल-स्केल का मतलब यह नहीं है कि पांच लाख रुपये के नीचे की इंडस्ट्रीज वहां लगाई जायेंगी। मैंने पहले कहा है कि हमारा यह इरादा नहीं है कि जहां बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहां ही हम उनको लगायें। हिन्दुस्तान के और हिस्सों में भी उनको लगाने का विचार है। वहां स्माल-स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी होंगी।

†श्री स० चं० सामन्त : जो आनुषंगिक उद्योग वहां स्थापित करने का विचार है उनके लिये बिजली की कमी कहां तक बाधक हो रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में कई चीजें चालू प्रोजेक्टों के मार्ग में बाधक हो रही हैं। पानी की कमी है, बिजली की कमी है और निर्माण सामग्री की कमी है। हम वह सब दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस विशिष्ट स्थान के साथ साथ सभी जगहों में अनुसूची के अनुसार भारी उद्योग कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। जब उन्हें अलग निकाल दिया जायेगा तब छोटे और मंझले उद्योगों के कार्यक्रमों पर भी विचार किया जायेगा।

†श्री रामनायन चेट्टियर : क्या सरकार का इरादा इस्पात नगरों के आसपास न केवल आनुषंगिक उद्योग बल्कि सहायक उद्योग भी स्थापित करने का नहीं है ताकि वे एक दूसरे के अनुपूरक हों ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसा ही है। मैं सभा को फिर सचेत करना चाहता हूं कि किसी एक खास कार्यक्रम पर सोचते हुये यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत इतना विस्तृत देश है कि उद्योग संपूर्ण देश में फैलाने होंगे और केवल वहीं पर उद्योग केन्द्रित किये जायें जहां भारी नगर-क्षेत्र हो और इस प्रकार दूसरे क्षेत्रों को वंचित रखा जाये। इसलिये उचित सन्तुलन रखना होगा और उस स्थल पर और साथ ही साथ संपूर्ण देश में सहायक उद्योग होने चाहिये।

†श्री निमल घोष : इस्पात और खनन उद्योगों के अलावा जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया, क्या दुर्गापुर में बाद में स्थापित किये जाने वाले छोटे उद्योगों के कारखानों के आसपास कोई दूसरा बड़ा उद्योग भी स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यदि ऐसे उद्योगों के लिये जो दुर्गापुर की उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, योजनायें सामने आती हैं तो इस ढंग के मंझले और बड़े पैमाने के कारखानों की स्थापना में कोई रुकावट नहीं आ सकती ।

†श्री विमल घोष : वह मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या दुर्गापुर क्षेत्र में इस्पात और खनन उद्योगों के अलावा और कोई बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : शायद माननीय सदस्य का आशय ऐनक, दूरबीन आदि के शीशों के कारखाने से है जो वहां बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा और मैं उनसे सहमत हूं कि उद्योग संपूर्ण देश भर में फैलाने चाहिये लेकिन औद्योगिक पुनर्वास निगम के मामले में जो अभी हाल में पुनर्गठन किया गया है, क्या यह ध्यान में रखा जायगा कि दुर्गापुर क्षेत्र में उसे भी कुछ स्थान दिया जाय ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल एक सुझाव है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने किसी अन्तरिम रिपोर्ट के प्राप्त होने की बात कही है। उस अन्तरिम रिपोर्ट की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : अन्तरिम रिपोर्ट में केवल सर्वेक्षण संबंधी संभावनायें दी हुई हैं। कोई भी पार्टी अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेजती है ताकि यदि कोई कार्यवाही इस बीच करनी हो तो हम उस पर विचार कर सकें। जब अन्तिम रिपोर्ट दी जायगी तभी हम सभी सिफारिशों पर व्यापक रूप से विचार कर सकते हैं ।

चीनियों की गिरफ्तारी

\+

†*११८४. श्री रावा मोहन सिंह :
श्री कोरटकर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोक गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार को कलकत्ता में रहने वाले दो चीनी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी और निर्वासन के बारे में विरोध पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विरोध पत्र का क्या उत्तर दिया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) उन्हें सूचित किया गया है कि चूंकि दो चीनी राष्ट्रजनों ने बतायी गयी अवधि के भीतर भारत से चले जाने के लिये उन्हें दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया और उनकी अवांछनीय कार्यवाहियों को देखते हुये उन्हें इस देश से चले जाने के लिये बाध्य करना आवश्यक समझा गया ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या केवल दो चीनी राष्ट्रजनों के निर्वासन के बारे में ही या दूसरे चीनी राष्ट्रजनों के निर्वासन के बारे में भी विरोध पत्र भेजा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : खास कर इन दो चीनी राष्ट्रजनों के निर्वासन के बारे में विरोध पत्र भेजा गया था जिस में यह कहा गया था कि हमने उनके साथ अमानुषिक बर्ताव किया।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन चीनियों को नाथूला पास के उस पार भेज दिया गया, उनके साथ अच्छा सलूक किया गया या नहीं और क्या उस की इत्तिला चाइनीज़ एम्बैसी को दी गई या नहीं ?

श्री सादत अली खां : उन लोगों के साथ निहायत अच्छा सलूक किया गया। गैर-शहरियों के साथ स्लूक करने का जो हमारा पुराना तरीका है, वैसा ही सलूक किया गया। उनको गरम कपड़े दिये गये और उनके खाने का बन्दोवस्त किया गया। एम्बैसी को यह बात ४५ घंटे पहले कहला दी गई कि वे भेजे जा रहे हैं और अगर वे उनका स्वागत करना चाहें तो शौक से करें।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : वे कौन सी अवांछनीय कार्यवाही में लगे हुये थे ?

†श्री सादत अली खां : वह राजनैतिक प्रकार की थी।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीनसे एक बहुत ही तजुर्बेकार हिन्दुस्तानी डाक्टर को अभी बाहर निकाला जा रहा है और यदि सरकार का ध्यान इस ओर गया है तो क्या यह कार्रवाई इन चीनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बदले के स्वरूप है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात तो उस प्रोटेस्ट के बारे में है जो कि चीन की तरफ से किया गया था।

†श्री ब्रजराज सिंह : इस प्रश्न का शीर्षक "चीनियों की गिरफ्तारी" है।

†उपाध्यक्ष महोदय : केवल शीर्षक ही नहीं देखना चाहिये।

†श्री तंगामणि : क्या इन दो चीनी राष्ट्रजनों के अलावा और भी चीनी निकाल बाहर किये गये हैं ?

†श्री सादत अली खां : सत्तर चीनी राष्ट्रजनों को नोटिस दी गई। मैं समझता हूं कि उनमें से दस चले गये हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कलकत्ते में बैंक आफ चाइना के मैनेजर से या उनकी ओर से जिनके मामले की खबर काफी अखबारों में छपी थी और जिन्हें चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार किया, रिहा किया और फिर गिरफ्तार किया और आखिर में निर्दोष छोड़ दिया, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†श्री सादत अली खां : उस सवाल के लिये मुझे सूचना चाहिये।

†श्री दी० चं० शर्मा : सभा सचिव ने कहा कि यह कहा गया है कि इन चीनियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार के अमानुषिक बर्ताव के बारे में कहा गया है ?

†श्री सादत अली खां : हमने उन्हें भोजन दिया, गरम कपड़े दिये और उन्हें दूसरी ओर छोड़ दिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : आज के अखबार से मालूम हुआ है कि जो चीनी हमारी सीमा के अन्दर पकड़े गये थे उन्होंने बताया है कि चीन के लोगों ने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उन्होंने भागना उचित समझा । क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है ?

†श्री सादत अली खां : यह समाचार मैंने नहीं देखा है ।

†श्री वी० चं० शर्मा : सभा सचिव ने बताया कि दस चीनी पहले ही निकाले जा चुके हैं और करीब ६० चीनियों को नोटिस दी गयी है। क्या चीन सरकार इन सभी चीनियों के विरूद्ध आरोप स्वीकार करेगी, क्योंकि उसने केवल दो के मामलों में ही विरोध पत्र भेजा है ?

†श्री सादत अली खां : उसने केवल ये दो खास मामले ही उठाये हैं। दूसरे मामलों में हमें चीनी अधिकारियों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि देश छोड़ो नोटिसें अनावश्यक थीं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इन दो चीनियों को भारत की सीमा से किस तारीख को निकाला गया था और उसके कितने दिन बाद चीन की सरकार ने विरोध पत्र भेजा ?

†श्री सादत अली खां : इन चीनी राष्ट्रजनों को सोमवार, १३ फरवरी, १९६१ को भू-सीमा के पार भेजा गया था और चीनी दूतावास ने २५ फरवरी, १९६१ को एक नोट भेजा ।

†श्री चिंतामणि पाणिग्रही : गिरफ्तारी की कुल संख्या में क्या वह गिरफ्तारी भी शामिल है जो सीमावर्ती क्षेत्र में की गयी थी ?

†श्री सादत अली खां : मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा ।

कानपुर के पटसन कारखानों द्वारा पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

+

†*११८५. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कानपुर के पटसन कारखानों में अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने की अन्तिम तिथि १५ फरवरी निश्चित की गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो कानपुर के कारखानों ने इन सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया ; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). राज्य सरकार कार्यान्वित कर रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मालिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच इस मामले पर बहस करने के लिए २९ मार्च, १९६१ को एक बैठक होने वाली थी।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशें लागू न करने के बारे में कानपुर की जूट मिलों ने कोई कारण बताये हैं और यदि हां, तो वे क्या कारण हैं ?

†श्री आबिद अली : मैं नहीं समझता कि उन्होंने कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया है। कर्मचारी संगठन से शिकायत पहुंची है और राज्य सरकार से सारी बातें मालूम की गयीं। उसने वही बताया हैं जो मैंने मुख्य उत्तर मे बताया हैं ।

†श्री स० मो० बनर्जी : कानपुर तथा अन्य स्थानों पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित न करने के हालत में क्या मालिकों को उनकी क्रियान्वित के लिए बाध्य करने के लिये कोई कानून बनाने का सरकार का विचार हैं ?

†श्री आबिद अली : वह सवाल शायद पैदा नहीं होता । यदि होगा तो हम विचार करेंगे कि क्या किया जाये ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि आंध्र में जूट मिलें जिनमें भारतीय जूट मिल असोसियेशन की सदस्य दो मिलें भी शामिल हैं ?

†उपाध्यक्ष महोदय : हम इस हद तक इसे नहीं बढ़ा सकते ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार ने कोई समय सीमा दी थी और क्या यह सच है कि वह सीमा १५ फरवरी, १९६१ तक थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने वह सीमा बढ़ा दी है और यदि नहीं, तो उस विशिष्ट समय-सीमा का पालन क्यों नहीं किया गया ?

†श्री आबिद अली : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह बोर्ड की सिफारिश है और राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है । जैसा कि मैं ने बताया, आज उनकी बैठक होगी :

अध्यापक प्रशासकों का प्रशिक्षण

†*११८६. **श्री तंगामणि** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में अध्यापक प्रशासकों के प्रशिक्षण का तीसरा पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितने प्रशिक्षणार्थियों को चुना गया है ।

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति कार्मिक संघों के हैं और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पहले पाठ्यक्रमों की तुलना में इस पाठ्यक्रम में क्या अन्तर है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). इस पाठ्क्रम के लिए उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा है ।

(घ) कोई खास अन्तर नहीं ।

श्री तंगामणि : पहले भी एक बार हमें यह बताया गया था कि चुनाव चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पाठ्यक्रम बम्बई में कब शुरू होने जा रहा है ।

†श्री आबिद अली : शायद जून में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : चुनाव बोर्ड कितने छात्रों का चुनाव करने जा रहा है और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से कितने छात्र होंगे ?

†श्री आबिद अली : बीस छात्र सीधे और बाईस ट्रेड यूनियन संगठनों से । शायद तीन और लिये जायेंगे ।

†श्री तंगामणि : यह पाठयक्रम कितनी अवधि का होगा ? क्या वह उतनी ही अवधि का होगा जितनी अवधि का बम्बई और कलकत्ते में हुआ था ?

†श्री आबिद अली : जी हां, प्रायः उतनी ही ।

†श्री तंगामणि : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों को बम्बई और कलकत्ते में प्रशिक्षित किया गया था उन्हें काम पर लगाया जा चुका है या क्या अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें काम नहीं दिया गया है ?

†श्री आबिद अली : बम्बई और कलकत्ते में जिन लोगों को प्रशिक्षित किया गया था अर्थात् सीधे भरती किये गये लोगों को, रोजगार मिल चुका है और वे काम कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में जिनकी सिफारिश ट्रेड यूनियन संगठनों ने की थी, उन्हें काम देना और उनके अनुभव से लाभ उठाना उन संगठनों पर निर्भर है ।

आम की लकड़ी से कागज

†*११८७. श्री आचार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था ने कागज का निर्माण करने के लिए आम की लकड़ी से गूदा तैयार करने की एक विधि की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आम की लकड़ी के गुदे से वाणिज्यिक पैमाने पर कागज तैयार करने की कोई योजना तैयार की जा रही है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

†श्री आचार : विवरण से यह पता चलता है कि आम की लकड़ी का गूदा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है । वन क्षेत्रों में जंगली आम की लकड़ी के पेड़ कितने उपलब्ध हैं इस बारे में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन माननीय सदस्य इस पर गौर करेंगे कि आम की लकड़ी दूसरे कामों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि कागज तैयार करने के लिए शायद उसका गूदा न बनाया जाय । आम की लकड़ी के गूदे के अलावा और भी कई सस्ते कच्चे माल उपलब्ध हैं।

†श्री साधन गुप्त : क्या आम की लकड़ी के गूदे से कागज तैयार करने की संभावना के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है और यदि हां, तो वह अनुसन्धान जारी से क्या लाभ है जबकि आम की लकड़ी दूसरे कच्चे माल से ज्यादा कीमती होती है, और उस अनुसन्धान पर क्या लागत आयेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : पिछले माननीय सदस्य ने ठीक यही सवाल पूछा था कि इस प्रयोग से क्या परिणाम निकला । यदि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखें तो .....

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या स विषय में अनुसन्धान पर कोई धन खर्च किया गया है जब कि यह स्पष्ट था कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा ।

†श्री मनुभाई शाह : कारण यह था कि विभिन्न कच्चे माल की खोज में, जब तक कि परीक्षण न किया जाये, यह नहीं बताया जा सकता कि अमुक कच्चे माल से प्राप्ति कितनी होगी । उसके लिए अनुसन्धान जरूरी था । अनुसन्धान से यह नतीजा निकला कि वह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है ।

†श्री यादव नारायण जाधव : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें कितने कागज की जरूरत होगी ? क्या उसके लिए कच्चा माल पर्याप्त है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल मूल प्रश्न से बहुत दूर है ।

†श्री रंगा : क्या इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि बागवानी की दृष्टि से आम के पौधे पर भविष्य में संभवत: क्या असर पड़ेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । आम की लकड़ी तभी काम में लायी जाती है जब उस पेड़ के फलों का उपयोग कर लिया जाता है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : बगैर इन शब्दों के कहने के भी माननीय मंत्री जी जरूर कृपा करेंगे आप सवाल करें ।

सेठ अचल सिंह : हमारे देश में शुगर केन की लाखों और करोड़ों मन जो छोई होती है, क्या उससे भी पल्प बन सकता है ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो मैं ने कई दफा हाउस के सामने बतलाया कि बगास जो है वह हमारा सब से बढ़िया रा मैटिरियल है और हमारी सारी थर्ड फाइव इयर प्लैन में बगास पर ही ज्यादातर पेपर आधारित है ।

†श्री आचार : क्या यह सच नहीं है कि आम की इमारती लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में प्लाईवुड कारखानों तथा अन्य कारखानों द्वारा फेंक दिये जाते हैं और यदि हां, तो क्या उस सामग्री का छोटे पैमाने के कागज उद्योग प्रारम्भ करने के लिए उपयोग किया जाना संभव नहीं है ?

†श्री मनुभाई शाह : कागज उद्योग भले ही आरम्भ न किया जा सके परन्तु संश्लिष्ठ राल द्वारा सस्ते बोर्ड, हार्ड बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड तथा विभिन्न प्रकार के प्लाईवुड बोर्ड बनाए जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय बागान

+

११८९. { श्री न० रं० घोष :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टर्लिंग कम्पनीज ने १९५५ से १९६० तक की अवधि में अपने कितने चाय बागान बचे हैं ; और

(ख) किस कीमत पर ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री द्वारा बाद की तारीख को दिया जायेगा ।

'विक्टरी आफ दि फाइव प्रिंसिपल्स' नामक पुस्तिका

+

†*११९०. { श्री राधा मोहन सिंह :
श्री गोरे :
श्री खुशवक्त राय :
श्री रामजी वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भारत में 'विक्टरी आफ दि फाइव प्रिंसिपलस' नामक एक पुस्तिका बांटी जा रही है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया का एक नक्शा दिया गया है जिसमें भारत को अभी 'साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अधीन' दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार का प्रतिवाद करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). पुस्तिका की केवल थोड़ी सी प्रतियां भारत सरकार की नजर में आई हैं।

श्री राधा मोहन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह पैम्फलेट यहां छपा है या बाहर से लाया गया है।

श्री सादत अली खां : बाहर से ही आया है।

†श्री स० मो० बनर्जी : इस पुस्तिका का वितरण भारत में कौन सा अभिकरण कर रहा है और क्या इस पुस्तिका के परिचालन का प्रयोजन जानने के लिए कदम उठाए गए हैं ?

†श्री सादत अली खां : मैं अधिकरण तो नहीं बता सकता परन्तु प्रयोजन, जहां तक मैं समझता हूं, हमारी विदेश नीति का गलत निर्वचन करना है। हमने इसके विरुद्ध कदम उठाए हैं। जहां तक भारत के अन्दर प्रचार का संबंध है वित्त मंत्रालय ने ८ फरवरी, १९६१ को कस्टम कलक्टर को इस पुस्तिका की प्रतियों को, जो भारत में लाई जायें, जब्त कर लेने की हिदायत दी है।

†श्री दी० चं० शर्मा : जाहिर है कि कुछ प्रतियां जब्त नहीं की गई हैं। इस प्रचार का देश में नहीं वरन् अन्य देशों में, जहां इस पुस्तिका का परिचालन किया जा रहा है, प्रतिवाद करने के लिए क्या किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : हमने अपने एशिया में तथा अन्यत्र स्थित मिशनों को सूचित कर दिया है और इस प्रकाशन का प्रतिवाद करने के लिए कहा है।

†श्रीमती रेणुका राय : चूंकि विदेशों में इस मामले में तथा अन्य संबद्ध मामलों में प्रतिवाद उतना प्रभावपूर्ण नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए है कि हम इस प्रचार के प्रचार का अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिवाद कर सकें ?

†श्री सादत अली खां : यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले चौदह वर्षों की हमारी विदेश नीति शक्ति-गुटों से हमारी तटस्थता और निर्णय की स्वतंत्रता का ज्वलन्त प्रमाण रही है और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के गलत प्रचार से कोई विशेष लाभ हो सकेगा।

†श्री जोकीम आल्वा : दूतावासों से सामग्री के परिचालन की प्रक्रिया क्या है ? क्या ये पुस्तकायें पहले वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सामने उसी प्रकार पेश की जाती हैं जैसे कि पुस्तकें तथा पत्रिकायें पत्रावेक्षक के समय पेश की जाती हैं ? यदि वे पहले वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अर्थात उसके प्रचार विभाग को परिचालित की जाती हैं तो क्या हम आपत्तिजनक सामग्री होने पर उसके परिचालन को प्रभावपूर्ण ढंग से रोक सकते हैं ?

†उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य को तर्क नहीं करना चाहिए।

†श्री सादत अली खां : मैं नहीं कह सकता कि उसकी प्रक्रिया क्या है क्योंकि प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। कभी-कभी वे साधारण डाक से भेजी जाती हैं और कभी वे वैदेशिक कार्य मंत्रालय को भेजी जाती हैं। इस मामले में मैं जांच करना चाहता हूं।

†श्री रंगा : क्या हमने कोई ऐसी पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें भारत का ऐसा नकशा दिया गया हो जिसमें मैकमहोन लाइन द्वारा निर्धारित सीमायें दी गई हों और यह बताया गया हो कि चीन के दावे निरर्थक हैं ? क्या उसका परिचालन अन्य देशों में किया गया है ?

†श्री सादत अली खां : इस पुस्तिका में प्रकाशित नकशा ही आक्रमण का मुख्य केन्द्र है। बर्मा, नेपाल, कम्बोडिया और इंडोनेशिया समाजवादी देशों के साथ मिले दिखाए गए हैं। और उसी समूह में भूदान दिखाया गया है और हमें पाकिस्तान, थाईलैंड, लाओस, फिलिपाइन्स और जापान के साथ दिखाया गया है।

†उपाध्यक्ष महोदय : यह अन्य लोगों द्वारा किया गया है। परन्तु हमने क्या किया है ?

†श्री रंगा : क्या हमने अपना नकशा प्रचारित करने के लिए, कोई कार्यवाही की है जिसमें हमारी सही सीमायें दिखाई गई हों और दूसरे पक्ष के दावों का प्रतिवाद किया गया हो ?

†श्री सादत अली खां : जैसा कि सभा को ज्ञात है, इसके संबंध में अनेक श्वेत पत्र और अधिकारी दल का पिछला प्रतिवेदन है और हम उन्हें सूचित करने का प्रत्येक प्रयत्न करते हैं.....

†उपाध्यक्ष महोदय : उस नकशे में हमारे जो क्षेत्र दूसरों के अन्तर्गत दिखाए गए हैं क्या उन्हें अपना क्षेत्र बताने के लिए कोई नकशा प्रकाशित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : हमारे ऐसे नक्शे हैं जिनमें हमारी सही स्थिति दिखाई गई है।

†श्री रंगा : परन्तु क्या हमने अपने नक्शों को परिचालित किया है? क्या हमने अपने नक्शों को एक सूक्ष्म समीक्षात्मक ज्ञापन सहित परिचालित करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं ताकि संसार के अन्य देश सही स्थिति समझ सकें?

†श्री सादत अली खां : जी हां, ये कुछ कदम हैं जो हमने उठाए है?

†राजा महेन्द्र प्रताप : क्या इस प्रचार का हमारे राष्ट्रमंडल में बने रहने से कोई संबंध है।

†श्री सादत अली खां : मैं ऐसा नहीं समझता ।

†श्री त्यागी : मुझे खेद है कि मैं उत्तर बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुन सका परन्तु जैसा मैं समझा हूँ वह यह है कि सभा सचिव के कहने का यह तात्पर्य है कि अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि ये पुस्तिकायें किस देश से आ रही हैं।

†श्री सादत अली खां : मैं इसके बारे में जांच करूंगा। हमें बहुत सी प्रतियां नहीं प्राप्त हुई हैं वरन् बहुत सी ही प्रतियां मिली हैं और जहां तक इस बात का संबंध है कि वे कहां से आई हैं मैं बिना जानकारी के कुछ नहीं बता सकता। मुझे जांच करनी होगी।

†श्री त्यागी : यह बड़े आश्चर्य की बात है। डाक के टिकट से ही यह संकेत मिल जाएगा कि वह कहां से आई है, यदि वह डाक से आई हो। मुझे आश्चर्य है कि इसका पता क्यों नहीं लगाया जा सकता। यह कोई कठिन बात नहीं है।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के घण्टे में तर्क नहीं किए जा सकते हैं।

†श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या भारत सरकार कोई ऐसा नक्शा प्रकाशित करने का विचार कर रही है जिसमें यह दिखाया गया हो कि कौन सा देश किसके साथ मिला हुआ है?

†श्री सादत अली खां : मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

हरिजन और गैर हरिजन शरणार्थियों को भूमि का दिया जाना

*११६१. श्री प० ला० बारूपाल : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला गंगानगर में २०० हरिजन और कुछ गैर-हरिजन विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी भूमि के आदेश कुछ कारणों से समय पर किस्तों का भुगतान न किये जाने के कारण रद्द कर दिये गये हैं;

(ख) क्या ये व्यक्ति जिन्हें भूमि देने के आदेश रद्द कर दिये गये हैं पुनः शरणार्थी नहीं बन जायेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो उन लोगों को जीविका के और कौन से वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या पुनर्वास मंत्रालय इस उद्देश्य से कि वे आगामी फसल के बाद भुगतान करके अपनी भूमि अपने पास रख सकें, उन्हें ३१ मई, १९६१ तक अपनी भूमि के मूल्य की किस्तों का भुगतान करने का एक और अवसर देगा

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर): (क) जी हां, ११५ व्यक्तियों की अलाटमेंट पहली किश्त न चुकाने के कारण रद्द की जा चुकी है।

(ख) से (घ). इस व्यक्तियों को प्राथमिक किश्त अदा करने के लिये दूसरा अवसर देने का प्रश्न तथा उस तिथि का निश्चित करना जब तक कि वह जमा की जा सकती है परीक्षणाधीन है।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक मामला विचाराधीन है उस समय में भी जो जमीन कसल की गई है वह क्या दूसरों को अलाट की जा रही है ? और अगर यह सही है तो क्या जब तक मामले का निर्णय नहीं होता तब तक जमीन के अलाटमेंट को स्थगित किया जायेगा ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : इन लोगों को भूमि के मूल्य के केवल १० प्रतिशत का भुगतान पांच वर्ष से भी अधिक समय में करना था और शेष का भुगतान पन्द्रह वार्षिक किश्तों में किया जाना था परन्तु उन्होंने भुगतान नहीं किया। इस समय लगभग ११५ व्यक्ति सम्बन्धित हैं और उनके एलाटमेंट रद्द कर दिये गये हैं। माननीय सदस्य ने मंत्रालय से इसका विचार करने के लिए कहा था और अब उसकी जांच की जा रही है और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह किया जा रहा है और हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या जांच होने तक के लिए बेदखली रोक दी जायेगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : हम उसका विचार करेंगे।

†**श्री हेम राज** : क्या यह सच है कि भुगतान इसलिए नहीं किया गया है कि वे बहुत गरीब हैं और यदि हां तो क्या सरकार उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को कम करने क प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : भूमि के मूल्य का निर्धारण करते समय प्रत्येक बात का विचार किया गया था। उनकी आर्थिक स्थिति का हम ने विशेष रूप से विचार किया था। दस हजार से अधिक हरिजन और गरीब लोग उसका भुगतान कर चुके हैं और ११५ व्यक्ति राजस्थान के श्रीगंगानगर में ऐसे हैं जिन्होंने भुगतान नहीं किया है।

†**श्री पहाड़िया** : राजस्थान में इसी प्रकार के आधार पर कितने मामले विचाराधीन हैं और क्या मंत्रालय द्वारा भूमि पर वास्तविक काश्तकारों के काबिज रहते हुए ही बिना किसी प्राधिकार के उसका अर्जन कर लेने का आदेश जारी किया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल श्रीगंगानगर जिले से है। मैं माननीय सदस्य से पृथक प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : वह सरकारी भूमि थी अथवा निष्क्रान्त सम्पत्ति ? क्या सरकार किश्तों को आसान बनायेगी जिससे अनुसूचित जाति के लोग उनका भुगतान कर सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पू० शे० नास्कर : वर्तमान प्रश्न निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बन्धित है । हमने बहुत सरल किश्तें रखी हैं अर्थात् प्रारम्भिक लागत का १० प्रतिशत तुरन्त जमा किया जा सकता है और शेष पन्द्रह वार्षिक किश्तों में ।

†श्री रंगा : प्रति एकड़ के लिए क्या मूल्य निश्चित किया गया था और क्या किश्तों को एक ऋण में बदल देने और उसे कालान्तर में वसूल करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : भूमियों की समान दर नहीं होती है । भूमि का मूल्य उसकी किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न होता है । मूल्य निर्धारण के समय सब बातों का विचार कर लिया गया है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री ब्रजराज सिंह ।

†श्री रंगा : भूमि का प्रति एकड़ मूल्य कितना था ?

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको फिर से पुकारूंगा ।

†श्री ब्रजराज सिंह : माननीय मंत्री ने कहा कि हजारों व्यक्ति भुगतान कर चुके हैं और केवल ११५ ने भुगतान नहीं किया है । क्या उन परिस्थितियों की जांच की गई है जिनके कारण वे भुगतान नहीं कर सके और क्या उनकी असमर्थता के कारण . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : सारी चीज की जांच की जा रही है । यह विचाराधीन है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : हम शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पूर्वी क्षेत्र में बहुत साधन खर्च करते रहे हैं । क्या इन लोगों के प्रति भी वैसी ही उदारता बरती जायेगी ?

†श्री विमल घोष : इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह चर्चा अभी शुरू होनी चाहिए ?

†श्री रंगा : इन लोगों को जो भूमि आवण्टित की गई थी उसका प्रति एकड़ कितना मूल्य लिया गया था ?

†श्री पू० शे० नास्कर : मेरे पास भूमि के वास्तविक मूल्य के आंकड़े इस समय नहीं हैं । पर भूमि का मूल्य प्रत्येक तहसील में भिन्न होता है । एक तहसील में भी भूमि का मूल्य उसकी किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न होता है । उनके लिए कोई समान दर नहीं है ।

†श्री त्यागी : ऐसे हरिजन मिल सकते हैं जो गरीबी के कारण भुगतान करने में असमर्थ हों । क्या उनके साथ हरिजनों जैसा बर्ताव किया जायेगा अथवा कोई भेदभाव किया जायेगा ?

†उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का यह उद्देश्य नहीं है ।

†श्री त्यागी : अन्य व्यक्ति भी तो हैं । क्या उन सब के साथ एकसा बर्ताव किया जायेगा ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के विषयक्षेत्र में नहीं आता है ।

†श्री त्यागी : इस में हरिजन और गैर-हरिजन दोनों सम्मिलित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या अन्य लोगों के साथ हरिजनों के समान बर्ताव किया जायेगा ? मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं परन्तु यदि माननीय मंत्री तैयार हों तो उत्तर दे सकते हैं ।

†श्री पू० शे० नास्कर : प्रश्न में ही २०० हरिजनों और कुछ गैर-हरिजन शरणार्थियों का निर्देश किया गया है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या उनके साथ समान बर्ताव किया जाता है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : यह शरणार्थियों के लिये है । यह मंत्रालय केवल हरिजनों के लिये नहीं है । इसका विचार किया जा चुका है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह समस्या केवल गंगानगर तक ही सीमित नहीं है वरन् प्रत्येक राज्य में है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रश्न केवल गंगानगर तक सीमित है ।

†श्री दी० चं० शर्मा: क्या माननीय मंत्री इस समस्या पर समस्त भारत को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे और उसका कोई व्यापक हल निकालेंगे क्योंकि उससे प्रत्येक राज्य प्रभावित है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

नई दिल्ली में आकाशवाणी की इमारत की पैड़ का गिरना

+

†*११९२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की इमारत के नये ढांचे की पैड़ १६ मार्च, १९६१ को गिर गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दुर्घटना के कारण के सम्बन्ध में जांच की जा रही है ।

(ग) ऑडीटोरियम के मंच की छत की कड़ियों को मिलाते समय छत को साधने के लिए खड़ा किया गया ढांचा गिर पड़ा । चार व्यक्ति घायल हुए जिन में से तीन प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से घर चले गये । चौथे की हालत भी खतरे से बाहर बताई गई है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह दुर्घटना दिल्ली में अपनी किस्म की पहली ही है अथवा पहले भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो चुकी थी ? यदि हां, तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं के बचाव के लिए मंत्रालय ने क्या पूर्वाविधान किये हैं ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं नहीं समझता कि मैं दिल्ली के समस्त निर्माण कार्यों के इतिहास में जा सकता हूं परन्तु जहां तक मुझे याद है पिछले चार वर्षों में इस प्रकार की दुर्घटना पहले नहीं हुई थी ।

†श्री जोकीम आल्वा : मैं जानना चाहता हूं . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा। उन्हें पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए वरन् आगे की ओर देखना चाहिए।

†श्री दी० चं० शर्मा : मेरे पीछे वाले माननीय मित्र प्रश्न पूछने लगे थे और मैं उनकी भारी आवाज सुन रहा था।

क्या मंत्रालय ने इस प्रकार की दुर्घटना होने पर श्रमिकों को भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर के लिए कोई प्रक्रिया और राशि निर्धारित की है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : इसके लिए श्रमिक प्रतिकर अधिनियम में उपबन्ध है।

†श्री जोकीम आल्वा : कृषि भवन के बेसमेंट में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा था; इस इमारत में भी कठिनाई . . .

†श्री अनिल कु० चन्दा : 'कठिनाई' से क्या तात्पर्य है, मैं समझ नहीं सका।

†उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी बतायेंगे।

†श्री जोकीम आल्वा : हम इन इमारतों को खड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर चुके हैं। साथ ही अन्य इमारतें भी हैं . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : भाषणों और तर्कों की अनुमति नहीं है। प्रश्न सीधा पूछा जाना चाहिए।

†श्री जोकीम आल्वा : साथ ही विदेशी दूतावास भव्य भवनों का निर्माण कर चुके हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। मैं समझता हूं कि उन्हें कोई प्रश्न नहीं पूछना है।

†श्री जोकीम आल्वा : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे भवनों के सम्बन्ध में ही कठिनाई क्यों होती है ? क्या इसका कारण यह है कि हमारे वास्तुवेत्ता उतने योग्य नहीं हैं अथवा कि हमारे ठेकेदार बेईमान हैं ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : जहां तक कृषि-भवन का सम्बन्ध है, बेसमेंट में १९५८ की अभूतपूर्व वर्षा में पानी भर गया था। जहां तक इसका सम्बन्ध है यह इमारत अभी बन ही रही है। यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसको ठेकेदार बर्दाश्त करेगा। हमारा केवल इतना नुकसान है कि काम कुछ पिछड़ जायेगा।

जहां तक निर्माण कार्यों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हमारी इमारतें बहुत ठोस हैं और विदेशी दूतावासों की इमारतों की बराबरी करती हैं।

†श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : यह कार्य किसी गैर-सरकारी ठेकेदार ने प्रारंभ किया था अथवा केन्द्रीय लोक कर्म विभाग ने ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : ठेकेदार ने।

†श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि अब दिल्ली में गगनचुम्बी भवन बन रहे हैं इसलिए ठेकेदारों के अन्तर्गत काम करने वालों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और इन गरीब श्रमिकों को प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं समझ नहीं सका। यह अपनी प्रकार की एक ही दुर्घटना है। जहां तक श्रमिकों का संबंध है, उन्हें श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न गलत समझा गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसलिए कि वह प्रश्न पूछते समय तर्क करने लगते हैं। गगन-चुम्बी भवनों का इस से क्या संबंध है? उन्हें सीधा प्रश्न करना चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस से श्रमिकों का जीवन खतरे में है। इसलिए मैं जानना चाहता था कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें कोई और भी प्रश्न पूछना है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जायेंगे? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैं ने वह स्थान और भवन का निर्माण-कार्य देखा था। ढांचे की पैड़ में बांस काम में लाए गए थे जो टूट गये ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा**: यह गगन चुम्बी भवन नहीं है । छत पर कंकरीट डालने का कार्य चल रहा था। इस प्रकार की दुर्घटना एक मंजिल की इमारत में भी हो सकती है। यह आकाश-वाणी भवन का ऑडीटोरियम बन रहा था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : लकड़ी के बजाए बांसों का प्रयोग क्यों किया गया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : बांस नहीं लगाए गए थे वरन् बल्लियां लगाई गई थीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

†*११९४. **श्री तंगामणि**: क्या निर्माण, **आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का, निर्माण कार्य सहित, राजस्थान लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से कई कर्मचारियों का स्थानान्तरण पुनः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कर दिया गया था;

(ग) क्या इन सभी कर्मचारियों को, जिनका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पुनः स्थानान्तरण किया गया था, जुलाई, १९५७ से अन्तरिम सहायता सम्बन्धी बकाया राशि अदा कर दी गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : कितने कर्मचारियों का राजस्थान को स्थानान्तरण किया गया था और उन में से कितनों का पुनः दिल्ली के केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कुछ कर्मचारी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को स्थानान्तरण किए गए थे। निर्माण कार्यों के साथ ही कर्मभारित कर्मचारी भी राजस्थान सरकार को स्थानान्तरित कर दिए गए थे। परन्तु ऐसा हुआ कि हमारे कर्मचारियों के वेतन-क्रम राजस्थान के अधिकारियों से ऊंचे थे इसलिए उन्हें इन लोगों को खपाना कठिन मालूम दिया। इसलिए उन्होंने उन कर्मचारियों को हमारे पास वापस भेज दिया। हमने केवल स्थायी और अर्ध-स्थायी व्यक्तियों को वापस लिया और मैं समझता हूं कि उनकी संख्या लगभग १३० या १३४ है।

†**श्री तंगामणि** : क्या इन कर्मचारियों को, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अन्तरिम सहायता के हकदार हैं; अब वह अन्तरिम सहायता दी जाएगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हां, श्रीमान्। वे उस के हकदार हैं। वास्तव में राजस्थान सरकार हम से उन को अपनी ओर से भुगतान करने के लिए कह चुकी है और समायोजन बाद में कर लिया जाएगा।

†**श्री तंगामणि** : अब वरिष्ठता और अन्य चीजों के बारे में उनका स्तर क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैं ब्यौरा नहीं बता सकता परन्तु मैं समझता हूं कि उन के राजस्थान सरकार को अस्थायी स्थानान्तरण से उन के हितों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न समाप्त हुए। क्या कोई और माननीय सदस्य अपना प्रश्न लिया जाना चाहते हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह पहला मौका है जब कि सब प्रश्न खत्म हो गए हैं ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : श्रीमान् प्रश्न संख्या ११७७ लिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा।

पिछड़े हुए क्षेत्र

†*११७७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पिछड़े हुए क्षेत्र" शब्दों की परिभाषा योजना आयोग द्वारा सरकारी रूप से की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो यह परिभाषा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) और (ख). प्रादेशिक विकास की समस्या संबंधी कार्यकारी वर्ग, पिछड़ेपन के आधार के निश्चयन और पिछड़े क्षेत्रों की पहचान समेत प्रादेशिक विकास और पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने में लगा हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विद्याचरण शुक्ल : कुछ दिन पहले माननीय मंत्री ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया था कि उन्होंने राज्यों से यह अनुरोध किया है कि अपने राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के नकशे बनायें और विशेष व्यवस्था करें। मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों का मामला पूर्णतः राज्यों पर छोड़ दिया गया है अथवा राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा बताई गई परिभाषा के अनुसार काम करेंगे ।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : जो कार्यकारी वर्ग पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा निश्चित करेगा क्या उस के लिए निर्देश पद बना लिए गए हैं ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : जीवन स्तर के तथा विकास के देशनांक निर्देश पद हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : जब कितने ही माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए कोई आधार बनाना चाहती है अथवा राज्यों पर ही इस का निर्णय छोड़ना चाहती है तो उस समय बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई थी कि दूसरे प्रत्येक राज्य का आधार अलग अलग हो जायेगा ।

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि यह कार्यकारी वर्ग पिछड़ेपन की परिभाषा बना रहा है जो पिछड़े क्षेत्रों का अंकन करने में सहायक होंगे ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय मंत्री ने तथा माननीय उप-मंत्री ने जो कुछ कहा है उस में अन्तर है। २४ मार्च को मंत्री ने बताया था कि कई आधार बनाये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आधार बनाया जा रहा है जिस पर वह काम कर रहे हैं।

†श्री श्या० नं० मिश्र : उस दिन माननीय मंत्री ने बताया था कि क्या उन्होंने राज्यों से पूछा है कि वह उन क्षेत्रों को बतायें जिन के लिए तीसरी योजना में आवंटन किया जाना है । ऐसी बात तो नहीं है कि हम शून्य में काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बनाने का काम बन्द हो जाये इसीलिए हम ने उन से कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही काम करें।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि वह आज भी यह नहीं जानते हैं कि देश के पिछड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पहली और दूसरी योजना में उन्होंने यह निर्धारण किस आधार पर किया था ? क्या उन्होंने कोई काम पहली अथवा दूसरी योजना में किया था ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : ऐसी धारणा ठीक नहीं है । हमने बता दिया है कि हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपयोग, संचार व्यवस्था जनता और रोजगार का संबंध तथा उत्पादन साधनों के उपयोग का आधार बना लेते हैं। इन के आंकड़े हमारे पास हैं जिनका उपयोग हम करते हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में किन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ समझा गया था ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : पूरा नकशा यहां उपस्थित करना कठिन काम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पहाड़िया** : इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है ; तथा यदि हां, तो वह धनराशि क्या है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र**: मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हमने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि योजना आयोग को पिछड़े क्षेत्रों के लिए किए गए निश्चित उपबन्ध बतायें। हम उस जानकारी की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं ने प्रश्न नहीं सुना।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : यह बताया गया कि पहली और दूसरी योजना में पिछड़ेपन का निश्चय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : अध्ययन वर्ग भी सभी बातों पर विचार कर रहा है । मैं सभा को कच्चे आंकड़े नहीं बताना चाहता हूं । हमें इसका कुछ पता है परन्तु उसको सभा को बताना उचित नहीं होगा।

प्रश्न ११९६ तथा ११८२ के बारे में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : श्रीमान्, रूसी एटलसों के बारे में प्रश्न संख्या ११९६ का उत्तर दिया जाये। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री उत्तर देने को तैयार हैं ? माननीय सदस्य तो अनुपस्थित हैं।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव** : जब माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं तो मैं उत्तर देना नहीं चाहता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** श्रीमान् प्रश्न संख्या ११८२ का उत्तर दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री और प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते हैं ।

प्रश्न ११७७ के बारे में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: श्रीमान् मेरा एक निवेदन है । पिछड़े क्षेत्रों के प्रश्न के उत्तरों से पता लग जाता है कि वह उत्तर बात टालने के लिए दिये गये हैं । हम माननीय मंत्री से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु हम को ठीक-ठीक उत्तर कभी भी नहीं मिलते हैं । माननीय मंत्री ने बताया है कि वह ब्यौरे नहीं बता सकते हैं । इसलिए क्या वह सभी ब्यौरों के विवरण सभा पटल पर रखे जिसमें वह उन क्षेत्रों को बतायेंगे जो पहली और दूसरी योजना में पिछड़े समझे गये और जिनको सहायता दी गई ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : जब राज्यों और अध्ययन वर्ग से जानकारी मिलेगी . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तथ्य मिल जाने पर उनको सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी जानना चाहता हूं जिनको केन्द्रीय सरकार ने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़ा समझा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी दे दी जायगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

†*११७५. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री पांगरकर :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के बारे में जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). समिति के प्रतिवेदन पर सरकार अब भी विचार कर रही है।

बम्बई में उर्वरक संयंत्र

†*११७६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के समझौते पर इस बीच हस्ताक्षर हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता में रहने वाले चीनी

†*११८२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में चीनी वाणिज्य दूत ने भारतीय प्राधिकारियों को उस शहर में रहने वाले कुछ चीनियों के साथ कथित दुर्व्यवहार किये जाने और उन्हें सताये जाने के बारे में विरोध पत्र भेजा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये हैं; और

(ग) क्या ये आरोप सही हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). कलकत्ते में चीनी वाणिज्य दूत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुछ चीनी राष्ट्रजनों को दिये गये भारत से चले जाने के आदेशों तथा उसी के अनुसार विदेशी अधिनियम के अधीन एक चीनी की गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा है ।

निम्न और मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनायें

†***११८३. श्री ले० अचो सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को अपने मकानों के निर्माण के लिए क्रमश: ८,००० रु० और २०,००० रु० ऋण दिया जाता है;

(ख) क्या ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऋण किस्तों में दिये जाते हैं और औपचारिक बातों की पूर्ति में बहुत समय लगता है;

(ग) क्या निम्न आय वर्ग के इन कर्जा लेने वाले लोगों के लिए इस साधारण सी रकम से मकान बनाना कठिन होता है; और

(घ) क्या निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ऋण की राशि में वृद्धि करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी हितों की सुरक्षा के लिए तथा धन का दुरुपयोग रोकने के लिए इस पर जोर दिया जाता है कि ऋण प्राप्त करने वाले लोग कुछ औपचारिक बातें पूरी करें और इसीलिए उचित किस्तों में ऋण दिया जाता है ।

(ग) अल्प आय-वर्ग आवास योजना के अधीन ग्राह्य ऋण सहायता उचित समझी गई है ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मैग्नेसाइट की तापसह ईं

†***११८८. श्री नरसिंहन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगा लिया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की लोहा और इस्पात परियोजनाओं को मैग्नेसाइट की तापसह ईंटों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) अब तक मैग्नेसाइट ईंटों के कुल कितने उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) अब तक जिन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं क्या उनके नामों की जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मैंगनेसाइट की तापसह ईंटों समेत सभी ईंटों का उत्पादन, २,५५,४०० टन प्रतिवर्ष है । निर्माता मांग के अनुसार ईंटों के प्रकार का समायोजन करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]

'जियोफोन'

†*११९३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'जिओफोन' नामक उपकरण के बारे में रूसी प्राधिकारियों से पूरा ब्यौरा प्राप्त हो गया है, जिससे कोयले और गैस के विस्फोट को, जो कि खनिकों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है, कम से कम ६ घंटे पहले सूचना मिल जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वह ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) और (ख). इस मामले में सरकार रूसी अधिकारियों से पत्र-व्यवहार कर रही है । ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

चाय उद्योग के लिये रसायनिक खाद

†*११९५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में भारतीय चाय उद्योग को रासायनिक खाद की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या उद्योग को उसकी आवश्यकतानुसार खाद की पूरी मात्रा उपलब्ध की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) से (ग) बाद में किसी तारीख को खाद्य तथा कृषि मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे ।

रूसी एटलसें

†*११९६. **श्री प्र० गं० देव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी रूसी एटलसें भारत लाई गई थीं जिनमें भारतीय इलाके को चीनी इलाका दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें जब्त कर लिया गया था; और

(ग) क्या यह सच है कि अभी हाल में रूसी राजदूतावास द्वारा भारत में ये एटलसें बांटी गयी थीं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) सरकार को एटलसों की प्रतियों को बिक्री अथवा वितरण के लिए आयात करने की कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हमें मालूम नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी पंचवर्षीय योजना में दस्तकारियों के लिये आवंटन

†*११९७. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

†क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दस्तकारी उद्योगों के लिए योजना आयोग ने अन्तिम रूप से कितना आवंटन करना स्वीकार किया है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने कितना आवंटन करने का सुझाव दिया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में दस्तकारी उद्योगों के लिए लगभग ८ करोड़ रुपये अस्थाई रूप में आवंटित किये हैं। राज्य सरकारों की पुनरीक्षित योजनायें तथा तीसरी योजना में दस्तकारी के विकास के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम की जांच की जा रही है और समय आने पर अन्तिम आवंटन कर दिया जायेगा। प्राक्कलित आवश्यकता लगभग १२ करोड़ रुपये की है।

चाय उद्योग के लिये सीमेंट

†*११९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में भारतीय चाय उद्योग को सीमेंट की कुल कितनी आवश्यकता पड़ेगी ;

(ख) क्या इस उद्योग को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीमेंट की पूरी मात्रा उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९।]**

भारत-पाक सीमान्त घटनायें

†२४६८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री बाल्मीकी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक हुई भारत-पाक घटनाओं के ब्यौरे क्या हैं;

(ख) जीवन तथा सम्पत्ति की कितनी हानि हुई है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). अक्तूबर, १९६० तक की सीमान्त घटनाओं के ब्यौरे सभा को बताये जा चुके हैं। नवम्बर १९६० से फरवरी १९६१ तक की सीमान्त घटनाओं के ब्यौरे बताने वाले विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ग) विवरण के कालम ५ में सरकार द्वारा इन सीमान्त घटनाओं पर की गई कार्यवाही बताई गई है। इसे के अतिरिक्त इन घटनाओं पर ज़िला अधिकारियों की और क्षेत्रीय कमान्डरों का मासिक बैठक में भी 'भूमिनियमों' द्वारा की गई व्यवस्थानुसार विचार किया जाता है।

स्ट्रैपटोमाइसीन

†२४६९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रैपटोमाइसीन की वर्तमान और भावी आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) स्ट्रैपटोमाइसीन और डिहाइड्रोस्ट्रैपटोमाइसीन की वार्षिक मांग अनुमानतः १०० टन है। अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वार्षिक आवश्यकता लगभग १५० से २०० टन हो जायेगी।

हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड

†२४७०. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड में उत्पादन बढ़ाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पर बनाये जाने वाले मध्यवर्ती पदार्थ ; जैसे मोनो क्लोरो बेन्ज़ीन, क्लोरल तथा डाईक्लोरो बेन्ज़ीन की मांग बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) हाल में ही मोनोक्लोरो बेन्ज़ीन क्लोरल तथा पारा डाइक्लोरो बेन्ज़ीन की बिक्री बढ़ गई है। डी० डी० टी० के निर्माण से शेष अधिक मात्रा का ही संभरण किया जायेगा। आर्थो-क्लोरल डिक्लोरो बेन्जीन की मांग बहुत कम है।

(ग) डी. डी. टी. और विकास शाखा के अनुमान के अनुसार अन्य उत्पादों की आवश्यकताओं के आंकड़ों के आधार पर योजनायें बनाई जाती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नंगल में कागज बनाने का कारखाना

†२४७१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के नंगल में एक कागज़ मिल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में ठेकेदारों की 'ब्लैक लिस्ट'

†२४७२. **श्री कुम्भार** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में भवनों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकारी धन-राशि तथा सामग्री का दुरुपयोग करने में शामिल ठेकेदारों के लिए वहां पर कोई 'ब्लैक लिस्ट' बनाई हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे राज्य में, जिलेवार, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे कितने मामले हुए हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति

†२४७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६० की चौथी तिमाही में पंजीबद्ध बेरोज़गार व्यक्तियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इसी अवधि में बेरोज़गार स्नातकों, इंटरमीडियेटों, तथा मैट्रिकुलेटों की क्या संख्या है ?

†**श्रम उप-मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क)

मास	महीने में किये गए रजिस्ट्रेशन (सभी वर्ग)
१	२
१९६०	
अक्तूबर	५,६०७
नवम्बर	६,६८७
दिसम्बर	७,८५७

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

श्रेणी	अक्तूबर–दिसम्बर १९६० के चतुर्थांश में शिक्षित अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या*
१	२
स्नातक . .	१,२०५
इंटरमीडियेट .	७०३
मैट्रिकुलेट्स	५,८०४
जोड़	७,७१२

*मासिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आकाशवाणी द्वारा पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा

२४७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में आकाशवाणी द्वारा कितनी पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा की गई थी ; और

(ख) इनमें से कितनी पुस्तकें भारतीय लेखकों की हैं तथा कितनी पाकिस्तानी लेखकों की हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख) भारतीय लेखकों की २४ पुस्तकों तथा पाकिस्तान के लेखकों की एक पुस्तक की समीक्षा आकाशवाणी ने १९६० में की थी।

बस्तियों में सरकारी दूकानों का दिया जाना

२४७५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी बस्तियों में बनाई गई किन्तु खाली पड़ी हुई सरकारी दुकानों को देने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) न सब दुकानों में कब तक कारोबार शुरू हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) किदवईनगर, लक्ष्मीबाई नगर, नेताजीनगर, नौरोजीनगर और मोतीबाग-१ में १९३ दूकानें नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा पहले ही दी जा चुकी हैं और आशा है कि इन बाजारों में बाकी दूकानें भी शीघ्र ही दे दी जायेंगी।

मोतीबाग-२, श्रीनिवासपुरी और ऐंड्रयूज़गंज में बने बाजारों का नियंत्रण अभी दिल्ली नगर निगम ने नहीं संभाला है और इन बाजारों में दूकानों के दिए जाने में कुछ समय लगने की संभावना है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन लोगों ने दूकानों का कब्जा ले लिया है, उन्होंने अपना का ोबार शुरू कर दिया है और बाकी दूकानों में कारोबार उसके बाद शुरू होगा, जब कि नियतभागी (ऐलोटी) उनका कब्जा ले लेंगे ।

पंजाब में घड़ी बनाने का कारखाना

†२४७६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अपने राज्य में घड़ी बनाने का कारखाना बनाने के लिए केन्दीय सरकार से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). पंजाब राज्य के चार छोटे पैमाने के गैर सरकारी एककों को घड़ी बनाने के निर्माण का स्वीकृति सरकार ने दी है। (प्रति वर्ष आरंभ में १२००० घड़ियां बनाने की क्षमता होगी)

सौल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट

†२४७७. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे प्रसिद्ध फर्में कौन सी हैं जिनकी सौल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट बनाने की योजनायें स्वीकार करली गई हैं ; और

(ख) यह संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेंगे और कब तक उत्पादन आरंभ कर देंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) निम्नलिखित पार्टियों की योजनायें सरकार स्वीकार कर ली हैं :—

१. मैसर्स वालचन्द नगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन हाउस, बेल्लार्ड एस्टेट, बम्बई १

२. मैसर्स लारसेन एण्ड टोब्रो लिमिटेड, आई० सी० हाउस, भोगालरोड, बेल्लार्ड एस्टेट, बम्बई—१ ।

३. मैसर्स वसन्त इडस्ट्रीयल एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, ४७०-७१, । वारली रोड, बम्बई,—१८ ।

४. मैसर्स एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, सीमेंट हाउस, १२१, क्वीनस रोड, बम्बई—१.

५. मैसर्स प्रायल कारपोरेशन आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बांसमण्डी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

६. मैसर्स शानटुग एजेन्सी, २६-ए, एज़रामैंशन, १० गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट, कलकत्ता—१ ।

७. मैसर्स सिंधिया वर्कशाप (प्राइवेट) लिमिटेड, डाकयार्ड रोड, माज़ागांव, बम्बई—१० ।

(ख) पहली पांच फर्मों में उत्पादन आरंभ हो गया है । आशा है शेष दो फर्में १९६१ के अंत तक उत्पादन आरम्भ कर देंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चम्पारन जिले में विस्थापित व्यक्तियों के लिये टेक्निकल स्कूल

२४७८. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन जिले में जो विस्थापित व्यक्ति बसाये गये हैं उनके लिये कोई टेक्निकल स्कूल नहीं चलाया जा रहा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसा स्कूल खोला जायेगा और कहां पर ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : (क) और (ख). जी नहीं । एक पोलिटेक्निक संस्था मोतीहारी जिला चम्पारन में राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है जिसमें विस्थापितों के लिये स्थान आरक्षित रख दिये गये हैं ।

नागा विद्रोही

†२४७९. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन का सहयोग देने वाले नागा गांव के गार्डों की कोहिमा से १० मील दूर पर नागा विद्रोहियों से मुठभेड़ हो गई थी और उनको बहुत से शस्त्रास्त्र और महत्वपूर्ण पत्र मिल गये थे; और

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). कोहिमा से चार मील उत्तर पूर्व में १६ जनवरी, १९६१ को कोहिमा के एक गांव गार्ड दल की मुठभेड़ १५ नागा विद्रोहियों से हो गई थी । गांव के गार्डों ने गोली चलाई परन्तु विद्रोही बच निकले । इस मुठभेड़ में तीन नागा विद्रोही घायल हुये थे । बाद में दो मर गये । गांव के गार्डों ने छः राइफलें, एक नालीदार बन्दूक, कुछ गोली बारूद तथा दस्तावेज पकड़े थे ।

पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यभारित कर्मचारी[1]

२४८०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण विभाग से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारियों को उनके काम के साथ साथ स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य लोक निर्माण विभाग के अधीन इन कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा वरिष्ठता, स्थाई बनाने आदि के लिए गिनी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्य लोक निर्माण विभाग सेवा के लाभ इनको निवृत्त वेतन तथा उपदान के लिए समझी जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Workcharged staff

लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों के लिए वर्दी

†२४८१. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को वर्दियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको कपड़े धुलाने का भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां । वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर हाल में ही कपड़े धुलाने के भत्ते को स्वीकार करने के आदेश दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रुआण्डा-उरुण्डी

२४८२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने रुआण्डा-उरुण्डी के विषय में क्या रुख अख्तियार किया है; और

(ख) इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश (मेन्डेट) के अंतर्गत रुआन्डा-उरुन्डी का प्रशासन न्यस्त प्रदेश (ट्रस्ट टेरीटरी) के रूप में बेल्जियम द्वारा किया जाता है । भारत सरकार सके शीघ्र ही स्वाधीन हो जाने की प्रतीक्षा करती है और यह आशा करती है कि चुनाव करने के लिए उचित हालतें संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में पैदा की जा सकती हैं । तब तक के लिए भारत सरकार इस पर ज़ोर देगी कि प्रशासक देश (एडमिनिस्टरिंग पावर) की यह ज़िम्मेदारी है कि वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके शासनादेश के अनुसार कार्य करे; सरकार इसके लिए विशेष रूप से सजग है कि संयुक्त राष्ट्र की स्वीकृति के बिना रुआन्डा-उरुन्डी के भविष्य के बारे में कोई एकतरफा कार्रवाई न की जाए और इसके लिए भी कि इस प्रदेश को हथियार जमा करने या हथियारबंद फौजें इकट्ठी करने के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल न किया जाए सिवाए उसके कि जब ऐसा करना विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनिवार्य ही न हो जाए।

लुधियाना में सहकारी औद्योगिक बस्तियां

†२४८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना (पंजाब) के उद्योगपतियों ने सहकारी आधार पर औद्योगिक बस्तियां बनाना आरंभ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहकारी समिति को कोई प्राविधिक परामर्श अथवा कोई अन्य सहायता दी जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). लुधियाना ज़िले में कुछ उद्योगपतियों ने एक साथ मिल कर जोगियाना गांव में एक औद्योगिक बस्ती बनाने का विचार किया है । उद्योगपतियों ने एक योजना बनाई है जिसकी जांच पंजाब सरकार का नगर आयोजक कर रहा है । योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वीकृत हो जाने पर सरकार की प्रविधिक स्वीकृति के लिए ब्यौरेवार योजना प्रस्तुत की जायेगी। इस औद्योगिक सम्पदा के बन जाने के बाद सभी संभव सुविधायें दी जायेंगी।

शिलांग म रीड चेस्ट अस्पताल

†२४८४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार के शिलांग के रीड चेस्ट अस्पताल में विस्थापित व्यक्तियों के लिए नये तपेदिक वार्ड के लिए यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**पुनर्वास उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). जी हां। रीड चेस्ट अस्पताल, शिलांग के नये तपेदिक वार्ड में यंत्रों तथा जल संभरण की व्यवस्था करने के लिए ७००० रुपये का अनुदान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास

†२४८५. **श्री कालिका सिंह :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कितनी धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में देना स्वीकार किया गया था ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में केन्द्रीय सरकार को बताया है ;

(ग) यदि हां, तो वह क्षेत्र कौन से हैं तथा उनको क्या सहायता दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जानकारी का एक विवरण संलग्न है।

(क) विवरण

उद्योग का नाम	दूसरी योजना के पहले चार वर्षों (१९५६–५७ से १९५९–६०) में दी गई केन्द्रीय सहायता	१९६०–६१ के लिए स्वीकृत राशि
	(रुपये लाखों में)	(रुपये लाखों में)
बड़े तथा मध्यम उद्योग . . .	११०.७६	६०.७४ (स्वीकृत)
सहकारी चीनी कारखाने .	३८.००	२२.०० (आवंटित)
छोटे पैमाने के उद्योग . . .	२५१.८०	५६.०० (आवंटित)
रेशम कीट पालन . .	१०.८६	२.१६ (स्वीकृत)
दस्तकारी . .	२८.१५	१५.०४ (स्वीकृत)
हथकरघा उद्योग	१९७.८४	४५.०० (आवंटित)
औद्योगिक अ.तियां	६५.६८	२५.०० (आवंटित)
खादी तथा ग्रामोद्योग . . .	१११३.६८	७७.९१ (आवंटित)

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां।

(ग) उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के लिए पांच औद्योगिक बस्तियां स्वीकार की गई हैं और ये बस्तियां देवरिया, बस्ती, बिजनौर, एटा तथा झांसी में स्थित होंगी।

उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों में छोटे पमाने के उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनायें स्वीकार की गई हैं :—

१. उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खण्डों के क्षेत्रों में प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र ;

२. वाराणसि में तार बुनने का केन्द्र ;

३. वाराणसि, फैजाबाद तथा गोरखपुर में तीन चलती फिरती लुहारों की यूनिटें ;

४. वाराणसि, फैजाबाद, तथा गोरखपुर में तीन चलती फिरती बढ़ई की यूनिटें ;

५. जूतों के प्राथमिक केन्द्र।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर तथा भदोही में ऊनी कालीन उद्योग का संगठन बनाने की योजना स्वीकार कर ली गई थी तथा लागू की जा रही है।

निर्यात और आयात लाइसेंस

†२४८६. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में निर्यात और आयात लाइसेंस लेने के लिए गलत रास्ते का सहारा लेने के कारण किसी फर्म को (ब्लैकलिस्ट) किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये फर्में कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां।

(ख) ८४। उनके नाम सामान्यतः नहीं बताये जाते हैं।

सरकारी प्रेसों में वेतन-क्रम

†२४८७. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग में वेतन आयोग की सभी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं ;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों पर सरकारी प्रैसों के वेतन-क्रम समान हैं ;

(ग) क्या दिल्ली और सन्तरागाधी सरकारी प्रैसों के स्टोर कीपरों के वेतन क्रम समान हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) से (ग). संभवतया भाग (क) प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमेंट के संबंध में है।

केन्द्रीय वेतन आयोग (१९५७--५९) की सिफारिशें जिनको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा जो प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमेंट पर लागू है लागू कर दी गई हैं। सरकारी प्रेसों के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के वेतन-क्रम भी लागू कर दिए गए हैं। सभी स्थानों के प्रैसों

---

†मूल अंग्रेजी में

के विभिन्न पदों के वेतन क्रम समान हैं। सन्तरागाधी में भारत सरकार का प्रेस नहीं है। वहां पर भारत सरकार के कलकत्ता प्रेस की एक शाखा काम करती है और एक अपर डिवीजन क्लर्क इन्चार्ज (स्टोर्स) वहां पर स्टोर की देखभाल करता है। इस अपर डिवीजन क्लर्क इन्चार्ज (स्टोर्स) का पुनरीक्षित वेतन-क्रम वही है जो अन्य सरकारी प्रैसों में हैं। सन्तरागादी शाखा में सामान्य स्टोरकीपर इस समय कोई नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नेफा में तिब्बत से आए शरणार्थी

†२४८८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही नेफ़ा में बड़ी संख्या में तिब्बत के शरणार्थी घुस आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इनको शरण देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) दिसम्बर, १९६० महीने में तथा १४ जनवरी १९६१ तक नेफ़ा में आये तिब्बत के शरणार्थी क्रमशः ८६१ तथा ४६३ थे।

(ख) और (ग). तिब्बत में हालात खराब होने के कारण तिब्बत के शरणार्थी भारत में आ रहे हैं। नेफा में आ जाने के बाद शरणार्थियों से हथियार ले लिये जाते हैं और उनकी आवश्यक चिकित्सा की जाती है। उनको राशन तथा शरण दी जाती है और पुनर्वास शिविर में भेजे जाने के लिए उनको डिवीजन के केन्द्रीय स्थान पर भेज दिया जाता है। जो उनमें प्रवीण कामगर तथा दस्तकार हैं उनको अपना व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। अप्रवीण कामगरों को सड़क परियोजनाओं पर काम करने में लगा दिया जाता है। कुछ व्यक्तियों को भूमि भी दी जाती है।

विभागीय अभिकरणों तथा ठेकेदारों द्वारा किए गए काम का मूल्य

†२४८९. **श्री लैं० अचौ सिंह :**
श्री कुम्भार :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में केन्द्रीय क्षेत्र में विभागीय अभिकरणों के द्वारा तथा ठेकेदारों के द्वारा कितने मूल्य का काम हुआ है ; और

(ख) कितने ठेकेदारों को 'ब्लैक लिस्ट' दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क)

वर्ष	विभागीय अभिकरणों द्वारा किये गये काम का मूल्य	ठेकेदारों द्वारा किए गए काम का मूल्य
	रुपये	रुपये
१९५९–६० . .	३,०१,७१,७९१	१८,५५,३१,६७९
१९६०–६१ (जनवरी ६१ के अन्त तक) .	१,९५,६६,९६९	१३,१७,९८,२४२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मान से निम्न स्तर का काम करने, सरकारी सामग्री का अनधिकार निबटारा करने के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के १२ ठेकेदारों को 'ब्लैक लिस्ट' कर दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†२४९०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्र देश में सनातनगर, विशाखापटनम, विजयवाड़ा, सामलकोट और नन्दयाल की औद्योगिक बस्तियों का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) मूल प्राक्कलनों के अनुसार इन बस्तियों में से प्रत्येक के कार्यक्रम की लागत क्या है;

(ग) विस्तार किये गये कार्यक्रम की लागत क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से इन योजनाओं के बढ़े हुए व्यय को अनुमोदित और मंजूर करने की प्रार्थना की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है :—

विवरण

(क) केवल सनातनगर और विजयवाडा की औद्योगिक बस्तियों का विस्तार दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था ।

(ख) इन बस्तियों की केन्द्र द्वारा अनुमोदित लागत निम्न प्रकार है :

	रुपये (लाखों में)
१. सनातनगर	२०.००
२. विशाखापटनम	२०.००
३. विजयवाड़ा	२०.००
४. सामलकोट	७.००
५. नन्दयाल	३.००
योग	७०.००

(ग) औद्योगिक बस्तियों के विस्तृत कार्यक्रम की लागत नीचे दी गई है :—

	रुपये (लाखों में)
१. सनातनगर	४७.४७
२. विजयवाड़ा	२.३३
योग	४९.८०

(घ) जी, हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) अन्य राज्य सरकारों के साथ आन्ध्र प्रदेश सरकार को भी सूचित कर दिया गया है कि विस्तार के प्रयोजन के लिये केन्द्र से कोई अतिरिक्त धन नहीं मिल सकता है। उन्हें बढ़ी हुई लागत की पूर्ति अपनी वार्षिक योजना व्यय की सीमा के अन्तर्गत समायोजन द्वारा करने का परामर्श दिया गया है ।

सहकारी समितियों को ऋण

†२४९१. **श्री रामी रेड्डी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल में प्राइमरी सहकारी समितियों को उपकर निधियों में से कार्यवहन पूंजी ऋण देने की योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) केन्द्र द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस मामले में राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता मिलती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्। कुछ जिलों की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में ।

(ख) से (घ). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था,[1] लखनऊ

†२४९२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था, लखनऊ, और केन्द्रीय भेषज तथा औषधि संयंत्र, ऋषिकेश के कार्यों का समन्वय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इस समय केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था लखनऊ और ऋषिकेश के प्रस्तावित एण्टीबायोटिक्स संयंत्र के कार्यों का समन्वय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ट्रैक्टर का निर्माण

२४९३. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सार्थ ने ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस के लिये प्रार्थना की है। लाइसेंस प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Drug Research Institute.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

सार्थ का काम	लाइसेंस का ब्योरा
१. मेसर्स गुडअर्थ कम्पनी, नई दिल्ली	१२–१८ डी० बी० एच० पी० और २०–३० डी० बी० एच० पी० के प्रतिवर्ष २,००० 'आईचर' ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये । स्थान : पंजाब।
२. महीन्द्र एण्ड महीन्द्र लिमिटेड, बम्बई	१२–१८ डी० बी० एच० पी० और २०–३० डी० बी० एच० पी० और ३५ तथा उस से अधिक डी० बी० एच० पी० के प्रतिवर्ष ३५०० डेविड ब्रांउन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये । स्थान : महाराष्ट्र । सार्थ ने सूचित किया है कि उनका ब्रिटिश समवाय के साथ सहयोग टूट गया है और प्रविधिक सहयोग के लिये अन्य विदेशी समवायों के साथ बात चीत चल रही है ।
३. मेसर्स एमनावमशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास	२०–३० डी० बी० एच० पी० और ३५ तथ. उस से अधिक डी० बी० एच० पी० के प्रतिवर्ष ३५०० फर्गसन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये । स्थान मद्रास ।
४. मेसर्स ट्रैक्टर्स एण्ड बुलडोजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	३५ और उससे अधिक डी० बी० एच० पी० के प्रतिवर्ष १००० 'जेटोर' ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये । स्थान : गुजरात ।

इन के अतिरिक्त उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक और प्रार्थनापत्र इस समय विचाराधीन है ।

आसाम में जूट मिल

†२४९४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिलघाट में एक नई जूट मिल सहकारी आधार पर स्थापित की जानी है; और

(ख) योजना का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). इस प्रयोजन के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित जूट मिल में बोरों और सन के उत्पादों के निर्माण के लिये १५० करघे होंगे।

मद्रास में योजना व्यय

†२४९५. **श्री तंगामणि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित राशि पूरी तरह व्यय की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी राशि व्यय नहीं की जा सकी;

(ग) क्या मद्रास राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक व्यय का उपबन्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया जायगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या ब्यौरा बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में मद्रास राज्य द्वारा तीसरी योजना पर अन्तिम प्रतिवेदन के लिये प्रदान किया गया ब्यौरा दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार

†२४९६. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० के उत्तरार्द्ध में पूर्वार्द्ध की अपेक्षा अधिक शिक्षित रजिस्टर्ड बेकार व्यक्ति सेवायुक्त किये गये; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सेवायुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ?

(ख)

राज्य	सेवायोजित शिक्षित्त*प्रार्थियों की संख्या	
	जनवरी-जून १९६० में	जुलाई–दिसम्बर १९६० में
१	२	३
आन्ध्र प्रदेश	४,१७७	५,२५६
आसाम	३१६	४१९
बिहार	१,१८२	१,०५८
दिल्ली	१,५९४	१,४८२

†मूल अंग्रेजी में

*मैट्रिकुलेट तथा उससे अधिक शिक्षित्त

राज्य	सेवानियोजित शिक्षित*प्रार्थियों की संख्या	
	जनवरी-जून १९६० में	जुलाई-दिसम्बर १९६० में
गुजरात	२,१६५	२,९७९
हिमाचल प्रदेश	२८७	३४७
जम्मू तथा काश्मीर	११२	२०१
केरल	२,११३	३,५८०
मध्य प्रदेश	१,४८४	२,४२७
मद्रास	६,१९०	१०,६८३
महाराष्ट्र	५,८३७	५,७०८
मनीपुर	७६	८२
मैसूर	३,२९९	३,९२७
उड़ीसा	७५१	१,०१८
पांडिचेरी	१४	५०
पंजाब	४,३१४	६,१०२
राजस्थान	३,२७७	७,६५२
त्रिपुरा	२४४	११४
उत्तर प्रदेश	५,४१९	७,१६७
पश्चिम बंगाल	१,३३०	१,३७५
अखिल भारतीय योग	४४,१८१	६१,६२७

*मैट्रिकुलेट तथा उससे अधिक शिक्षित

केरल और मद्रास में चाय उत्पादन

†२४९७. **श्री तंगामणि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से १९६० तक (वर्षवार) केरल और मद्रास राज्यों में चाय का कितना उत्पादन हुआ तथा उसका मूल्य क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में उपरोक्त वर्षों में से प्रत्येक में चाय की खेती के अन्तर्गत कितना क्षेत्र था; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में मद्रास और केरल से कितनी और कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क)

वर्ष	केरल		मद्रास	
	मात्रा (लाख पौण्ड)	*अनुमानित मूल्य करोड़ रुपयों में	मात्रा (लाख पौण्ड)	*अनुमानित मूल्य करोड़ रुपयों में
१९५८	८१६.३	१७.९६	७६६.१	१६.८५
१९५९	७८४.८	१७.४२	७२७.७	१६.१५
१९६०	८४१.५	१९.१९	८२३.७	१८.७८

*संबंधित दिनों में कोचीन और लन्दन के नीलामों में बेची गई चाय के औसत प्रति पौण्ड मूल्य पर आधारित ।

(ख)

वर्ष (३१ मार्च को)	केरल (एकड़)	मद्रास (एकड़)
१९५८	९७,००४	७६,४५८
१९५९	९७,२९४	७८,६०८
१९६०	९८,०८४	८०,२७०

(ग) मद्रास और केरल से चाय के निर्यात संबंधी आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि चाय, मैसूर में उत्पादित चाय को मिला कर, का लदान बिना राज्य पर आधारित भेदभाव के कोचीन पत्तन से किया जाता है ।

कारों का उत्पादन

†२४९८. श्री तंगामणि : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स स्टैण्डर्ड मोटर्स, वण्डालूर (मद्रास राज्य) ने सरकार को कारों का उत्पादन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की स्थूल रूप रेखा क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). मैसर्स स्टैण्डर्ड प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अपनी स्टैण्डर्ड '१०'/स्टैण्डर्ड हैराल्ड के निर्माण की स्थापित क्षमता को बढ़ा कर ६००० कारें प्रतिवर्ष करने के लिये और प्रति वर्ष १५०० स्टैण्डर्ड (१ टन के) ट्रकों का निर्माण प्रारंभ करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया है ।

गोदो खनिज सहकारी समिति

†२४९९. श्री इलयापेरुमाल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास की गोदी खनिज सहकारी समिति लिमिटेड से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा समिति को नियोजक के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है । जहां तक समिति के सदस्य श्रमिकों के सूचीबद्ध किये जाने का संबंध है, बोर्ड से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

बीकानेर को सीमेंट का संभरण

२५००. श्री प० ला० बारूपाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर व गंगानगर जिले में गत डेढ़ साल से सीमेंट के संभरण की मात्रा बहुत कम हो गई है, जिस की वजह से इन जिलों में बहुत से विकास के काम रुक गये हैं और उपभोक्ताओं को सीमेंट मकानों की मरम्मत तक के लिये मिलने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या इस के फलस्वरूप सीमेंट का काला बाजार जोरों से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो संभरण थोड़ा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष की किसी एक खास तिमाही में किसी राज्य विशेष के लिये कुल जितना सीमेंट देना नियत किया जाता है वह सम्बन्धित राज्य सरकार के लिये उपलब्ध कर दिया जाता है । इस इकट्ठे सीमेंट में से उस का जिलेवार नियतन करना राज्य सरकार का काम होता है । सम्बन्धित राज्य सरकार नियतन के जिलेवार वितरण का जो आधार निश्चित करती है, राज्य व्यापार निगम उसी के अनुसार सीमेंट कारखाने द्वारा सीमेंट का संभरण करने का आदेश जारी करता है । जहां तक केन्द्रीय सरकार को पता है बीकानेर और गंगा नगर के जिलों को जितना सीमेंट भेजा गया है वह राजस्थान सरकार द्वारा बताये गये नियतन और वितरण के अनुकूल ही है ।

(ख) राज्य में मूल्य नियंण लागू करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। फिर भी इन दोनों जिलों में सीमेंट के काले बाजार के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दक्षिण भारत से चाय का निर्यात

†२५०१. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९६१ को खत्म होने वाले दस महीनों में दक्षिण भारत से चाय के निर्यात में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) यद्यपि जनवरी, १९६१ को खत्म होने वाले दस महीनों में दक्षिण भारत से चाय का निर्यात पिछले वर्ष की उस अवधि की तुलना में ३३.६ लाख पौण्ड कम हुआ परन्तु कैलेंडर वर्ष १९६० का निर्यात १९५९ के निर्यात से १२.६ लाख पौण्ड अधिक रहा। इस बात का कोई पुष्ट संकेत नहीं है कि दक्षिण भारत से चाय का निर्यात कम हो रहा है ।

ब्रिटेन को भारतीय चाय का निर्यात

†२५०२. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में १९६० में भारत से हुए चाय के आयात में कमी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है और यदि हां, तो १९५९ की तुलना में वह कैसी है; और

(ख) कमी के कारण क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १९६० में ब्रिटेन में २५९८.६ लाख पौंड भारतीय चाय का आयात हुआ जब कि १९५९ में २८४१.१६ लाख पौंड हुआ था अर्थात् २४३.० लाख पौण्ड कम रहा ।

(ख) आयात में कमी का मुख्य कारण वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में उत्तर-पूर्व भारत में सूखे द्वारा उत्पन्न चाय के उत्पादन में कमी स उस की कम उत्पलब्धता है ।

लद्दाख में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना

†२५०३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लद्दाख में १००० तिब्बती शरणार्थियों को बसाने की योजना के संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). लद्दाख में लगभग ७०० तिब्बती शरणार्थियों को, जिन्होंने नवम्बर, १९६० तक लेह-करगिल सड़क पर काम किया था, भूमि पर बसाने का प्रस्ताव है । जिस क्षेत्र में उन्हें बसाया जाना है उस का सर्वेक्षण और उचित योजना का निर्माण अभी किया जाना है ।

प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड

†२५०४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड को सिकन्दराबाद से मौलाली ले जाने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस में कितना व्यय होगा; और

(ग) इस दशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) . विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रागा टूल्स कारपोरेशन का मरुय कारखाने के लिये पुर्जों का संभरण करनेके लिये सहायक उद्योगों का विकास करने की सुविधाओं से युक्त एक नया कारखाना स्थापित करने का विचार है । नये कारखाने के निर्माण के लिये मौलाली रेलवे स्टेशन के निकट भूमि अर्जित की जा रही है । विस्तार कार्यक्रम की कुल लागत का अनुमान १२३ लाख रुपया लगाया गया है। सरकार के अनुमोदन से प्रागा टूल्स लिमिटेड ने खरादों के चक्कों, बरमों के चक्कों, औजारों और कटनियों पर धार रखनेके चक्कों जैसी नई चीजोंका निर्माण प्रारम्भ करने के लिये ब्रिटेन के तीन साथों के साथ प्रविधिक सहयोग किया है । कुछ आवश्यक मशीनों के व्यादेश भी दिये जा चुके हैं । मई, १९६० में हुए भारत पोलैंड आर्थिक करार के अन्तर्गत उपलब्ध १ करोड़ रुपये के ऋण का लाभ उठा कर नये कारखाने में पोलैंड के साथ प्रविधिक सहयोग के लिये भी एक करार किया गया है ।

कुआला लमपुर और सिंगापुर में भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी

†२५०५. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुआला लमपुर और सिंगापुर में भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनियां आयोजित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या इसका उद्देश्य वहां भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ?

(ख) कुआला लमपुर—१३-४-१९६१ से २९-४-१९६१ तक

सिंगापुर—१९-५-६१ से ४-६-१९६१ तक ।

(ग) जी, हां ।

केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२५०६. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन की सेवायें, जुलाई, १९६० की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के कारण भंग हो गयी हैं; और

(ख) क्या सेवा-भंग को क्षमा कर दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) नौ कर्मचारी ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

नई दिल्ली नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर गये केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२५०७. **श्री तंगामणि** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को जितने समय तक वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में रहे, उतने समय का कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि लेखा और सामान्य भविष्य निधि लेखे के विवरण दे दिये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क०च० रेड्डी): (क) और (ख) कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने वालों को पास-बुकें मिलती हैं जिन में हिसाब वार्षिक रूप से लिखा जाता है। अंशदान करने वाले ९० कर्मचारियों में से ८१ व्यक्तियों की पास-बुकें केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग में उनकी सेवाओं की अवधि के लिये तैयार कर दी गई हैं। बाकी ९ पास-बुकें कर्मचारियों से नई दिल्ली नगरपालिका के जरिये अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

जहां तक सामान्य भविष्य निधि लेखों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर गये केंद्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२५०८. **श्री तंगामणि :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों को, जिनके समय तक वे केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग में रहे, उतने समय का कर्मचारी अंशदायी भविष्य-निधि लेखा और सामान्य भविष्य-निधि लेखे के विवरण दे दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). कर्मचारी अंशदायी भविष्य-निधि में अंशदान करने वालों को पास-बुकें मिलती हैं जिनमें हिसाब वार्षिक रूप से लिखा जाता है। भूतपूर्व सेवा विभाग से नई दिल्ली नगरपालिका को स्थानान्तरित किये गये सभी कर्मचारियों में से २५ को छोड़ कर बाकी की पास-बुकें, उनकी केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग में सेवा के समय की, तैयार हो गयी हैं। बाकी २५ व्यक्तियों की पास-बुकें निगम से अभी तक प्राप्त न होने के कारण तैयार नहीं की जा सकीं।

जहां तक सामान्य भविष्य-निधि लेखों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्रीनिवासपुरी में क्वार्टर

†२५०९. **श्री कुन्हन :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनिवासपुरी में क्वार्टरों में लोग पहुंच गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टरों में लोग पहुंच गये हैं;

(ग) अभी कितने क्वार्टर खाली पड़े हैं; और

(घ) क्या इन क्वार्टरों में पानी के नल लगा दिये गये हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) ११८८।

(ग) जी, कोई नहीं।

(घ) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

बागान श्रमिकों का आवास

†२५१०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बागान श्रमिकों के आवास के लिये कुल कितनी धन राशि की व्यवस्था की गयी है ;

(ख) क्या सारी रकम बांट दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बागान श्रमिक आवास योजना के लिये मूलत: २ करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी थी । फिर योजना के पुनर्मूल्यांकन और बागानों के मालिकों से अपर्याप्त उत्तर मिलने के फलस्वरूप इसको घटा कर ५१ लाख रुपये कर दिया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) (१) कई मामलों में मालिकों को अपने टाइटिल डीड आदि अपने सामान्य कार्य-व्यय के लिये पेशगी के विरुद्ध बैंक में जमा कराने पड़ते हैं और इसलिये उनको योजना के अधीन ऋण के लिये राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित (अपनी बस्ती अथवा अन्य अचल सम्पत्ति के प्रथम बन्धक के रूप में) पर्याप्त जमानत देने में कठिनाई होती है ।

(२) मालिकों से अपर्याप्त उत्तर ।

चाय बागानों के लिये राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†२५११. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चाय बागानों के लिय राज सहायत-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिये कुल कितनी धनराशि दी गयी है ;

(ख) क्या यह सारी रकम बांट दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (ग). चाय बागानों के लिये पृथक् रूप से कोई राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना नहीं है । इन चाय बागानों के श्रमिकों के लिये केवल आवास योजना बागान श्रमिक आवास योजना चल रही है । उस योजना के बारे में अपेक्षित जानकारी आज अतारांकित प्रश्न संख्या २५१० के उत्तर में दी गयी है ।

रेयन टायर फोर्ड कारखाना

†२५१३. श्री आचार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में सेच्युअरी मिल नामक एक भारतीय समवाय रेयन टायर कोर्ड के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये किसी विदेशी सार्थ के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने कथित समवाय को आवश्यक लाइसेंस दे दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय सार्थ को किन शर्तों और कारणों से लाइसेंस दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) यह लाइसेंस टायर कोर्ड धागे की मांग को पूरा करने के लिये, जिसका इस समय आयात किया जाता है, विदेशी मुद्रा बचाने के लिये दिया गया है। यह लाइसेंस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन दिये गये सभी लाइसेंसों पर सामान्य रूप से लगी शर्तों के अनुसार दिया गया है।

श्रमिक शिक्षा केंद्र

†२५१४. श्री वासुदेवन नायर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कितने श्रमिक शिक्षा केन्द्र हैं और उनका राज्य-वार विवरण क्या है;

(ख) इन केन्द्रों में प्रति वर्ष कितने श्रमिकों को प्रशिक्षण मिल रहा है;

(ग) क्या सम्बन्धित प्राधिकारियों ने इन केन्द्रों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को यह सन्तोष है कि इन केन्द्रों में जीवन और अध्ययन की दशा सन्तोषजनक है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) बारह। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रत्येक में एक-एक केन्द्र और महाराष्ट्र में दो केन्द्र।

(ख) वर्ष १९६० में ५८८४ श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। फरवरी, १९६१ तक प्रशिक्षित किये गये कुल कर्मचारियों की संख्या ७३१४ है और इस समय प्रशिक्षण पा रहे श्रमिकों की संख्या ५४७७ है।

(ग) और (घ). जी, हां।

रेलवे को कोयले का आवंटन

†२५१५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कोयला परिवहन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों के लिये आवंटन का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के अधीन कोयले के परिवहन के लिये बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये इन आवंटनों में कितनी वृद्धि की जायेगी; और

(ग) पुनरीक्षित आवंटन से टन-मील के तौर पर वहन-क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). इस समय कोयले के परिवहन के लिये परिवहन सुविधाओं पर तत्काल आवश्यकता और तृतीय पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता—दोनों के दृष्टिकोण से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के परिवहन के लिये आवंटन में क्या व्यवस्था की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास

†२५१६. डा० सामन्तसिंहार : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने दण्डकारण्य क्षेत्र के विकास के लिये दण्डकारण्य विकास प्राधिकार को प्रस्थापनाओं की एक सूची दी है ; और

(ख) यदि हां, तो दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने कितनी बातें मान ली हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितनी-कितनी लागत आयेगी ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर): (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंडी की सेंधा नमक की खानें

†२५१७. श्री हेमराज बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डी की सेंधा नमक की खानों के विकास के लिये शुष्क खनन कार्य पूरे हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वे किस प्रक्रम पर पहुंचे हैं;

(ग) यन्त्रीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) वर्ष १९६१ में इस कार्य के लिये कितनी रकम आवंटित की गयी है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). गुमा खानों में शुष्क खनन कार्य जारी है; खनिकों की सुरक्षा के लिये दो सुरंगों पर कार्य पूरा कर दिया गया है ।

ड्रांग खानों में ऊपर से कूपक बैठाने की योजना कूपक बैठाने के दौरान तह की कठिन स्थिति के कारण अस्थायी रूप से रोक दी गयी है । अब यह प्रस्थापना है कि सुरंगों का कार्य आरम्भ किया जाये और मुख्य कूपक को नीचे से निकाला जाये । विशेषज्ञों द्वारा सुरंग खोलने की जगह चुन ली गयी है और कार्य जारी है ।

ड्रान्ग में खानों का यंत्रीकृत कार्यकरण नम खनन योजना के लागू होने के बाद आरम्भ किया जायेगा । इस समय यन्त्रीकरण कार्य कम्प्रेशरों और पम्पों के इस्तेमाल तक ही सीमित है ।

(घ) वर्ष १९६१-६२ में गुमा और ड्रान्ग दोनों खानों के विकास के लिये ८.५ लाख रुपये की रकम आवंटित की गयी है ।

पंजाब में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े के कारखाने

†२५१८. श्री हेर राज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में स्थापित की जाने वाली सीमेन्ट, कागज, चीनी, कपड़ा, ऊनी मिलों और छोटे औजार कारखानों की क्या संख्या है;

(ख) इनमें से कितने सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे और कितने गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) जिन स्थानों पर ये लगाये जायेंगे, उनके क्या नाम हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). क्योंकि अभी तक पंजाब की तृतीय पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इस प्रक्रम पर जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

†२५१९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के अठारह कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जलगांव में तेल के कारखाने में आग लगना

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "जलगांव में तेल के कारखाने में १७ मार्च, १९६१ को आग लग जाने के कारण २३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अन्य व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं।"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : यह विषय राज्य के अधीन है। हमारे पास इसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं आई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह तो इसकी पूर्व-सूचना के समय ही माननीय मन्त्री को विदित होगा।

†**श्री आबिद अली** : यह हमने उसी समय लिख भेजा था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाओ प्रस्ताव की पूर्व-सूचना पाकर मन्त्रालय ने सही स्थिति जानने के लिये कुछ तो किया होगा।

†**श्री आबिद अली** : हमने राज्य सरकार को तार भेजा था, पर अभी तक उसका उत्तर नहीं आया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसी परिस्थिति में माननीय मन्त्री को लोक-सभा सचिवालय को सूचित कर देना चाहिये कि राज्य सरकार की ओर से उत्तर नहीं आया है, जिससे कि उसकी चर्चा के लिये कोई और तिथि निश्चित कर दी जाये।

†**श्री आबिद अली** : हमने यह सूचना भेज दी थी।

मैं यह भी बता दूं कि राज्याधीन विषयों के सम्बन्ध में यदि हम ज्यादा पूछताछ करें, तो राज्य सरकारें उसे पसन्द नहीं करतीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री के पास जब भी राज्य-सरकार के पास से उत्तर आये, वह सारी जानकारी सभा-पटल पर रख दें। मैं इसे किसी और दिन के लिये रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

(क) इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड ; और

(ख) त्रावनकोर मिनरल्स् लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : मैं प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर-लाल नेहरू की ओर से समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) इण्डियन रेअर अर्थस् लिमिटेड का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) त्रावनकोर मिनरल्स् लिमिटेड का वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—२७७८/६१ ; और एल० टी०—२७७७/६१]

मितव्ययता के उपायों का परिणाम

†**श्री सादत अली खां** : मैं, प्रधान मन्त्री की ओर से, ३१ मार्च, १९६० (और वर्ष १९५९-६० की पहली तीन तिमाहियों के बारे में पूरक जानकारी) ३० जून, १९६० और ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली तिमाहियों में किये गये बचत के उपायों के परिणाम बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२७८६/६१]

(१) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे ; और

(२) सूती कपड़ा उद्योग के कार्यकारी दल का १९६० का प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का वर्ष १९५९—६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त किये गय कार्यकारी दल का प्रतिवेदन (१९६०) ।

(चार) उपरोक्त प्रतिवेदन पर दिनांक २४ मार्च, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या २२(१)-टैक्स (वी)/६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी०—२७८७/६१ ; और एल० टी० २७९१/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के १९६१-६२ के लिये आय-व्ययक प्राक्कलन

†**योजना और श्रम तथा रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४९ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६०-६१ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष १९६१-६२ के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७९२/६१]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :

"मुझे लोक-सभा को बताना है कि राज्य-सभा ने अपनी २७ मार्च, १९६१ की बैठक में तार विधि (संशोधन) विधेयक, १९६० को, जिसे लोक-सभा ने अपनी २३ दिसम्बर, १९६० की बैठक में पारित किया था, निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित कर दिया है :—

अधिनियमन सूत्र

१. पृष्ठ १, पंक्ति १ में "Eleventh year" ("ग्यारहवें वर्ष") के स्थान पर "Twelfth year" ("बारहवें वर्ष") शब्द रखे जायें ।

खंड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में, "1960" (१९६०') के स्थान पर, "1961" ("१९६१") अंक रखे जायें । अतः मैं इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूं कि उक्त संशोधनों से लोक-सभा की सहमति इस सभा को प्रेषित की जाय ।"

तार विधियां (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा से संशोधन सहित लौटाये गये रूप में

†**सचिव** : मैं तार विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६० को, जिसे राज्य-सभा ने संशोधनों सहित लौटा दिया है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

इक्यासीवां प्रतिवेदन

†श्री यादवनारायण जाधव (मालेगांव) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इक्यासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं, परिवहन और संचार मन्त्रालय (संचार और असैनिक उड्डयन विभाग) . . . समुद्र पारीय संचार सेवा सम्बन्धी प्राक्कलन समिति का एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ के उत्तर में शुद्धि

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : २४ मार्च १९६१ को, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जादुगुडा खान का काम भारत सरकार का मैसर्स इण्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड नामक उपक्रम चला रहा है।

सही स्थिति यह है कि आरम्भिक खुदाई का काम तो आणविक विभाग के आणविक खनिज डिवीजन द्वारा किया किया जा रहा है। भविष्य में चाहे तो इसे अणु विभाग का ही खनिज विभाग चलाये जिसे स्थापित किया जायेगा या फिर इसे रेअर अर्थस लिमिटेड चलाये। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अनुदानों की मांगें

गृह-कार्य मंत्रालय---जारी

†उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह-कार्य मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा करेगी।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। कल मैं यह कह गया था कि वर्गीय परिषदों की व्यवस्था संविधान के अनुसार है परन्तु ऐसा नहीं है। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम की व्यवस्था है।

†श्री जं० ब० सि० ह्रिष्ट (अल्मोड़ा) : श्रीमान्, पहाड़ी क्षेत्रों में आज एक प्रकार का असंतोष पाया जाता है। कांगड़ा तथा हिमाचल आदि क्षेत्रों के लोग स्वायत्त सरकार चाहते हैं। हिमाचल में प्रतिनिधि सरकार बनने की बातचीत चल भी रही थी किन्तु अभी तक कुछ हुआ नहीं। आशा है कि भविष्य में ऐसा किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस समिति में गृह-मन्त्री को लिखा है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जं० ब० सिं० बिष्ट]

हिमाचल की जनता इस शासन के अधीन अप्रसन्न है। उसकी यही इच्छा है कि लोकप्रिय सरकार बने। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये। दार्जिलिंग की अपनी कठिनाइयां हैं। वहां साम्यवादी जोर पकड़ रहे हैं। उसका भी ठीक हल किया जाना चाहिये। हम सिक्किम और भूटान को काफी सहायता दे रहे हैं इस कारण सरकार को चाहिये कि वह वहां की जनता को अधिकार दिलाने का भी प्रयास करे।

इसके अतिरिक्त सब से पहली बात तो यह है कि एक तो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये रुपया ही कम दिया जाता है और दूसरे इसे योजनाबद्ध रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका उपयोग ठीक ढंग से करना चाहिये।

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का विकास शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिये। वहां पर योजना के काम को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाता। एक डाकघर जिसे १९५६ से पहले ही बन जाना चाहिये था, अब तक भी नहीं बन पाया है।

इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसे भी शीघ्र ही लागू किया जाय। अविकसित क्षेत्रों का विकास करने से ही हमारे देश का कल्याण होगा।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपुर) : हम नये गृह-कार्य मंत्री की सफलता की कामना करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने प्रशासनिक संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए। आज जिले को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा जितना कि उसका है। इस कारण जिलों का प्रशासन कनिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाता है और यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वरिष्ठ अधिकारी राजधानियों में ही सचिवालयों का काम करने लगे हैं। जिले की अपेक्षा सचिवालय को ज्यादा पसन्द किया जाने लगा है। इस प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। हाल ही में जबलपुर में जो दंगे हुए उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि जिलों का काम संभालने वाले अधिकारी ज्यादा योग्य और समझदार होने चाहिएं। यदि वहां पहले ही करफ्यू लगा दिया जाता तो गड़बड़ ही क्यों होती। हमें यह नियम बना देना चाहिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को दो तिहाई सेवाकाल जिलों में बिताना चाहिए।

हमें जिलों में प्रशासन करने के काम के बारे में उपयुक्त प्रशिक्षण दिलाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। पहले तो कलेक्टर छोटे अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया करता था और इस तरह एक स्वस्थ परम्परा बन गई थी किन्तु अब पहले तो कलेक्टरों को ही ज्यादा अनुभव नहीं और दूसरे उनके पास काम भी ज्यादा है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ क्षेत्रों का काम विशेष क्षेत्रों के पदाधिकारी ही करते हैं। बड़े बड़े जिम्मेदारी के पदों पर उसी क्षेत्र के लोगों को रखा जाता है। यह परम्परा अब पुरानी हो चुकी है। उदाहरणार्थ इस समय यही समझा जाता है कि सचिवालय के बड़े पदों को आई० ए० एस० या आई० सी० एस० अफीर ही संभाल सकते हैं। इस भावना को हमें छोड़ना चाहिये। बड़े पदों पर केवल योग्यतम व्यक्तियों को ही लगाना चाहिये। आशा है कि गृह-मंत्री इस चीज पर ध्यान करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी चीज यह भी है कि यदि एक व्यक्ति एक मंत्रालय में सेक्शन अफसर है तो उसे अवर सचिव बना कर दूसरे मंत्रालय में भेजना ठीक नहीं। उसकी योग्यता का लाभ उसी स्थान पर उठाना चाहिये। उन्नति देने का एक विशेष तरीका हमें निकालना चाहिए। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में जो नीति अपना रखी है उसी से फायदा उठाना ठीक होगा। एक ही मंत्रालय में उन्नति के अवसर बराबर रहने चाहिएं।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का संसद के सामने उत्तरदायी होने का सम्बन्ध है, वह तो तभी हो सकता है जब वहां प्रतिभाशाली आदमी हों। अन्यथा यह उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र बन कर रह जाता है।

माननीय मित्र ने एकता की बात कही परन्तु यह तभी संभव है जब हमारा प्रशासन ठीक चलेगा। हमें कर्मचारियों को सही उन्नति के अवसर प्रदान करने चाहियें। इस के साथ ही यह कम्पार्टमेंटल प्रणाली का भी हमें परित्याग कर देना होगा। यह तरीका घातक है।

गृह मंत्रालय को चाहिए था कि वह अपने अनुभवी अफसरों को आसाम भेजती जो वहां के प्रशासन को सही तौर पर चलाते। हमें आशा है कि गृह-मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे।

†**श्री मुहम्मद इमाम (चितलद्रुग)** : गृह-मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि देश के अन्दर विधि और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी इसी की है। इस मंत्रालय ने राज्यों के पुनर्गठन का काम किया है जो निस्संदेह बड़ा ही कठिन काम था।

किन्तु एक चीज और उठी है जो चिन्ताप्रद है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न बड़ा महत्व-पूर्ण हो गया है। हाल ही की कुछ घटनाओं से अल्पसंख्यक संत्रस्त हो गये हैं और ऐसी बातें देश की बदनामी कराती हैं। इस सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय को ज्यादा जागरूक होना चाहिए।

हाल ही में जो दुर्घटनायें घटीं उनका कारण यह था कि राज्य सरकार ने ठीक समय पर कार्यवाही नहीं की। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों से सेना हटाली गयी और पुलिस ने खुद गुंडों का साथ दिया—ऐसा बताया जाता है। फिर भी शायद सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। उन बातों की पड़ताल के लिए एक समिति बननी चाहिए। मुझे पता चला है कि विदिशा में कुछ मुसलमान अपनी जान की डर से ईद नहीं मना सके। ऐसी बातों की रोकथाम करनी चाहिए।

जहां तक भूतपूर्व राजाओं और महाराजाओं का सम्बन्ध है, दूसरे लोग भले ही उनके बारे में कुछ कहें पर हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने देश के एकीकरण के लिए कुछ बलिदान अवश्य किया है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसलिए उनकी निजी थैलियां बन्द नहीं करनी चाहिएं। इस समय देशी राजे महाराजे गृह-मंत्रालय के दबाव में हैं। वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि वे कांग्रेस के विरुद्ध बोलें तो उन्हें गद्दी का हकदार नहीं माना जाता। बस्तर के राजा की जो हालत की गयी है उसी से स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। उनकी गद्दियों का फैसला भी सरकार को खुद नहीं करना चाहिए बल्कि न्यायिक निकाय की सलाह से फैसला होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुहम्मद इमाम]

जहां तक मद्यनिषेध का सम्बन्ध है, मैं इसके लिए काफी काम कर चुका हूं किन्तु गलत नीतियों के कारण आज यह हालत है कि शराबखोरी बढ़ती ही जा रही है। शराबबन्दी से पूर्व शराब पीने का रिवाज इतना नहीं था जितना कि अब हो गया है। पहले अगर एक व्यक्ति पीता था अब सारा परिवार पीने लगा है। घर घर में शराब की भट्टियां खुल चुकी हैं। इस तरह से यह प्रयोग लगभग असफल हो चुका है। इसके लिए एक निष्पक्ष समिति नियुक्त की जाय जो सारे देश की जनता की राय लेकर उपयुक्त सिफारिशें करे। जनता के सहयोग के बिना शराब को बन्द नहीं किया जा सकता। यदि जनता का सहयोग मिले तभी मद्य निषेध लागू किया जाय, अन्यथा नहीं।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में ही जनता को न्याय देना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय की एक बेंच दक्षिण में भी स्थापित करें। सेभी दफ्तरों को दिल्ली में केन्द्रित करने की प्रवृत्ति स्वस्थ नहीं। उत्तर और दक्षिण में ज्यादा एकता लानी चाहिए। इसीलिए संसद का एक अधिवेशन बंगलौर में भी रखा जाना चाहिए। यदि वहां इमारतों की कमी है तो नई इमारतें बनाई जायें। यह बात केवल राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सामरिक दृष्टि से भी लाभप्रद है।

जहां तक दफ्तरी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सचिवों और संयुक्त सचिवों की ही कोई कमी नहीं है। परन्तु इस समय हमें काफी बचत से चलना चाहिए।

राज्य सरकारों के कर्मचारी असन्तुष्ट हैं। उन्हें केन्द्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन मिलते हैं। यदि सरकार सन्तोष पैदा करना चाहती है तो उनके वेतन भी केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर करने चाहिएं। वेतन में असमानता देश हित के लिए घातक है। इस समस्या को राज्यों पर ही न छोड़ा जाय। केन्द्र को खुद इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री मु० हि० रहमान (अमरोहा) : मोहतरिम स्पीकर साहब, मिनिस्ट्री आफ़ होम एफ़ेयर्ज़ (गृह-कार्य मंत्रालय) के बारे में कई दिन से बहस जारी है और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा यह महकमा बहुत ही अहम है। मुल्क के अमनो-अमान का ताल्लुक इसी से है। और लोगों की मुआशी जिन्दगी और सर्विसिज का ताल्लुक भी इसी से है। मैं बहुत ही अफ़सोस के साथ मजबूर हूं। चन्द ऐसी बातें गुजारिश करने पर, जिनके बारे में जी चाहता था कि वे बातें अगर पेश न आतीं, तो आज मुझको हाउस में कहनी न पड़तीं।

जहां तक ला एंड आर्डर (विधि और व्यवस्था) का ताल्लुक है, जहां तक मुल्क के अमनो-अमान का ताल्लुक है, जहां तक लोगों के जानो-माल और आबरू का ताल्लुक है, इस मामले में १९४७ से लेकर इस वक्त तक हम लोग महसूस कर रहे हैं कि एक लालेसनेस पैदा हो चुकी है और मुल्क में सही मानों में मज़बूती और कुव्वत के साथ ला एंड आर्डर पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई किसी एक फ़िर्के का सवाल नहीं है—हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई जितने भी बसते हैं, आजकल कुछ ऐसी जिन्दगी हो गई है कि हर शख्स यह महसूस करता है कि दुनिया में एक च्यूंटी की कीमत हो सकती है, लेकिन इन्सान के जानो-माल और आबरू की कीमत नहीं है। यह बात बहुत खतरनाक और तकलीफ़देह है और इस बारे में यह कहना काफी नहीं है कि यह स्टेट गवर्नमेंटों का काम है कि वे अपने अपने मुकामों पर उन चीजों का लिहाज़ करें, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ होम एफ़ेयर्ज़ की जिम्मेदारी यह नहीं है। मैं समझता हूं कि सब से बड़ी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री आफ़ होम एफ़ेयर्ज़ की है। उसका यह फ़र्ज़ है कि स्टेट्स की होम मिनिस्ट्रियों

के काम को खास तौर पर चैक करे। वह देखे कि वहां किस तरह से काम हो रहा है और लोग अपने जानो-माल और आबरू के बारे में क्यों यह महसूस करते हैं कि आज हम आज़ाद और महफूज़ नहीं हैं। मैं हिफ़ज़ुलरहमान होने की हैसियत से यह गिनाऊं कि पिछले तेरह चौदह बरसों में कितने फ़सादात हुए हैं और उन फ़सादात में अकलियतों (अल्पसंख्यकों) का, और खास तौर पर मुस्लिम अकलियत का कितना नुकसान हुआ है, कितनी तबाही हुई है। तो यह ऐसी चीज़ है कि जबलपुर और सागर ने उसको बिल्कुल नंगा कर दिया है। वाकात इस तरह के हुए हैं कि आज उन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ख्वाहिश है और मैं समझता हूं कि हाउसे की भी यही ख्वाहिश है कि कम से कम ला एण्ड आर्डर के बारे में ऐसी मजबूत पालिसी अख्तियार की जाए कि जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर हटने की कोशिश करें तो हट न सकें। स्टेट गवर्नमेंट्स में खास तौर पर होम मिनिस्टर्ज़ जितने भी हैं, जितने भी हज़रात होम मिनिस्टर्ज़ हैं, अगर उनमें कोई ऐसी कमज़ोरी है कि वे इस तरह की चीज़ों को सम्भाल नहीं सकते हैं, तो यह उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है, और उनका इख्लाकी फ़र्ज़ है, कि वे मुस्तैफ़ी हो जायें और अगर वे नाकाम साबित होते हैं, तो इस तरह से वे कुर्सियों पर बैठे न रहें।

हमारे सामने हमारे मुहतरिम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मिसाल मौजूद है। जब वह रेलवे मिनिस्टर थे तो कई बार एक्सीडेंट्स हुए थे जिस तरह से कि और मिनिस्टर साहिबान के ज़माने में होते रहते हैं। लेकिन एक सख्त एक्सीडेंट हो जाने के बाद उन्होंने अपने आप इस्तीफा दे दिया। उन्होंने महसूस किया कि मैं जिम्मेदारी के साथ काम करने की कोशिश करूं और अगर आम तौर पर में कामयाब नहीं हूं तो मुझे उस जगह पर नहीं बने रहना चाहिये। । लेकिन बड़े बड़े फसादात, सागर में, दमोह में, कटनी में, जबलपुर में हो जायें और जो मिनिस्टर हैं वह उसी तरह से बैठे रहें, काम करते रहें और लोगों की जान, माल और आबरू बरबाद होते देखते रहें, यह उनके लिये कैसे जायज़ हो सकता है। चाहे यह अकलियतों का सवाल हो या अकसरियत (बहुसंख्यकों) का हमें सभी की हिफाजत करनी है और खास तौर पर अकलियतों की तो पूरी कुव्वत और मजबूती के साथ करनी है। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि यह पूरे मुल्क का सवाल है, मुल्क की आज़ादी का सवाल है, मुल्क के वक्कार का सवाल है, मुल्क की शान्ति का सवाल है, उसकी सालमियत का सवाल है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ खास तौर पर तवज्जह दी जाए।

सर्विसिस का जहां तक ताल्लुक है मेरी गुजारिश है और मैंने पिछली दफा भी इस तरफ आपकी तवज्जह दिलाई थी कि आप मुझसे फिगर्ज़ न मांगें। लेकिन इस बात का पता होना चाहिये कि इन चौदह सालों में गजेटिड पोस्ट्स और नान-गजेटिड पोस्ट्स में अकलियतों के लोग और खास तौर पर मुसलमान किस हद तक लिये गए हैं। मुसलमानों के बारे में मैं कह सकता हूं कि उनको उनका हक नहीं मिला है, उनके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया गया है, उनको बिल्कुल इगनोर (अनदेखा) कर दिया गया है, बिल्कुल नज़र-अन्दाज़ कर दिया गया है। आप अपने गजेट उठा कर देखें कि कितने मुसलमान लिए गए हैं बजाय इसके कि आप मुझसे मुतालिबा करें कि मैं फिगर्ज़ आपको दूं। ये सरकारी गजेट हैं और इनसे आपको सारी फिगर्ज़ मिल जाएंगी। हजारों की तादाद में जगहें निकलती हैं और मैं जानना चाहता हूं कि उनमें कितने मुसलमान लिए जाते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि यह आप तो नहीं फरमा सकते हैं कि १९४७ के बाद तमाम मुसलमान नाकाबिल हो गए हैं, नालायक़ हो गये हैं, और ना-अहल हो गए हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या वजह है कि उनको नहीं लिया जाता है और क्या वजह है कि तास्सुब बरता जाता है। आखिर उन्हें इस मुल्क में रहना है यहां जीना है और यहीं मरना है। तो वे कहां जाकर मुलाज़मित करें ? उनके नौजवान क्या करें और किस तरह से अपने आपको बरबाद होते देखते रहें। काबिल से काबिल मुसलमानों का भी यही हाल है कि वह फर्स्ट डिवीजन

[श्री मु० हि० रहमान]

में आते हैं, फर्स्ट पोज़ीशन यूनिवर्सिटीज में उनकी आती है लेकिन उनको कोई दो कौड़ी का नहीं पूछता है और जब इस तरह की कोई शिकायत की जाए तो हमसे ही फिगर्ज़ मांगे जायें यह कहां तक मुनासिब है। क्या यह मुमकिन है कि मैं तमाम हिंदुस्तान में घूम कर तमाम गजेट जमा करूं और आपको लाकर फिगर्ज़ बताऊं ? गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का आफिसिस सैक्रेटेरिएट है, सूबों में, स्टेट्स में सैक्रेटेरिएट्स हैं, आप उनको मुलाखता फरमायें तो आपको पता चल जायेगा कि मुलाज़मतों में मुसलमानों की क्या निसबत है। यह कहना काफी नहीं है कि वे मुलाज़िमतों के लिए दरख्वास्तें नहीं देते हैं, इंटरव्यू में नहीं आते हैं। यह बात भी सही नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंटरव्यू नहीं गया है तो वह मजबूरी की वजह से नहीं गया है। बेहतर से बेहतर पोजीशन के बावजूद चौदह चौदह मर्तबा दरख्वास्तें देने के बावजूद अगर उसको इंटरव्यू तक में नहीं बुलाया गया और वह मायूस हो गया तो यह एक नैचुरल सी बात है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ खास तौर से आपकी तवज्जह जाए।

एक और बात मैं मुख्तसिर तौर पर कह देना चाहता हूं। एक वक्त था जब रेलवे के मुलाजिमों के बारे में और साथ ही दूसरे मुलाजिमों के बारे में कुछ ऐसे एहकाम हुए थे कि अगर सी० आई० डी० उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दे तो उनको मुलाजिमत से अलग कर दिया जाए। अगर किसी की एक्टीविटीज़ खराब हों, तो उसके बारे में भी ऐसा किया जाता था। लेकिन जब सी० आई० डी० ने इसका गलत इस्तेमाल शुरू किया तो हमने ऐसे मामले सरदार पटेल मरहूम के सामने पेश किए और उनसे खास तौर पर कहा कि यह क्यों हो रहा है और क्यों हो। सी० आई० डी० जिसको चाहे उसके बारे में बेदलील कोई चीज़ लिख दे और उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। क्या यह कोई मसले का ठीक हल है। उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि कैबिनेट ने मुत्तफिका तौर पर तय कर दिया है कि सी० आई० डी० का लिख देना काफी नहीं होगा जब तक कि वह बराबर इसके बारे में रीजंज़ और दलीलें न दे कि फलां फलां एक्टिविटीज़ इस शख्स की मुल्क के लिए मुज़र हैं और जब तक ऐसा नहीं होगा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी लेकिन पिछले दिनों में यह नहीं हुआ है और अब यह तरीका चल रहा है कि किसी को जमाअत इस्लामी का मेम्बर बता कर औरकभी फिरकापरस्त एक्टिविटीज़ बता कर तनहा सी० आई० डी० की रिपोर्ट पर जिसमें कोई रीजंज़ और दलीलें नहीं दी गईं उनको अलग कर दिया गया---

श्री त्यागी (देहरादून) : ऐसा हुआ है ?

श्री मु० हि० रहमान : सात केसिस मेरे पास हैं जिनमें से मैं तीन केसिस बड़ी मुश्किल से ठीक करवा पाया हूं। चार केसिस अभी भी जारी हैं। खुदा जाने और हिन्दुस्तान में इस तरह के कितने केसिस होंगे। ये तो वे केसिस हैं जो मेरी नज़र में आए हैं। बिहार में एक ग़तीक का मामला था जो कि डेढ़ पौने दो साल के बाद जाकर और बड़ी जद्दोज़हद के बाद ठीक हुआ। कोई नाजायज़ कार्रवाई उसने नहीं की थी, लेकिन एक लफ्ज़ सी० आई० डी० ने लिख दिया कि वह जमाअत इस्लामी से ताल्लुक रखता है और उसको निकाल दिया था। अजमेर का केस मौजूद है, राजस्थान का केस मौजूद है, और वे चल रहे हैं। इस तरह से खुदा जाने और कितने केस होंगे। एक प्लान कहिये या एक टेक्नीक कहिये जब चाहते हैं किसी को जमीयत इस्लामी का मेम्बर बता कर या किसी और बिना पर उनको बरतरफ कर दिया जाता है। बाकी सारे के सारे चाहे वे जनसंघ से ताल्लुक रखते हों या हिंदू महा सभा से रखते हों, उनको बरदाश्त कर लिया जाता है, उनके लिए ये एहकाम फौरन आना नाखुद नहीं होते, उनको बरदाश्त कर लिया जाता है। यह तरीका ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर नजर सानी हो।

यह पहला मौका है जब मुस्लिम अकलियतों की तबाही के बारे में, जबलपुर, सागर वगैरह के वाकयात से मुतासिर हो कर इस हाउस के हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी वगैरह सभी मेम्बर साहबान ने इस बात का इज़हार किया है कि यह बहुत भारी ज्यादती हुई है, और बहुत बुरा हुआ है। और सभी जमाअतों ने स्टेटमेंट दिए हैं कि जबलपुर में मुस्लिम अकलियत को बर्बाद किया गया है। लेकिन इसके बावजूद होता क्या है कि इस हाउस में बाज़ ऐसे भाई हैं जो चाहते हैं कि इसको हल्का करने के लिए उलटा मुस्लिम अकलियत को ही मुजरिम करार दे दिया जाए। कभी जमीयत उल उलेमा का नाम ले लिया जाता है कभी अखबार अल जमीअत के पर्चे में से पढ़ कर सुना दिया जाता है। आखिर इस अखबार ने क्या लिखा है ? "युग धर्म" का कोई कसूर नहीं है, "आर्गेनाइजर" का कोई कसूर नहीं है, "प्रताप" का कोई कसूर नहीं है, इस किस्म के अखबारात जो मुसलमानों को इंतहाई तौर पर जलील करते रहते हैं, पाकिस्तानी बताते रहते हैं, कि मुसलमानों के लिए तो यहां कोई जगह नहीं है, उनके रहने के लिए कोई मुकाम नहीं है, उनको यहां नहीं रहना चाहिये। लेकिन ये अखबारात जिनमें कतल तक की धमकियां लिखी रहती हैं, उनका कोई जुर्म नहीं बताया जाता मगर अल जमीयत का पर्चा यहां पढ़ कर सुना दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या लिखा है उसमें ? उसमें इतना ही तो लिखा है कि जब तुम तबाह और बरबाद हो रहे हो तो तुम कानून का एहतराम करते हुए अपनी जगह पर डट कर रहने के लिए, जितना कर सकते हो करो। उसमें यह नहीं कहा गया है कि कानून हाथ में ले लो, कानून का एहतराम मत करो लेकिन यह जरूर कहा गया है कि मायूस न हो, डिमारेलाइज न हो, डट कर डिफेंस करो अपने आपको और ऐसा करना तुम्हारा हक है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कौन सी बुरी बात है जो लिखी गई है ? मेरे पास भी बीसियों तरशे हैं जिनको मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। वक्त नहीं है कि सभी को मैं पढ़ कर सुनाऊं। लेकिन एक दो कटिंग्ज़ मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। प्रताप में जो लिखा गया—उससे यह साबित होता है कि कभी मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया जाता है और कभी किसी और तरह से इश्तआल दिलाया जाता है। इसमें लिखा है :—

"रह गया सवाल आम मुसलमानों का वफादारी का इसका जवाब मुसलमान खुद दे सकते हैं और अफसोस से कहा जाएगा कि उनके दिल में आज भी पाकिस्तान के लिये हमदर्दी है"

आगे चल कर उसने लिखा है :—

".....पिछले दिनों बीदर के शहर में मुसलमानों ने खुले बंदों पाकिस्तानी झंडा लहराया और पाकिस्तान के हक में नारे लगाये। इससे पहले ऐसा एक वाका मद्रास में भी हो चुका है। क्या इसके बाद भी सवाल किया जायेगा कि क्यों मुसलमानों पर शक किया जा रहा है।"

एक जगह वह फरमाते हैं :—

'मौलाना साहब ने यह भी मुतालिबा कर दिया कि नौकरियों में मुसलमानों के लिये जगह मखसूस होनी चाहिये गोया कि मौलाना साहब भी अपने आपको हिन्दुस्तानियों का नुमाइंदा तस्सवुर नहीं करते बल्कि सिर्फ मुसलमानों का। ऐसी हालत में अगर फिरकापरस्ी जोर पकड़ जाए तो क्या ताज्जुब।"

आगे चल कर लिखा है :—

"क्या यह वाहिद वाका है अपनी किस्म का ? क्या रोज़मरह ऐसे वाकात नहीं हो रहे हैं ? अभी पिछले दिनों दिल्ली में इसी तरह का एक वाका हुआ। क्या प्रधान मंत्री

[श्री मु० हि० रहमान]

बतायेंगे कि यह क्यों और कैसे हुआ और इसकी बाबत सरकार ने क्या किया? क्या यह अमर वाकया है या नहीं कि जबलपुर के वाकया के बाद नागपुर में ऐसा वाकया हुआ और शहर की पुलिस के आश्वासन पर पूरा एक हफ्ता इस वाकया को शाया न किया गया। क्या यह वाकया है या नहीं कि पिछले रिपब्लिक दिवस पर नासिक जिला के माले गांव के मुसलमानों ने पाकिस्तानी झंडा लहराया। बीदर में भी जो कुछ हुआ उसका जिक्र पहले किया जा चुका है। जब सरकार ने इन मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई न कि तो लोगों को हड़ताल करनी पड़ी। फिरोजाबाद में एक मस्जिद से जन्म अष्टमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं, जबलपुर में मस्जिद से गोली चलाई जाती और तेजाब से भरे बल्ब फेंके जाते हैं। यह सब कुछ क्यों हो रहा है। एक वाकया हो तो उसे कोई नजर अंदाज करे लेकिन जब यके बाद दीगरे ऐसे वाकात हो रहे हों और पुलिस हरकत में न आए क्योंकि ऊपर बैठे कांग्रेसी वजीरों को मुसलमानों की वोटें चाहियें और इसलिए वे मुसलमान गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।"

एक जगह फरमाते हैं :—

"फिरकापरस्ती और पंडित नेहरू

कांग्रेस वर्किंग कमेटी एलान करती है कि जबलपुर के वाकयात की तहकीकात की जाएगी। बेशक यह होनी चाहिये लेकिन यह भी तो बता दिया जाए कि असम के हालिया फसादात की तहकीकात क्यों न की गई? क्या जबलपुर के वाकात की तहकीकात इसलिए होती है कि उसमें हिन्दुओं को भी रगड़ा जा सकेगा और असम की इसलिए नहीं कि वहां कांग्रेसी हुकूमत की नालायकी और कांग्रेसियों की मुजरमाना जानिबदारी मंजरे आम पर आएगी। यह वह दो अमली है जो कांग्रेस को बदनाम करती है। यह नहीं हो सकता है कि असम के बदमाशों को माफ कर दिया जाए क्योंकि वे कांग्रेसी हैं और जबलपुर में लोगों को धर लिया जाए क्योंकि वे कांग्रेसी नहीं। यह नहीं हो सकता कि बदमाशों की तो हौसला अफजाई की जाए और फिरका परस्तों को सजा दी जाए। मुल्क के किसी भी कोने में अगर एक भी कसूरवार को माफ किया जाएगा तो इसका असर मुल्क के चालीस करोड़ बाशिन्दों पर होगा। हुकूमत करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पंडित नेहरू और उनके साथियों को समझ लेना चाहिये कि उन के अपने अमल से फिरकापरस्ती बढ़ रही है और यह इसलिए बढ़ रही है कि फिरकापरस्त यह देख रहे हैं कि नेहरू हुकूमत में उन बदमाशों को कोई पूछने वाला नहीं जो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस से वाबस्ता हैं। तखरीबी अनासुर सब एक हैं चाहे यह जबलपुर में रहते हैं और चाहे असम में"।

इस तरह की इश्तालअंगेज तहरीरें मुसलमानों के खिलाफ लिखना क्या फिरकापरस्ती नहीं है और क्या यह ठीक है। यह कौन सा तरीका है? इससे अमन अमान क्या कायम रह सकता है? किस तरह से उसका तहाफुज हो सकता है? यह कितनी अजीब बात है कि जिस जमीयत

उल उल्मा के लाखों आदमियों ने अपनी कुर्बानियां दे कर हिन्दुस्तान को आजाद कराने में हिस्सा लिया, इस मुल्क में नैशनेलिटी कायम करने के लिए जद्दोजहद की, सैक्युलरिज्म की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगाया और खून बहाया, आज उसी को बदनाम किया जाए। अगर एक ऐसे मौके पर, जब मुसलमानों में यह बरबादी आई, उलजमैत ने दो चार आर्टिकल ऐसे लिख दिये जिस में कि मुसलमान बिल्कुल डिमारलाइज न हो जायें, बेबस न हो जायें, तो वह फिर्कापरस्ती है, और सुबह से शाम तक उन के खिलाफ जो आग बरसाई जाय, उसे कोई फिर्कापरस्ती नहीं कहता।

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

सच कहा है किसी शायर ने:

"जब कोई फितना जमाने में नया उठता है,
वह इशारे से बता देते हैं तुर्बत मेरी।"

सारा कुसूर जो है वह मुसलमान बेचारे का है। इस हिन्दुस्तान में जब से पार्टिशन हुआ है, मुसलमान से ज्यादा गुंडा, मुसलमान से ज्यादा बेईमान और गैरवफादार और कोई है ही नहीं। यह लेकिन किस कदर अफसोसनाक पहलू है। इस में हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिस से कि अकलियतों को, खास तौर पर मुसलमान अकलियतों को यह ख्याल पैदा हो कि हम भी इस मुल्क के बराबर के बाशिन्दे हैं। हम सेकुलर स्टेट को मानते हैं, हम ने अपनी जानें दी हैं। आज किसी फिर्कापरस्त को इस मुल्क से कैसे मुहब्बत हो सकती है? जब अंग्रेज की गोलियां चल रही थीं तो वह कुंडी और किवाड़ बन्द किये बैठे थे। आज हो सकता है कि उन को अपन मुल्क से मुहब्बत न हो, लेकिन जिन्होंने सन् ३२ में चांदनी चौक में खड़े हो कर मि० अली, सुपरिन्टेंडेंट से कहा था कि गोली मार सके तो मार, मगर आजादी का अहदनामा पढ़ा जायगा। जो लोग जेलों में सड़ सकते हैं, आज उनको फिर्कापरस्त नहीं बनाया जा सकता मगर वही लोग आज उनको फिरकापरस्त बतला रहे हैं और उनके अखबारों को भी और वह लोग जो आज कांग्रेस या नेशनलिस्ट जमातों के सदके में इस आजाद मुल्क में बैठे हैं और हमेशा फिर्कापरस्ती बरतते रहे हैं वह उल्टे दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करें? यह सब क्यों है? मुझे उन से शिकायत हरगिज नहीं है, मुझे होम मिनिस्ट्री से शिकायत है, मुझ को इस की शिकायत है कि स्टेटों के अन्दर जो होम मिनिस्टर आप मुकर्रर करते हैं उन के काम को देखा नहीं जाता। स्टेट के अन्दर अगर आप ला ऐंड आर्डर की जिम्मेदारी किसी को दें तो आप को चेक करना होगा कि वह सही तौर पर अमल कर रहा है या नहीं। यह सारी जिम्मेदारी आप के ऊपर है, स्टेट के ऊपर नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरह करती हैं तो वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट हैं। उन का फर्ज है कि वह एख्लाकी तौर पर वहां से मुस्तफी हों। आप उन को उस कुर्सी से हटा कर कहें कि वह इस काबिल नहीं हैं कि जिम्मेदारी ले सकें।

आज जबलपुर में जुडिशल इन्क्वायरी हो रही है। हमारे सामने यह था कि वहां पर ३ आदमी इस के लिये रक्खे जायेंगे। एक बेंच होगी, जिस में कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिये था, जिस में खुद मध्य प्रदेश के बाहर का जज होना चाहिये था। एक जज साहब ग्वालियर से बचारे आये। मैं उन के खिलाफ कुछ नहीं कहता वह ठीक ही होंगे। वह भी किस हालत में कि जबलपुर और सागर के सारे हुक्काम, जिन्होंने उन मुसलमानों को तबाह करने में हिस्सा लिया है, चश्मपोशी बरती है, वह वहां मौजूद हैं। मैं ने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, आज भी वह हुक्काम कह रहे हैं कि अगर मेरे मुआफिक मुसलमानों ने गवाही न दी तो उन का वारंट काट दिया जायगा और वह जेल में भेजे जायेंगे। आज उन में से किसी का ट्रांस्फर नहीं

[श्री मु० हि० रहमान]

हुआ है, तबादला नहीं हुआ है। ऐसी हालत में लोगों को कैसे इन्साफ मिलेगा? अगर जुडिशल इन्क्वायरी हो तो मेहरबानी कर के उस में बाहर के जज रक्खे जायें। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिये, एक स्टेट का जज होना चाहिये। ग्वालियर के जो जज साहब मौजूद हैं वह भी रहें, लेकिन तमाम हुक्काम का ट्रांस्फर लाजिमी है, वर्ना यकीनी तौर पर, इस इन्क्वायरी से कभी भी इन्साफ नहीं मिल सकता, और हम कभी मुतमईन नहीं हो सकते। और कोई भी इन्साफ पसन्द हिन्दू मुसलमान मुतमईन नहीं हो सकता। यह मैं ही नहीं कहता हूं, हिन्दू कहते हैं, सिख कहते हैं कि यह क्या इन्क्वायरी है जिस के अन्दर एक आदमी ग्वालियर से उठा कर बिठला दिया गया और तमाम के तमाम हुक्काम, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वहीं जमा हुआ बैठा है जो कि लोगों को हैरेस कर रहा है और मुसलमानों को धमकाता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला देंगे और तुम्हारा यह कर देंगे, वह कर देंगे। आखिर इस तरह से कैसे इन्साफ मिलेगा और कैसे सही गवाह लाये जा सकते हैं? इस का इन्तजाम नहीं हुआ है तो कैसे काम होगा?

श्री त्यागी: आज भी वह काम करते हैं?

श्री मु० हि० रहमान: वही लोग हैं। सब उसी तरीके से कायम हैं। जब तक जबलपुर से वह नहीं हटेंगे तब तक किसी तरह का इन्साफ मिलना नामुमकिन है। अगर मैं इस चीज को यहां न कहूं, हाउस में न कहूं, अपने होम मिनिस्टर से न कहूं, जिन का हम एहतराम करते हैं, जो हमारे मामलात का सही मानों में अपने आप कोशिश कर के बहतर बनाते हैं, तो किस से कहूं? हम उन से जरूर कहेंगे। मैं इस मौजूदा पोजीशन से मुतमईन नहीं हूं। मैं इस हाउस को यकीन दिलाता हूं कि अगर यही तरीका जारी रहेगा तो इस तरह से इत्मीनान नही मिल सकेगा ऐसे ही आप अपना ढिंढोरा पीटते रहें कि हम सेकुलर स्टेट हैं। कोई अक्लमन्द इस बारे में मुतमईन नहीं हो सकता। हम जान देने के लिये तैयार हैं सेकुलर स्टेट के लिये, हम जान देने के लिये तैयार हैं अगर हिन्दुस्तान से बाहर का कोई अपनी आंख बदल कर हिन्दुस्तान को देखे। गोलियों के सामने भी हम सीना ताने रहेंगे। लेकिन इस के बरअक्स हम इस तरीके से मुसलमान अकलियतों को बरबाद और तबाह नहीं देख सकते। यह चीज आप को करनी होगी, इन्साफ देना होगा, सही तौर पर इन्तजाम करना होगा, और मुझ जैसे बोलने वाले को यह कह कर चुप नहीं किया जा सकता, कि यह फिर्कापरस्ती है क्योंकि अगर हजारों फिर्कापरस्तों का लेबल भी लगा दिया जाय तो वह मेरी कौमपरस्ती को खाक में नहीं मिला सकती। बल्कि मेरी कौमपरस्ती उनकी फिर्कापरस्ती के लेवलों को बहम कर देगी।

श्री उइके (मंडला रक्षित अनुसूचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, आज मुझे सिर्फ आदिवासियों के सम्बन्ध में और अपने मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में बोलना है, किन्तु मेरा जो विषय नहीं था, उस की तरफ अभी कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे जबर्दस्ती खींच लिया, और वह है बस्तर का मामला। बस्तर के सम्बन्ध में इस गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि राजा गद्दी से अलग कर दिया गया और उन के भाई को उन की जगह दे कर उन के प्रीवी पर्स में काफी कमी कर दी गई है। यह जो केन्द्रीय सरकार ने किया, उस के लिये मैं उस को धन्यवाद देता हूं। उस ने यह बहुत उचित काम किया और जिस ढंग से इस बस्तर के मामले को वहां की सरकार ने सम्भाला, उस के लिये मैं मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां के अखबारों में बस्तर के सम्बन्ध में आदिवासियों को ले कर इतने समाचार रोज निकलते थे जिस का ठिकाना नहीं है कि वहां के आदिवासी उस राजा के बहुत भक्त हैं, जैसे कि एक सदस्य ने कहा कि वे उस को देवता मानते हैं।

उस की मोटर जिधर से निकलती थी, उस की लकीर की मिट्टी ले कर अपने माथे पर लगाते हैं। आदिवासियों के सम्बन्ध में वहां के राजा और उन के साथी जो थे वे निराले प्रकार के स्टेटमेंट निकाला करते थे। यहां बैठे बैठे हम पढ़ते थे। हमें यह भय होता था कि कहीं ऐसा न हो कि सीधे सादे आदिवासियों को बेमतलब किसी अफसर की गलती से किसी जगह गोली (फायरिंग) का सामना करना पड़े और २०० या ४०० आदिवासी अनायास मारे जायें। इस सम्बन्ध में मुझे चिन्ता थी और मैं अपने प्रधान मंत्री जी से मिला, और उन से यह अर्ज किया कि जैसा अखबारों में बतलाया जाता है वैसे वहां की जनता वहां के राजा को देवता नहीं मानती है। जो कांग्रेस संस्था बीच में लाई जाती है उस कांग्रेस संस्था को मानती है। वहां की जनता अपने आप में एक संगठन है और वह अपने आदिवासियों की जो पुरानी प्रथायें हैं, जो रीतियां हैं, उन के अनुसार चलना चाहती है। इस स्थिति को सम्भालने में सब से जरूरी बात यह है कि राजा के जितने समर्थक हैं बस्तर में उन को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाय। अगर ऐसा किया जायेगा तो आदिवासियों के ऊपर जो आपत्ति आने वाली दिखाई देती है वह नहीं आ सकेगी। अगर हो सके तो जैसे अन्य प्रदेशों में यहां से कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर भेजे गये थे वैसे ही कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर बस्तर की परिस्थिति को देखने के लिये भेजे जायें।

बस्तर के राजा को बड़े अच्छे ढंग से गिरफ्तार करके अलग कर दिया गया है लेकिन अब उनकी रानी साहिबा के नाम से अखबा ों में बहुत सी बातें निकलने लगी हैं। उनके सम्बन्ध में एक बड़ी रिपोर्ट यहां के "हिन्दुस्तान" पेपर में प्रकाशित हुई है। मुझे भी इस सम्बन्ध में जानकारी थी। इस पेपर कटिंग के अनुसार रानी किसी आदमी के पास थी। चालीस या पैंतालीस साल की उम्र उसकी है। कहा जाता है कि एक सिनेमा ऐक्ट्रेस से शादी कराने का लोभ दिखाया गया और उसके मिलाने में ४० या ५० हजार रुपया भी खर्च हुआ। लेकिन जब ऐक्ट्रेस राजा के पास नहीं पहुंचाई गई ो उस को मिलाने में जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्होंने इस औरत को ही खींच कर राजा के पास लाये। वह जिसके पास थी उसकी भी औरत नहीं थी, पर उन्होंने उसको अपने घर में रख लिया और कुछ शादी की रस्म भी हुई।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औचित्य प्रश्न यह है कि किसी के व्यक्तिगत आचरण की चर्चा यहां नहीं की जानी चाहि ।

श्री उइके : यह चीज ो अखबार में है। मेरे पास अखबार की कटिंग मौजूद है। इस सम्बन्ध में मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। ुझे यहां के कायदे कानून नहीं मालूम हैं। यह बात अखबार में आयी थी, इसलिये जो सच्ची बात है वह मैंने आपके सामने रख दी।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम किसी के व्यक्तिगत चरित्र की चर्चा नहीं करते। लेकिन तभी तक जब तक उसका जनता पर सीधा प्रभाव न पड़ता हो। यदि वह बस्तर के राजा न होते और भत्ते व रह की मांग न करते होते, तो उनकी सौ पत्नियां होने से भी हमें कोई सरोकार न होता। हर देश में शासकों का एक चारित्रिक मानदण्ड होता है।

माननीय सदस्य सके बारे में काफी कह चुके हैं। अब उनको इसकी ओर अधिक विस्तृत चर्चा नहीं करनी चाहिये।

श्री उइके : मैं यह इसलिये बतला रहा था कि रानी साहबा ने एक स्टेटमेंट निकाला है कि अगर राजा साहब को छोड़ दिया जाता है तो मैं सरकार को विश्वास दिलाती हूं कि किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं होगी। अगर राजा साहब को नहीं छोड़ा जाएगा तो जो गूंगे आदिवासी हैं उनकी काफी खून खराबी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उइके]

मैं राजा साहब को दोष नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आदिवासी राजा साहब के प्रभाव में नहीं हैं। यहां पर कहा गया कि जब सन् १९५२ में राजा साहब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे इसलिे उस वक्त कांग्रेस के सारे के सारे उम्मीदवार हार गए और जब सन् १९५७ के चुनावों में राजा साहब कांग्रेस के साथ थे तो कांग्रेस के सारे उम्मीदवार जीत गए। इस पर से यह बताया जाता है कि वहां के आदिवासी राजा साहब को देवता मानते हैं; लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। सन् १९५२ में वहां किसी को चुनाव लड़ने का ज्ञान तक नहीं था। आठ चुनाव क्षेत्रों में से पांच चुनाव क्षेत्रों से तो निर्विरो ही चुन लिए गए, तीन स्वतन्त्र और दो कांग्रेस के। तीन जगह जो कि शिड्यूलड कास्ट की तथा जनरल कांस्टीट्यूएंसी थीं उनमें ो कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। तो न तो राजा का प्रभाव आदिवासियों पर है और न कांग्रेस का। सन् १९५७ में जबकि राजा साहब कांग्रेस की तरफ आ गए थे उस वक्त भी आदिवासि ों ने आठों चुनाव क्षे ों में वि ोध किया था और नारायनपुर के चुनाव क्षेत्र में वि ोधी उम्मीदवार करीब १३,००० मत ले गया। वह स्वतन्त्र उम्मीदवार था ६५ फीसदी मतदान हुआ। इसी तरह से राजा साहब का विरोध भी आदिवासियों ने किया और राजा साहब के विरोधी उम्मीदवार को १३००० से ऊपर मत मिल गए जबकि राजा साहब को ३१ हजार मत मिले। उस निर्वाचन क्षेत्र में ४४ प्रतिशत मतदाताओं ने ही मतदान किया था। अगर राजा का प्रभाव होता तो राजा को ८० य ९० प्रतिशत वोट मिलते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ो मैं यह बताना चाहता हूं कि आदिवासी राजा की बात मानने वाले नहीं हैं।

फिलहाल वहां एक भीड़ पर अश्रुगैस छोड़ी गयी है आज के समाचार पत्रों में यह समाचार है। मैं तो आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि बस्तर में जो कुछ झगड़ा होता है उसको आदिवासियों का झगड़ा बताया जाता है यह बात सही नहीं है। अखबार में दिया हुआ है कि कुछ महार लोगों ने एक पुलिस वाले को मारा और कप्तान को मारा। ो महार जो राजा के पगाही नौकर थे शराब पिये थे गिरफ्तार भी हुए। यह हो सकता है कि कुछ आदिवासियों ने इस झगड़े में भाग लिया हो। आप जानते हैं कि आदिवासी शराब पीते हैं। अगर कोई उनको शराब पिला देगा तो इस तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग राजा के पेड नौकर हैं और इससे यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिये कि सारे आदिवासियों का इन बातों से कोई सम्बन्ध हैं। मेरा गृह मन्त्रालय से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों को और संसद के सदस्यों को वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये जाना चाहिये जैसे कि जबलपुर में या आसाम में वे लोग गए थे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि आजकल चुनाव निकट आ रहे हैं,कुछ लोग वहां गड़बड़ी पैदा करने का प्रयत्न करें जिससे कि उस इलाके के सारे आदिवासियों को हानि हो सकती हे। जैसे छत्तीसगढ़ में एक जगह आदिवासियों को भड़का दिया गया और उन्होंने दो कांस्टेबिलों की हत्या कर डाली और १९ आदिवासी गिरफ्तार कर लिये गए। लेकिन इस झगड़े से आदिवासियों का कोई सम्बन्ध नहीं था। ये लोग सीधे साधे हैं। उनको न राजा से कोई सम्बन्ध है और न वह कांग्रेस के प्रभाव में हैं। एक जगह उन्होंने भाले बर े लेकर अपना शासन ही बना लिया।

तीसरी जगह एक ग्राम ंचायत से उनको यह शिकायत थी कि वह उन पर टैक्स लगा रही थी। इसलिये आदिवासियों ने ५०० की संख्या में सरपंच का घर घेर लिया और मांग की कि पंचायत घर को बन्द कर दिया जाए और उन पर टैक्स न लगाया जाए। इस सिलसिले में ३४ आदिवासी गिरफ्तार हो गए। इसी के असन्तोष के कारण दूसरी ग्राम पंचायत के सामने भी इसी प्रकार का प्रदर्शन किया गया। तो ऐसे मामले जिधर-उधर शुरू हो गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि इनकी स्थिति की अच्छी तरह से जांच करके इनके असन्तोष को दूर करना चाहिये क्योंकि यह गृह

मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में करीब ७० लाख आदिवासी हैं जिनमें से लगभग ५० लाख छत्तीसगढ़ में हैं। अगर उनकी समस्या को अच्छे ढंग से हल न किया गया तो इस प्रकार के छोटे मोटे मामले होते रहेंगे। आदिवासी भोले भाले लोग हैं। अगर कोई उनको भड़का देता है तो भड़क जाते हैं और ससे उनका नुकसान हो जाता है। अगर उनकी समस्या का हल कर दिया गया ो यह बातें बन्द हो जायेंगी। इसीलिये मैं उनकी परिस्थिति को आपके सामने रखना चाहता हूं। यद्यपि मैं उतने अच्छे ढंग से अपनी बात आपके सामने नहीं रख सकता जैसे कि दूसरे माननीय सदस्य रखते हैं।

आदिवासियों के इलाके में शराब भी बन्द की जानी चाहिये। आदिवासियों के कल्याण का काम करना गृह मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदा ी है। स सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अगर गृह मंत्रालय नका कल्याण करना चाहता है तो जिस प्रकार पहली और दूसरी पंचवर्षीय ोजनाओं में आदिवासी कल्याण की स्कीम बना ी गयीं उस तरीके को सरकार को तीसरी पंचवर्षीय ोजना में बदल देना चाहिये। पिछली योजनाओं से जहां उनको दो आने लाभ हुआ वहां दूसरे कायदों से उनको १४ आना हानि हुई। इसी कारण आदिवासियों में असन्तोष उभर रहा है और इसका बड़ा खराब नतीजा निकल सकता है। इस समस्या को अगर गृह मंत्रालय ने नहीं समझा ो यह समस्या और भी जटिल हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

तीस ी पंचवर्षीय योजन में आदिवासियों के कल्याण की जो स्कीम बनी है उसको एक दम बदल देने की जरूरत है और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि यह जो अभी कल्याण का काम हो रहा है उसके एवज में उनका जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है और लूट हो रही है उसको अगर आप बंद कर देंगे तो आदिवासियों का कल्या होगा और वह अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ हो जायेंगे। यदि आप उस लूट को बन्द कर देंगे ो उनको आपकी सहायता की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी और वह खुद अपनी कमाई कर लेंगे और अपना कल्याण कर लेंगे।

जहां तक ग्राम पंचायतों का सम्बन्ध है मैं हाउस को बतलाना चाहता हूं कि अभी वहां से इसके वि ोध में डेढ़ ला आदिवासियों का मार्च नागपुर पर जाने वाला है। अभी जो कल्याण कार्य होते हैं उससे २ आने लाभ होता है लेकिन जो आम कायदे बदलते जा रहे हैं उससे १४ आने नुकसान हो रहा है। जंगल के जितने सुभीते थे वह बन्द हो गये। उनकी आर्थिक समस्या जंगलों पर थी। उनका जंगल का काम बन्द हो जाने और ग्राम चायतों के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिये डेढ़ लाख आदिवासियों का मार्च नागपुर जा रहा है। अब ग्राम पंचायतों के लिये मुझे यही कहना है कि ग्राम पंचायतें अच्छी हैं किन्तु सोने की छुरी होने से कोई उसे छाती में नहीं मार लेता है। आदिवासियों में जबर्दस्त अशिक्षा का प्रचार है और मैं कहना चाहता हूं कि उनका कल्याण करने की चिन्ता में वास्तव में उनके साथ जबर्दस्त अकल्याण हो रहा है। मैं गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस ग्राम पंचायत की तरफ देखें।

सी ग्राम पंचायत के सिलसिले में मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि एक ग्राम पंचायत के ऊपर ५०० आदमियों का मार्च गया और उन्होंने कहा कि हम मकान का टैक्स नहीं देंगे और तुम अपना ग्राम पंचायत का दफ्तर बन्द कर दो, नहीं तो बल प्रयोग करेंगे। और इस मामले को लेकर ३४ आदिवासी गिरफ्तार हुए और इसके कारण दूसरे गांवों में भी इस तरह की समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि ाम पंचायतों के सम्बन्ध में मंत्रालय ध्यान दे। ग्राम पंचायतों का इतिहास अच्छा नहीं है और अगर आदिवासियों में इनको शुरू किया जाता है तो उनको भारी नुकसान होने वाला है।

[श्री उइके]

जहां तक शराब बन्दी लागू करने का सम्बन्ध है मेरे विचार में आदिवासियों में इसे शीघ्र से शीघ्र अमल में लाना चाहिये। भारत की जो कम ताकत जनसंख्या है उसका शराब बन्दी से कल्याण होगा। राज्य सरकारों का ऐसा विचार है कि आदवासी इलाकों में वह शराब बन्दी लागू नहीं करेंगे लेकिन मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं और चाहता हूं कि उनमें शराब बन्दी लागू की जाय। अब आज हालत यह हो रही है कि इस बुरी लत के कारण आदिवासी इलाकों में जहां शराब की दुकानें हैं उन दुकानदारों के पास में जाकर अपनी औरतों के ोने, चांदी के जेवर और जो उनके पास में १२ महीने की फसल हो ी है वह फसल और उनके जानवर वगैरह यह सब चीजें शराब के बदले में धर आते हैं। यह शराब पीने की बीमा ी भयंकर रूप से गरीब, अशिक्षित और पिछड़े हुए आदिवासियों में फैली हुई है और मैं चाहता हूं कि उनमें नशाबन्दी शीघ्र से शीघ्र लागू की जाय और कम से कम इतना तो फौरन कर ही दिया जाय कि बाजार के दिन और त्यौहारों के दिन शराब की दुकानें बन्द रहें।

मेरी जन्मभूमि उस जिले की है जहां पर ाक शराब बन्दी की गई है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उस गांव में २०० घर की एक कुरमार जाति रहती है। शराबबन्दी लागू होने से पहले उस जाति में इतनी शराब चलती थी कि औरतें खुद शराब पीकर एक दो बंद अपने स्तनों पर छिड़क लिया करती थीं ताकि उनके बच्चे भी शराब पी लें लेकिन नशाबन्दी लागू होने से अब उनकी हालत सुधर गई है और उनके अंगों पर सोने, चांदी के जेवर हो गये हैं, उनके मकान अच्छे हो गये हैं, चूना सीमेंट वाले मकान उनके बन गये हैं। पहले उनमें शराब का इतना जोर था कि शराब की दुकान हमारे वहां १२,००० और १४,००० में नीलाम होती थी। लेकिन यह सौभाग्य का विषय है कि यह लत उनसे छूट गई है और उनकी और उनके परिवार की आर्थिक अवस्था पहले की अपेक्षा अच्छी है, खाते पीते हैं और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा हो रहा है। इसलिये मैं तो मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि भले ही दूसरी चीजों पर टैक्स लगाना क्यों न पड़ जाय नमक जैसी चीज पर भी टैक्स चाहे लगाना पड़ जाय लेकिन आप आदिवासी क्षेत्रों में शराब बन्दी अमल में लाइयें। आदिवासियों के जगह जगह जो मुखिया लोग हैं उनको आप विश्वास में लीजिये और उनको इस काम पर लगाइये। इससे आपको इस काम को करने में आसानी होगी और आपके कर्मचारियों को भी सुभीता होगा और आदिवासियों का कल्याण जल्द से जल्द होगा। बस और अधिक न कहते हुए गृह मं ालय के जो बजट सम्बन्धी अनुदान हैं उनका समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**डा० सुशीला नायरः** (झांसी) : मैं आदिवासी और सारे देश में मद्य निषेध करने की मांग का हार्दिक समर्थन करती हूं। लेकिन मद्य निषेध को सफल बनाने के लिये सब से बड़ी जरूरत यह है कि इस काम में लगन, उत्साह और गम्भीरता से जुटा जाये।

मौलाना हिफजरेहमान ने बिल्कुल सही कहा है कि जबलपुर में जो भी हुआ बड़ा बुरा था।

जबलपुर में लुटी हूई सम्पत्ति की एक पाई भी वसूल नहीं की जा सकी। दूसरी ओर सागर में जितनी भी सम्पत्ति लुटी थी, उस की आधी वसूल हो चुकी है। कारण यह है कि सागर के पहले पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिल का दौरा पड़ने के कारण उस की जगह दूसरा पुलिस सुपरिन्टेंन्डन्ट भेजा गया था।

यदि मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य स्थानों के अभिकारिसों को भी इसी तरह बदल दिया होता तो वहां भी लुटी हुई सम्पत्ति का एक बड़ा भाग वसुल हो जाता।

---

† मुल अंग्रेजी में

प्रशासन ने ८ फरवरी को एक अधिसूचना निकाली थी कि ७ फरवरी की रात में मुसलमानों ने संगठित रूप से हिन्दुओं पर हमला किया था। पता नहीं वह अधिसूचना क्या सोचकर निकाली गई थी। फिर उसे सिद्ध करने के लिये प्रशसन को कई कदम उठाने पड़े थे। अब उस की न्यायिक जांच हो रही है, इसलिये मैं उस के बारे में कोई राय नहीं देना चाहती। लेकिन न्यायिक जांच के दौरान उस प्रशासन को वहीं बने रहने देना अनुचित है। उस के हटने पर ही, वहां की जनता मे विश्वास पैदा होगा और जांच कार्य में भी सुविधा पड़ेगी।

लेकिन न्यायिक जांच की अधिसूचना में इस व्यवस्था का उल्लेख नहीं है कि जांच न्यायाधीश आवश्यक ज्ञापनों को तलब कर सकता है। प्रशासन इस के मामले में निष्पक्षता से काम नहीं ले रहा है। न्यायाधीश भी मध्य प्रदेश का ही है। होना यह चाहिये कि जांच का कार्य दक्षिण भारत के किसी न्यायाधीश को सौंपा जाये, क्योंकि वह स्थानीय साम्प्रदायिक भावनाओं से उपर उठ सकेगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : अन्य राजनीतिक दलों की भी यही मांग है।

†**श्री पहाड़िया** (सवाई माधोपुर—रक्षित-अनुसूचित जातियां): दक्षिण भारत में भी साम्प्रदायिक गड़बड़ी होती है।

डा० सुशीला नायर : वहां उसका रूप दूसरा है। सापेक्षतः वहां साम्प्रदायिकता का विष इतना नहीं फैला है। उस के ऐतिहासिक कारण हैं।

डा० कृष्णस्वामी ने सेवाओं की दक्षता का उल्लेख किया है। इस में सब से बड़ी बाधा यह है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी अब पहले की तरह देश के विभिन्न भागों में नहीं भेजे जाते। भारतीय प्रशासनकि सेवा में हर राज्य के अधिकारियों का कोटा निधारित रहता है। विभिन्न भागों में जाने पर उन का अनुभव बढ़ेगा और उस से प्रशासन को लाभ होगा। दक्षिण भारत को छोड़ कर, शेष समूचे भारत में हिन्दी एक गौण भाषा घोषित की जा सकती है।

दूसरी चीज यह है कि अलग-अलग सेवाओं में इतना अलगाव नहीं रहना चाहिये। एक सेवा के अधिकारियों को दूसरी सेवाओं में जाने का अवसर दिया जाना चाहिये। उन के देश विदेश के अनुभवों से स्थानीय प्रशासन का भी लाभ होगा। भारतीय वैदेशिक सेवा के अधिकारी यदि रूरकेला और भिलाई में भेजे जायेंगे, तो उन के विदेशों के ऐसे ही कारखानों की आंखों देखी जानकारी होगी।

पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित हमारी नीति और हमारा कार्यक्रम कुछ इस ढंग का रहा है कि पिछड़े हुए वर्ग बने रहें। वास्तव में नीति यह होनी चाहिये कि पिछड़े हुए वर्ग धीरे धीरे मिटते जायें। अब समय आ गया है कि पिछड़ेपन की कसौटी आर्थिक-स्तर की बनाई जाये। २०० या १५० रुपये से कम पाने वाले सभी लोगों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें और रियायतें दी जायें।

साधारण स्कूल और हरिजनों के स्कूल अलग-अलग नहीं होने चाहियें। हरिजन बालकों को अधिक सुविधायें तो दी जायें, पर उन के स्कूल अलग न हों। तभी शेष जनता के साथ उन का एकीकरण किया जा सकेगा।

गृह-कार्य मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सेवाओं के रिकार्डों और स्कूलों के रजिस्टरों में जाति न लिखी जाये। इस से विभेद घटेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला दायर]

गृह-कार्य मंत्रालय में से मैं एक और अनुरोध करती हूं। निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग केवल राजनीतिक दलों के विरुद्ध न किया जाये। उस का प्रयोग साम्प्रदायिक घृणा फैलाने वाले व्यक्तियों और समाचारपत्रों के विरुद्ध भी किया जाना चाहिये। जबलपुर और सागर में कुछ बड़े सस्ते ऐसे समाचारपत्र हैं जिन का उद्देश्य साम्प्रदायिक कटुता फैलाना ही है। भोली जनता को ऐसे गैर-जिम्मेदार समाचारपत्रों द्वारा फैलाये जाने वाले विष से बचाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पद्म देव।

श्री पद्म देव (चम्बा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, २,००० मील लम्बे और १७०० मील चौड़े १२ लाख ६९ हजार ६४० वर्ग मील में बसने वाले लगभग ४४ करोड़ भारतीयों की भारी भार को वहन करने वाले गृह मंत्रालय के साथ सहानुभूति और साधुवाद शताब्दियों के पश्चात् हम एक राष्ट्र के रूप में आये हैं। मुझे आशा है कि गृह मंत्रालय के नेतृत्व में यह राष्ट्र और वृद्धि करता जायेगा, क्योंकि इतिहास बतलाता है कि हम कभी बाहर के लोगों से नहीं मारे गये, आपस की फूट के कारण हमारे देश में हमेशा अव्यवस्था रही है, और उस के कारण ही यहां पर गडरियों, लंगड़ों और भिश्तियों ने हम पर शासन किया। इस इतिहास से लाभ उठाते हुए, आशा है, हमारा गृह मंत्रालय जो हमारी आन्तरिक स्थिति है उस को सुधारने के विषय में सतर्क रहेगा। जैसा वेद में भी कहा है :

यत्र ब्रह्मच क्षेत्रंच सम्यंच चरितः सह
तन्देशम पुण्यं प्र शेषम्
यत्र देव सह अग्निना।

जहां ज्ञान और शक्ति दोनों साथ चलते हैं, योजना और योजना को कार्यान्वित करने की क्षमता, जहां ज्ञान और काम दोनों साथ चलते हैं, वही देश पुण्यमय देश बन सकता है। मुझे आशा है कि भारती के त्याग और तपस्या से और महान पुरुषार्थ से यह राष्ट्र ऋद्धि और सिद्धि को प्राप्त करेगा।

गृह मंत्रालय बहुमुखी कार्यों के अन्दर व्यस्त है। उन में से कुछ एक ऐसे क्षेत्र जिन का प्रशासन मंत्रालय ने अपने कन्धों पर, अपने शासन में ले रक्खा है। उन को यूनियन टैरिटरीज कहते हैं उन टैरिटरीज का लगभग ३४,००० वर्ग मील क्षेत्रफल है और उस के अन्दर लगभग ६० लाख आदमी बसते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के ऊपर भारत सरकार ने ५४.८ करोड़ रुपया खर्च किया और तृतीय पंच वर्षीय योजना में १४९.७ करोड़ रु० निहित कर रक्खा है। इन क्षेत्रों के प्रति भारत सरकार की चिन्ता भी है और इन के उत्कर्ष के लिये महान प्रयत्न भी किये जा रहे हैं, लेकिन एक बार निश्चित है कि सब कुछ होते हुए भी इतना धन खर्च करते हुए भी, सड़कों, स्कूलों, और बहुत से विकास के कामों के होने के बावजूद भी लोगों के अन्दर सन्तोष नहीं है। कुछ स्वार्थी तथा कथित नेतागण की ओर से पैदा किया जाता है और कुछ लोगों में स्वभावतः असन्तोष है। कारण उसका यह है कि शासन में लोगों का अधिक हाथ नहीं है। निस्सन्देह यहां पर पार्लियामेंट के मेम्बरों की ऐडवाइजरी कमेटी बनी है, हिमाचल के अन्दर टेरीटरोरियल कौंसिल है और पंचायतों का भी जाल बिछा हुआ है, लेकिन मैं अभी तक यह जाननने में समर्थ नहीं हो सका कि हिमाचल के अन्दर जो टैरीटोरियल कौंसिल है वह म्युनिसिपैलिटी है या कारपोरेशन है या क्या चीज है। दूसरी बात यह कि जब वहां मिनिस्ट्री थी तो उस के प्रशान का खर्च लगभग ४ लाख रु० था और आज जब वहां पर टैरीटोरियल कौंसिल है तो उस के खर्च ९ लाख रुपये के लगभग हैं। इतना बड़ा खर्च होते हुए भी प्रशासन में फिर

†मूल अंग्रेजी में

लोगों का हाथ नहीं, और कुछ एसे एलिमेंट्स हैं जिनको मौका मिलता है डिमाक्रेसी की डफली पीटते हुए लोगों को भ्रम में डालने का और लोगों को हमेशा सस्पेन्स में रखने का। मैं गृह मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि इन केन्द्र प्रशासति क्षेत्रों का जो शासन है वह सस्पेन्स में ज्यादा देर तक नहीं रक्खा जाना चाहिये। इस के सम्बन्ध में दृढ़ नीति होनी चाहिये और उस को एक बार इस मंत्रालय की ओर से घोषित किया जाना चाहिये ताकि सब लोग अपने अपने सम्बन्ध में कोई निश्चय कर सकें, नहीं तो जैसा मैं ने निवेदन किया इस किस्म के नेता पैदा होते रहते हैं जो कभी मंत्रिमंडल की बात ले कर आते हैं, कभी प्रदेश के लिये कोई और सौगात ले कर आते हैं और उस को बनाने का नारा लगाते रहते हैं। मैं समझता हूं कि खास कर हिमाचल प्रदेश में, जिस की आबादी १४ लाख हो गई है, इस साल का जो बजट है, वह १८ करोड़ रुपये का है। इतना रुपया खर्च कर रहे हैं टैरीटोरियल कौंसिल के ऊपर जिस से लोग सन्तुष्ट नहीं और जो, मैं समझता हूं, ज्यादा एक्जेकेटिव भी नहीं है। इस के बजाय अगर वहां पर जनता को अधिकार मिल सकता है डिमाक्रेटिक जो उन का अधिकार है, तो इस के सम्बन्ध में सरकार को अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस में कोई शक नहीं कि इस समय यह मंत्रालय हमारे घर के लिये, हमारे देश के लिये, बहुत काम कर रहा है। मैंने कहा कि मैं उन के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूं इसलिये कि उन के पास काम ही इस किस्म का है कि जिस में इनाम नहीं बल्कि नुक्ता-चीनी मिलती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय को नुक्ताचीनी की परवाह न करते हुए अपने काम को अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये।

इस समय इस मंत्रालय के पास पांच लाख के करीब पुलिस है, ६ लाख के करीब होम गार्ड हैं। इस के अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, प्रोहिबिशन कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन आदि बहुत सारे हथियार हैं जो पार्लियामेंट ने इस मंत्रालय को दे रखे हैं। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी मैं देख रहा हूं कि आज यह अवस्था है कि बजाय इस के कि विद्यार्थी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें वे पालिटिक्स में भाग लेते हैं, उद्योगशालाओं में बजाय इस के कि उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाय हम देखते हैं कि वहां भी लोग हल्ला गुल्ला करते हैं। इसी तरह से प्रान्तीयता, भाषावाद, जातिवाद, आदि अनेक वाद इस समय देश के अन्दर चालू हैं। इस सदन में मैं ने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने जिन में उन्होंने नौकरियों में और दूसरी चीजों में आरक्षण की मांग की है, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना मुझे कुछ कम नजर आती है। हम देखते हैं कि जो मंदिर लोगों में मानवता का विकास करने के लिये बनाये गये थे उन में आज दानवता बढ़ायी जा रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिये। मंदिर लोगों के पूजा करने के लिये हैं न कि हल्ला गुल्ला करने के लिये। स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिये हैं हड़तालों के लिये नहीं हैं। उद्योगशालायें देश की समृद्धि बढ़ाने के लिये हैं हल्ला गुल्ला करने के लिये नहीं। और जिन के हाथ में शासन है, चपरासी से ले कर मंत्री तक, उन का कर्तव्य है कि वे शासन को सुदृढ़ बनायें। सरकारी कर्मचारियों को भी हड़तालों और हल्ले गुल्ले से अलग रह कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि देश में व्यवस्था कायम रखने के लिये गृह मंत्रालय को सुदृढ़ नीति अपनानी चाहिये।

नित्यमुद्यत दंडास्यात् नित्य विवृत्त पौरुष:

शासन का कर्तव्य है कि वह कठोरता के साथ बुरे आदमियों का दमन करे और अच्छे आदमियों को ऊपर उठाने का प्रयत्न करे। और देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिये उद्योग धंधों का विकास करे। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रगति करने के लिये गृह मंत्रालय को बड़ी सुदृढ़ नीति अपनाने की जरूरत है क्योंकि इस समय हमारे चारों ओर आग भड़की हुई है। हमारे चारों ओर डिक्टेटरों का राज है। एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है कि जहां सब की जबानें खुली हैं। बल्कि मैं तो समझता हूं

[श्री पद्म देव]

कि जब से देश आजाद हुआ है तब स लोगों की बाजुओं की शक्ति तो कुछ कम हो गयी है लेकिन जबानें चार चार गज की लम्बी हो गयी हैं। यह उचित नहीं है।

इस समय हमारा देश सब तरफ से तरक्की कर रहा है इसलिये ईर्ष्या का भाजन बन रहा है। इसलिये हम को हर तरफ से सतर्क रहने की जरूरत है।

हमारे देश के अन्दर इस समय ६२,००,०९६ बाहर के लोग हैं और जो यात्री देश के अन्दर आये हैं उन की संख्या ३५,१३४ है। अगर इन की ठीक ढंग से देख रेख नहीं की जायेगी तो ये कई किस्म की बातें पैदा कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहां पर इतने फिसाद हुए और उन फिसादों के लिये लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार आरोप भी लगाते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि ये झगड़ा कराने वाले लोग कौन हैं। क्या इन झगड़ों के लिये वे लोग जिम्मेदार हैं जो अपनी गरदनें कटवाना चाहते हैं? नहीं मेरा विचार है कि हमारी सरकार की कुछ थोड़ी सी नरम नीति है क्योंकि सरकार किसी को असन्तुष्ट नहीं करना चाहती। सरकार, दस गुंडों को खुश करने के लिये दस हजार आदमियों को मरवाती है। अगर किसी शहर में दस भी बुरे लोग हैं तो वे शहर के अमन और शान्ति को नष्ट कर देते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस तरफ दृढ़तापूर्वक कदम उठाना चाहिये। लोग उन के साथ हैं। हल्ला गुल्ला करने वालों के साथ लोग नहीं है। हल्ला गुल्ला करने वालों से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है।

तीसरा बहुत बड़ा काम जिसे कि सरकार को करना है और जिसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है वह है पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाना। इस दिशा में भी सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं यह नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ जैसा कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है। जिस इलाके से मैं आता हूं उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि जहां पहले कुछ नहीं था वहां बहुत हो गया है लेकिन अभी सब कुछ नहीं हो गया है। और सब कुछ इस अर्से में कर देना किसी की शक्ति की बात भी नहीं थी। फिर भी मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि इस वक्त वह १५ गैर-सरकारी संस्थाओं को पैसा दे रही है ताकि पिछड़े लोगों का उत्थान हो सके। लेकिन उससे पूरा फायदा नहीं हो रहा है। मैं ने देखा है कि आजादी मिलने से पहले देश के अन्दर लोगों में एक दृढ़ निश्चय था कि हम अपने देश को आजाद बनायेंगे, अपने देश को अच्छा बनायेंगे और कोई हरिजन उत्थान के लिए काम करता था और कोई पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए काम करता था और इन कामों के लिए पैसा भी स्वयं एकत्र करते थे। लेकिन आज जब सरकार इन संस्थाओं को पैसा देने लगी है तो एक लीडरी की स्थिति पैदा हो गयी है और मैं समझता हूं कि इन संस्थाओं में राष्ट्र के लिए काम करने की भावना है। वे अपना स्वयं प्रबन्ध करें और इस लिए सरकार को इस पैसे को अपनी मैशिनरी से खर्च करना चाहिए नहीं तो जो करोड़ों रुपया इन संस्थाओं को दिया जा रहा है उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए ऐसा मेरा यकीन है। हिमाचल के कोने कोन और गांव गांव में मैं गया हूं और कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको मैं न जानता होऊं। वहां के बारे में मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि क्या स्थिति है।

आज हम देखते हैं कि हरिजनों और पिछड़े लोगों का उत्थान करने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की जाती है। लेकिन एक आदमी को नौकरी देकर आप केवल एक परिवार का ही भला कर सकते हैं। इसी तरह से इस वर्ग के कुछ लोगों को आप पार्लियामेंट या विधान सभाओं में सीटें देकर उनके परिवार वालों का ही भला कर सकते हैं। सारे पिछड़े वर्ग को इससे क्या लाभ हो सकता है। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अभी तक समाज के अन्दर समानता नहीं लायी जा सकी है, अभी तक देश के अन्दर छुआछात बनी हुई है। यह सही है कि यह

उतनी नहीं है जितनी कि पहले थी, लेकिन फिर भी १०–१५ फीसदी सही यह बुराई अभी तक मौजूद है । मैं चाहता हूं कि यह कलंक भी क्यों रहे। इसको भी समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात इसी सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इन लोगों का कल्याण करना चाहते हैं तो नौकरियों में आरक्षण या पार्लियामेंट में सीटें देने से यह काम नहीं हो सकता। आपको इनके लिए उद्योग धन्धों का प्रबन्ध करना चाहिए। तभी इन लोगों का भला होगा। एक और बहुत बड़ी चीज यह है जिसकी ओर मैं मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि मंत्रालय को नेताओं पर भी कुछ नियंत्रण करना चाहिए। आज देश के सब भागों में अनेकों लीडर पैदा हो गए हैं और उनके कारण लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि ठीक बात क्या है और गलत बात क्या है। इनके ऊपर आपको अवश्य नियंत्रण करना होगा। आप सरकारी कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण करते हैं, फैक्टरियों में काम करने वालों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये नेता खुले फिरते हैं, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये देश को परेशानी में डालते हैं। इन पर भी नियंत्रण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिये प्रयत्नशील हूं । साथ ही, यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास समय कितना है ।

श्रीमती मिनीमाता ।

श्रीमती मिनीमाता (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं जो आपने मुझे गृह मंत्रालय के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया ।

देश में अस्पृश्यता निवारक कानून पास हो गया है किन्तु देश में अस्पृश्यता और यह छुआछूत जिस तेजी से दूर होनी चाहिए, उतनी तेजी से दूर नहीं हो रही है। खास कर गांवों में स्थिति और भी बुरी है। ऐसा लगता है गांवों में जनता ऊंची और नीची जातियों में बंट गयी है। अभी कुछ ही समय पूर्व मध्यप्रदेश के बिलासपुर जिले के एक गांव में सतनामियों और राउतों के बीच एक दंगा हुआ जिसमें कई सतनामियों को मौत के घाट उतार दिया गया । अनुसूचित और अन्य जातियों के बीच यह तनाव बढ़ रहा है। आज देखने से मालूम होता है कि हरिजन भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए खड़े हो गये हैं जब कि अन्य जातियों वाले उनके अधिकार को छीनने और कुचलने के लिए तैयार हैं । इसलिए उनमें आपस में दिनोंदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। अब पुलिस इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं देती है । जब हरिजन इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो अक्सर पुलिस उन्हें दर्ज करने से इंकार कर देती है। पुलिस मामला दर्ज न करके उन्हें अक्सर भगा देती है । जब खुद पुलिस विभाग इन उपद्रवों का मौन समर्थन करता है तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि हरिजनों के साथ न्याय हो सकता है । मेरी राय में अस्पृश्यता दूर करने के काम को तेज करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें डिपुटी कमिश्नर, डी० एस० पी०, संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा अन्य कार्यकर्त्ता शामिल हों ।

गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि नौकरियों में भी हरिजनों की विशेष उन्नति नहीं हो रही है। पिछले वर्ष प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में भी बहुत कम हरिजनों को लिया गया है। इसी तरह अन्य श्रेणियों में भी हरिजनों की संख्या बहुत कम है ।

अब हम संसद सदस्यों को इस सम्बन्ध में कठिनाई पेश आती है क्योंकि जनता यह समझती है कि इनकी पार्टी ने सरकार बनाई है और वे हमारे पास दरख्वास्त भेजते हैं कि हम उन्हें नौकरी दिलवायें। हम उनको यह जवाब देते हैं कि भाई तुम लोग अखबार पढ़ा करो और विज्ञापन देखा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती मिनीमाता]

करो और जहां भी जगह निकले अपनी अर्जी भेज दिया करो। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जनता को संतोष नहीं होता है और वह ऐसा समझते हैं मानों हमारी जेब में नौकरियां पड़ी हैं जो हम उनको दे देंगे। मेरा इसके लिए एक यह सुझाव है कि हरिजन और आदिवासियों के जितने भी सदस्य हों चाहे वे विधान सभाओं के सदस्य हों अथवा संसद के, उनके पास प्रत्येक विभाग से इस तरह की सूचना मिलनी चाहिए कि अमुक अमुक विभाग में इतने आदिवासी और हरिजन कर्मचारी भर्ती करने हैं और यदि आपके पास कोई उम्मीदवार हों तो हमें उनके नाम भेजिये। अब आज उनके साथ नौकरियों में कैसा अन्याय हो रहा है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। हमारे रायपुर जिले के रेवेन्यु डिपार्टमेंट में ८ हरिजन और ५ आदिवासी लिये जाने वाले थे और उनकी अर्जियां भी चली गई थीं लेकिन धांधलीबाजी के कारण जिला कचहरी के चपरासी को भर्ती किया गया और हरिजन को नहीं लिया गया। दो आदिवासी लिये गये थे लेकिन उनकी जगह पर भी कुछ दिन बाद उनका रिकार्ड खराब करके दूसरे गैर आदिवासी को भर्ती कर लिया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि नौकारियों के मामले में हरिजनों के साथ अन्याय हो रहा है।

हमारे देश में ऐसे हरिजनों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके पास कोई जमीन नहीं है। ज्यादातर हमारे लोग बिना घर बार के हैं और खेतिहार मजदूर हैं। उन्हें खेती के लिए जमीन दी जानी चाहिए तथा बेघरबार हरिजनों को जमीन देकर बसाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि कम से कम प्रत्येक हरिजन मजदूर को ५ एकड़ जमीन और मकान बनाने के लिए कुछ अनुदान देकर उनको अच्छी तरह से बसाया जाय। केन्द्रीय सरकार हरिजनों और आदिवासियों को मकान बनाने के वास्ते अभी कुछ अनुदान देती है लेकिन वह बहुत कम है। उस पैसे से जो वह मकान बनाते हैं उसमें एक गृहस्थी के रहने की गुंजाइश नहीं होती है इसलिए उसको कुछ अधिक अनुदान दिया जाय। मेरा सुझाव है कि सचमुच जिनके पास घर नहीं है और वह व्यक्ति खेतिहार मजदूर हैं उनको यह अनुदान दिया जाय। मेरे देखने में आया है कि आफिस के बाबू भी उन अनुदानों के हिस्सेदार रहते हैं जो कि उचित नहीं है।

पिछले साल की घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में अपराधों और उपद्रवों की संख्या बढ़ रही है और पुलिस उन्हें रोक सकने में असमर्थ है। हालत यह है कि दिनों-दिन उपद्रव और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जबलपुर के साम्प्रदायिक दंगे आंख खोल देने वाले हैं। सरकार को और समाज को ऊपर से नजर नहीं आता पर अंदर ही अंदर साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। मैं यह सुझाव देती हूं कि हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया जाय। यदि ये साम्प्रदायिक संस्थाएं अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेंगी तो मैं समझता हूं कि इससे देश को बड़ा खतरा होने वाला है। यदि साम्प्रदायिक संस्थाओं को हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया गया तो देश की भीतरी शांति तथा राष्ट्रीयता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जायगा।

हमें पूज्य बापू की हत्या से सबक लेना चाहिए लेकिन लगता है कि सरकार ने बापू की हत्या से सबक नहीं लिया है। उचित तो यह था कि हम साम्प्रदायिक संस्थाओं को सिर उठाने का मौका न देते। यह बड़े खेद की बात है कि हमारी सरकार उधर जागरूक नहीं है और साम्प्रदायिक संस्थाएं फिर हमारे देश में सिर उठा रही हैं। सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए और उनको सिर उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

जहां तक गुप्तचर विभाग का सम्बन्ध है कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि गुप्तचर विभाग में बहुत ढिलाई चल रही है। पुलिस विभाग की तरह सरकार का गुप्तचर विभाग भी निष्क्रिय है। पिछले मास देश की कुछ गुप्त सूचनाएं कुछ विदेशी दूतावासों को दी गयी। कौन जानता है कि इससे पहले भी इस प्रकार की गुप्त सूचनाएं विदेशियों को दी जाती रही हों मगर उनका पता सरकार को न चला हो।

चूंकि बहुत से माननीय सदस्यों को अपने-अपने विषय के बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं, इसलिये ज्यादा समय न लेकर अन्त में मैं हिन्दी के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। हिन्दी की प्रगति के सम्बन्ध में सरकार की नीति धीमी है। जब हम संसद में हिन्दी में कुछ लिख कर देते हैं, तो वे समझते हैं कि यह तो ऐसे ही है और उसको कचरे खाते में डाल देते हैं। हमारे यहां के अफसर और मंत्री भी हिन्दी के पक्ष में नहीं हैं। उदाहरणार्थ हमारे यहां के आफ़िस के कर्मचारी, जब हम हिन्दी का कोई शब्द कहते हैं, तो अपने साथियों से पूछते हैं कि यह क्या है? यह हलात हमारी राष्ट्र-भाषा की है। अगर यही स्थिति रही, तो किस प्रकार हम अपनी भाषा के द्वारा अपने देश की सेवा कर सकेंगे? अंग्रेज सरकार देश से चली गई है, लेकिन अंग्रेजी वेश-भूषा और अंग्रेजी भाषा को अपने पीछे छोड़ गई है और उस गुलामी में हम जकड़ते जा रहेहैं। मैं सरकार से, और विशेष रूप से गृह मंत्रालय से, यह अनुरोध करूंगी कि वह इस तरफ ज्यादा ध्यान दे और राष्ट्र-भाषा को बढ़ाने की कोशिश करे।

श्री पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की कोशिश की कि गृह मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में हो रहे वाद-विवाद में वे अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रचार भी करें। मैं खास तौर से जवाब देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य, श्री इमाम, को, जिन्होंने फरमाया कि राजस्थान में रूलिंग पार्टी राजाओं को धमकी दे रही है कि यदि वे स्वतंत्र पार्टी में सम्मिलित होंगे, तो उनके प्रिवी पर्स बन्द कर दिये जायेंगे। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की धमकी राजस्थान की रूलिंग पार्टी ने दी होगी। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमारी पार्टी, जो प्रजातंत्र में विश्वास करती है, जो देश में प्रजातंत्र को चला कर हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देना चाहती है और दे रही है, किसी विरोधी राजनैतिक पार्टी में शामिल होने के विषय में राजा-महाराजाओं को इस तरह की धमकी नहीं देगी। मेरी समझ में नहीं आता कि उन पर यह राजा-महाराजाओं का भूत क्यों सवार है, विशेषकर इस स्थिति में कि हमारे कानों पर इस बात से जूं तक नहीं रेंगी कि राजा-महाराजा और जागीरदार किसी पार्टी विशेष में शामिल हो रहे हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम तो इस बात का स्वागत करते हैं कि वे पुराने जागीरदारी सिस्टम को, राजाशाही सिस्टम को, दरबारों और महलों को छोड़ कर ज़मीन पर आयें, जनता में काम करें, जनता की सेवा करें। उनको कौन रोकता है? हम तो उनको दावत देते हैं कि यदि वे प्रजातंत्र में श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो वे अपनी इच्छानुसार किसी भी पार्टी में शामिल हों और जनता में काम करके उसकी सेवा करें। इस अवस्था में मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगाना उचित है। मैं मानता हूं कि उन्होंने यहां पर अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिये ही यह बात कही होगी।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पार्टियां कांग्रेस के प्रति यह आरोप लगाती हैं कि हम लोगो को समता का अधिकार नहीं देते हैं, समान दर्जा नहीं देते हैं और इस बात पर आपत्ति भी कई बार की जाती है कि हरिजनों को विशेष अधिकार क्यों दिये जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रजातंत्र में यह कोई वाजिब बात है कि हम एक तरफ सरकारी

[श्री पहाड़िया]

कर्मचारियों को यह कह कर चुनाव लड़ने और राजनीति में भाग लेने से रोक दें कि उनको सरकारी खजाने से पैसा मिलता है और यही नहीं, ठेकेदारों को भी, जिनको सरकारी खजाने से पैसा मिलता है, सरकार से कोई लाभ प्राप्त होता है, राजनीति में भाग लेने से रोक दें, और दूसरी ऐसे लोगों को पनपायें, बढ़ावा दें, जो सरकारी खजाने से मिलने वाले रुपये से, जनता के पैसे से पलते हैं, उन राजा-महाराजाओं को उस पैसे के जरिये से अपने राजनैतिक उद्देश्य पूरे करने दें, अपनी राजनीति बढ़ाने दें ।

यह कोई नई मिसाल नहीं है । अभी कुछ दिन हुए, इंग्लैंड की महारानी हिन्दुस्तान का दौरा करने पधारीं । यह खुशी की बात थी और हमने उनका स्वागत किया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन लोगों ने सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से किस तरह से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की ? क्या वह कोई छिपी हुई बात है ? वहां पर एक बड़ा दरबार किया गया । लेकिन इस बारे में मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मैं तो इसमें गृह मंत्रालय की ढिलाई मानता हूं । कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, आज राजा की कैपेसिटी में नहीं है और इसलिये सिवा राष्ट्रपति के कोई व्यक्ति दरबार नहीं कर सकता । लेकिन जयपुर में एक दरबार हुआ । वे लोग कोई दरबार करें, महादरबार करें, हमें कोई गुरेज़ नहीं है । लेकिन राजनैतिक फायदा उठाने के लिये एक व्यक्ति ऐसी बात करे और गृह मंत्रालय कोई नोटिस न ले, इसको मैं गृह मंत्रालय की ढिलाई मानता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसकी इजाज़त से यह दरबार किया गया, तो हमें इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर उसके लिये गृह मंत्रालय की इजाज़त नहीं की गई, तो उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही करनी चाहिए । संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हिन्दुस्तान में दरबार नहीं कर सकता है । हमें राजाओं से इस तरह का कोई डर नहीं है और हमारे ऊपर कोई भूत सवार नहीं है । वह उन पर सवार है और भगवान करे कि उन पर सवार रहे । हमको राजा-महाराजाओं की कोई परवाह नहीं है । हमारा उद्देश्य जनता की सेवा और उसकी भलाई करना है । हम इस सरकार को प्रजातंत्र के आधार पर चलाते हैं । इसलिये जनता पुनः हमको चुनेगी ऐसा विश्वास है तो हम हरिजनों और राजाओं में कोई भेद नहीं करना चाहते हैं ।

मैं माननीय सदस्य की एक बात का समर्थन भी करना चाहता हूं । उन्होंने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच साउथ में होनी चाहिए । मैं इस बात का समर्थन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज-कल हम देखते हैं कि न्याय-व्यवस्था में बहुत ढिलाई हो रही है । रात-दिन केसिज़ बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं । जो लोग कानून की बात नहीं जानते हैं, वे वकीलों के पास पैसा लुटाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई कई सालों तक केसिज़ चलते रहते हैं और उनका फ़ैसला नहीं होता है । इसके लिये कुछ कदम उठाये गये हैं । सुप्रीम कोर्ट में तीन और हाई कोर्ट में सात जजिज़ की नियुक्ति की गई है । राजस्थान में दो नये जज नियुक्त किये गये हैं । पिछले दिनों एक झगड़ा चला था कि राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में होनी चाहिए, जैसे कि पहले थी, तो कोई नुकसान नहीं होगा । लेकिन ऐसा न करके एक यूनिफाइड बैंच के नाम पर उसको जोधपुर में ले जाया गया । उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है । अगर मुकदमों की संख्या कम हो, कम से कम लोग अदालतों में जायें, तो एक ही बैंच ठीक है, लेकिन जब मुकदमे बढ़ते जाते हैं और जजों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि एक जगह बैंच स्थापित करने से खर्च में क्या कमी हो गई है और क्या नुकसान हो जायेगा, यदि

दो जगहों पर उन जजों को बिठा दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केसिज़ का जल्दी निपटारा करने के लिये यह आवश्यक है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एक बैंच जयपुर में स्थापित की जाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दातार साहब ने श्री माथुर को जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की मंजूरी दे दी जायेगी, तो देश में एक बड़ा गड़बड़ मामला पैदा हो जायेगा और वे लोग काम नहीं कर सकेंगे। ज्यों ज्यों डेमोक्रेटिक डीसैंट्रलाइजेशन होता जाता है और पार्टियां और ग्रुप बनते जा रहे हैं, त्यों त्यों सरकारी कर्मचारी भी उनसे बचे हुए नहीं हैं। केन्द्र के विषय में तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि राज्यों में सरकारी कर्मचारी पार्टियों में बंटे हुए हैं—स्थानीय बातों में, प्रान्तीय बातों में, हर बात में सरकारी कर्मचारी दो भागों में बंटे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि उनको राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो या नहीं। लेकिन यह देखा जाये कि वे जो सरकारी काम करते हैं, वह सरकारी तरीके पर करें। इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस समय तो वे इनडायरेक्टली राजनैतिक काम कर रहे हैं, राजनीति में भाग ले रहे हैं, तो क्या उनको सीधे तौर से राजनीति में आने दिया जाये या नहीं।

देश में जिस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है, उस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उस के क्या कारण हैं, वह सब अनुशासनहीनता क्यों होती है, इसको किसी ने नहीं देखा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी राजनीतिक पार्टियां ख़ास तौर से विद्यार्थियों में जाकर अनुशासन भंग करने के लिये कार्यवाहियां करती हैं, वह शोचनीय है। इसलिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों में काम करने के विषय में राजनीतिक पार्टियों पर कोई बन्धन लगा देना चाहिये, ताकि इन अनुशासनहीनता की कार्यवाहियों को रोका जा सके। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं। सन् १९५७ के चुनाव तक मैं कालिज में विद्यार्थी था। मैं देखता था कि कुछ राजनीतिक पार्टियों के पेड कार्यकर्ता विद्यार्थियों के नाम से काम करते थे। मैं मानता हूं कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है लेकिन मैं इसके विरुद्ध हूं कि लोग राजनीतिक पार्टियों के पेड वर्कर के रूप में कालिजों और स्कूलों में दाखिल हों और सत्ताधारी पार्टी की मुखालिफत करें और लोगों में साम्प्रदायिक भावना पैदा करें। इस तरह से जो लोग कालिजों और स्कूलों में दाखिल होते हैं मैं समझता हूं कि उन पर रोक लगानी चाहिये और उनका सही तरीका हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां विद्यार्थियों में ऐसी भावना पैदा न करें।

इसके अलावा मैं यह भी देखता हूं कि जहां पर डिसटरबेंसेज हुए हैं उनमें विद्यार्थियों का बड़ा हाथ है। इसका कारण यह है कि पोलीटिकल पार्टीज उनको इस तरफ बढ़ावा देती हैं।

इसी के साथ साथ मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ कहना चाहूंगा कि जिस आधार पर स्वर्गीय पंत जी ने देश में विभिन्न राज्यों का निर्माण किया वह मेरी सम्मति में उचित नहीं था। राज्यों का निर्माण चाहे वह भाषा के आधार पर हो, या धर्म के आधार पर हो या और एसे ही किसी आधार पर हो तो वह गलत होगा। राज्यों का निर्माण भौलोलिक स्थिति को और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रख कर ही किया जाना चाहिये।

कुछ छोटे छोटे प्रदेशों को यूनियन टैरिटरीज कह कर उनका शासन सेंटर द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनको इसमें कोई अधिक लाभ नहीं है। उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता। अगर त्रिपुरा और मणिपुर को असम में मर्ज कर दिया जाए तो उनको क्या नुकसान हो सकता है। इसी तरह से अगर हिमाचल का मामला है। उसको अगर पंजाब में शामिल कर दिया जाए तो हिमाचल के लोगों का क्या नुकसान होगा। मैं तो

[श्री पहाड़िया]

समझता हूं कि इससे उनका लाभ ही होगा। आज हम देखते हैं कि पंजाब आदि स्थानों में भाषा के आधार पर झगड़े होते हैं वह समाप्त होंगे। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है उसकी शासन व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही है। इसका कारण है कि इन राज्यों का निर्माण सही आधार पर नहीं हुआ है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों का निर्माण भाषा, धर्म या जाति के आधार पर नहीं होना चाहिये। राज्यों के निर्माण में केवल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधा का ही ध्यान रखना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर जहां एक तरफ विकास होता चला जा रहा है और बड़ी बड़ी नई नई चीजें पैदा हो रही हैं, वहां हम ग्राम पंचायतों के विकास की बात भी करते हैं, हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात भी करते हैं और चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए। मैं भी मानता हूं कि यह होना चाहिये। लेकिन जो स्थिति देखने में आ रही है उसको देख कर यह कहना पड़ता है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी विकेन्द्रीकरण हो रहा है। पहले हम सुनते थे कि जिला स्तर पर रिश्वत चलती है लेकिन जब से पंचायतें बनी हैं हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार विलेज लेबिल तक चला गया है। इसको रोका नहीं जा सकता। अब और अधिकारों के साथ साथ शासन व्यवस्था का काम भी इन ग्राम पंचायतों को देने का विचार किया जा रहा है। लेकिन मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि अगर ग्राम पंचायतों को शासन व्यवस्था का काम दिया गया तो देश का शासन ढीला हो जाएगा। ग्राम पंचायतें विकास का काम कर और योजना का काम करें, अपना शासन स्वयं करें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां तक शासन व्यवस्था का सवाल है। इसको अगर सरकार अपने ही हाथों में रखे तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब से पंचायत समितियों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का पैसा दिया गया है तब से मैं बराबर देखता हूं कि पहले से ज्यादा इर्रेगुलेरिटीज़ हो रही हैं। मैं हर बार हरिजनों की बात नहीं कहना चाहता लेकिन इस विषय में मैं अपने विचार आपके सामने रखना आवश्यक समझता हूं। अभी पद्म देव जी ने और डा० सुशीला नायर ने इस चीज का हवाला दिया। मैं भी कुछ बातें इस सम्बन्ध में आपके सामने रखना चाहता हूं। जो आप रुपया इन संस्थाओं को दे रहे हैं उससे वह लोग लाभ उठाते हैं जिनका पोलिटिकल इनफ्लूएंस होता है चाहे वह स्कालरशिप्स का मामला हो या सरविसेज का मामला हो। और यह केवल हमारे ही राज्य का सवाल नहीं है। मेरा सुझाव है कि जो आप इस तरह से रुपया खर्च करते हैं लोकल संस्थाओं के द्वारा उस पर आपका पूरा चैक होना चाहिये। अगर चैक नहीं होगा तो उसका लाभ जनता को पूरे तौर पर नहीं मिल सकेगा। मैं मानता हूं कि विकास कार्य हो रहा है। लेकिन जो गड़बड़ी हो रही है उसकी तरफ यदि ध्यान नहीं दिया गया और उसको चैक नहीं किया गया तो हम को आपके रुपए से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिये, क्योंकि खास तौर से मैं देखता हूं कि हरिजनों की अल्पसंख्यक जातियों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री तिम्मैया** (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जानियां) : स्वर्गीय, श्री गो० ब० पन्त ने गृह-कार्य मन्त्री की हैसियत से अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये जो भी किया है, वह सदा स्मरणीय रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उनके ही प्रयत्नों से केन्द्र और राज्यों में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये कल्याण-बोर्ड स्थापित किये गये थे। श्री पन्त ने ही अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षण को और अधिक विस्तृत बनवाया था।

गृह-कार्य मन्त्रालय बड़े सुचारू रूप से काम करता रहा है। कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिसके कारण इस मन्त्रालय पर धब्बा आया हो। यदि पुलिस अधिकारी सतर्क रहते तो जबलपुर में इतने बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हो पाते।

लेकिन इसके लिये जरूरी है कि राज्यों में पुलिस की संख्या बढ़ाई जाये और गृह-कार्य मन्त्रालय निचली श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियां और काम करने की दशायें सुधारनेके लिये राज्यों को वित्तीय सहायता दे, बड़े-बड़े शहरों में पुलिस अधिकारियों को मकानों की सुविधायें दी जानी चाहियें।

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। साथ ही, सरकार और कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करने की कोई पद्धति भी निकाली जानी चाहिये।

हड़ताल के अंदेशे से केन्द्रीय सरकार के जिन अस्थायी कर्मचारियों को हड़ताल से पहले निकाल दिया गया था, उनको वापस लिया जाना चाहिये।

सरकार ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की आर्थिक-सामाजिक दशा सुधारने के लिये काफी किया है, लेकिन तृतीय योजना में इसके लिये, द्वितीय योजना के मुकाबले, केवल ८ करोड़ रुपये अधिक रखे जा रहे हैं। यह अपर्याप्त है। इसमें वृद्धि होनी चाहिये।

योजनाओं के अधीन चलने वाली विशेष योजनाओं से तो अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचता है, पर सामान्य योजनाओं से भी उनको लाभ पहुंचना चाहिये। तब उनकी प्रगति अधिक शीघ्रता से हो सकेगी।

माननीय मन्त्री को प्रशासकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित कोटे को पूरा करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। भारतीय प्रशासनिक सेवा में १९५९ में ३५ और अब ३८ अधिकारी ही अनूसूचित जातियों के हैं। इस रफ्तार से तो कोटा पूरा करने में उनको पूरी एक सदी लग जायेगी।

राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के जिन उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में लेने की सिफारिश करती हैं, केन्द्र उनको कई बार ठुकरा देता है। गृह-कार्य मन्त्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

भूतपूर्व मैसूर रजवाड़े में वहां के दीवानों ने बहुत पहले पिछड़े वर्गों की कसौटी यह रखी थी कि वे शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों। मैसूर के उन्नत वर्ग के लोग बड़े उदार हैं। उनको अनुसूचित जातियों से पूरी सहानुभूति है। इसलिये मैसूर के बारे में सदस्यों को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये।

भूमि सुधारों के फलस्वरूप राज्य-सरकारों को काफी अतिरिक्त भूमि मिल रही है। गृह-कार्य मन्त्री को चेष्टा करनी चाहिये कि वह अतिरिक्त भूमि अनुसूचित जातियों के लोगों में बांट दी जाये। अनुसूचित जातियों के युवकों के लिये औद्योगिक स्कूल खोले जाने चाहियें। इससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा।

[श्री तिम्मय्या]

भूमि सुधार के अधीन अतिरिक्त भूमि सरकार के पास आयेगी उसे सरकार को अनुसूचित जातियों को देना चाहिये। इसके अलावा सरकार को चाहिये कि वे छात्रावासों के स्थान पर औद्योगिक स्कूल खोलें जिससे कि वे अपनी आजीविका कमाने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने में समर्थ हो सकें।

श्रीमती सत्यभामा देवी (नवादा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो शराब-बन्दी करने का ऐलान सारे देश के लिये किया है, उसके लिये मैं अपनी सरकार की सराहना करती हूं और उसको धन्यवाद देती हूं। इस बुरे रिवाज के कारण देश में गरीबी और भुखमरी भी बढ़ती है। शराब पीने के कारण सिर्फ हमारे हरिजन भाई ही तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि बहुत से अच्छे घर के लोग भी इसके कारण बहुत ही बुरी हालत में हैं। हम जानते हैं कि शराब पीने से स्वास्थ्य खराब होता है और ग़रीबी बढ़ती है और जिस जाति या घर में शराब चलती है, उसमें खाने और पहनने की कमी रहती है। जितनी भी कमाई लड़के बच्चे मिल कर करते हैं, शराब पी कर उसी में खर्च कर देते हैं। मैं तो कहूंगी कि जो अधूरी शराब-बन्दी किसी किसी ज़िले में या प्रदेश में हुई है, उससे भी बहुत कुछ लाभ हुआ है और उससे गांव वालों और हरिजनों की हालत बहुत सुधर गई है। जहां शराब-बन्दी नहीं हुई है, वहां की हालत कितनी बुरी है, यह सब जानते हैं। अगर शराब-बन्दी की जायगी, तो उससे देश का पूरा लाभ होगा और ग़रीब लोग अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खाने पीने और पहनने पर खर्च कर सकेंगे और उनकी घर की हालत बहुत सुधर जायगी। शराब पीने के कारण उन लोगों के दिमाग़ अपने काम में नहीं रहते। इसलिये सरकार को शराब ज़रूर बन्द करनी चाहिये।

अन्त में मैं फिर मन्त्री जी को इस घोषणा के लिये बधाई देती हूं।

श्रीमती गंगा देवी (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस वाद-विवाद में बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं कुछ आवश्यक बातों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

सबसे पहले मैं बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन के बारे में हाउस का ध्यान दिलाना चाहती हूं। संविधान की धारा ३४० के अनुसार राष्ट्रपति जी ने पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में यह बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन बनाया। संविधान की उक्त धारा के अनुसार यह कमीशन उन जातियों के बारे में बनाया गया था, जो देश में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। लेकिन उसकी टर्म्ज़ आफ़ रेफ़रेंस इस प्रकार से निर्धारित की गई कि उसमें शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को छोड़ दिया गया, जिन की आर्थिक और सामाजिक हालत सदियों से बहुत पिछड़ी हुई है, और केवल "अदर बैकवर्ड क्लासिज़" के लिये यह कमीशन बना दिया गया। उसके मुताबिक केवल "अदर बैकवर्ड क्लासिज़" की दशा की छानबीन की गई और उसी प्रकार से रिपोर्ट तैयार की गई। हमारे देश की जो वास्तविक बैकवर्ड क्लासिज़ हैं, वे इस रिपोर्ट से छूट गई हैं, जो हमेशा से आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं और जो सामाजिक और आर्थिक दासता में जकड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की हालतों की जांच करना इस कमीशन का पहला कर्तव्य था। संविधान की धारा ३४० के अनुसार केवल एक ही कमीशन होना चाहिये था, जो सब पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक अवस्थाओं पर विचार करता और कोई ऐसे सक्रिय कदम उठाता, जिसके अनुसार उन की सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का स्थायी रूप से अन्त हो जाता। कमीशन ने इन समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। इस कारण बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई। देश के पिछड़े वर्गों में इस विषय में बेचनी है कि उनको ज्ञात होना चाहिये कि इस रिपोर्ट को तैयार करने का अभिप्राय क्या था

†मूल अंग्रेजी में

और उस रिपोर्ट की प्रतिक्रिया देश की बैकवर्ड क्लासिज़ के प्रति क्या रही। हमारी समझ में नहीं आया कि क्या सरकार ने यह समझ लिया है कि इस देश में पिछड़े वर्गों की समस्या का कोई प्रश्न ही नहीं है। देश में कोछी, कहार, मछवाहा, लोध, लुहार, जुलाहा, ग्वाल, मोमिन आदि बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्गों में भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, जो आर्थिक, राजनैतिक और शिक्षा की दृष्टि से बहुत गिरी हुई हैं। हमें उनको पहले सुविधा देनी चाहिये। मेरा विचार है कि उनको शिक्षा में और नौकरियों में कुछ विशेष सुविधायें देकर उनका आर्थिक स्तर ऊंचा करना बहुत आवश्यक है।

लगभग तेरह वर्षों से हम बराबर यह कहते चले आ रहे हैं कि हरिजनों के आर्थिक सुधार के लिये, सामाजिक और शैक्षिक सुधार के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री कायम की जाये। लेकिन ऐसा न कर के सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड और स्टेट एडवाइज़री बोर्डज़ का निर्माण किया गया। सैंटर और प्रान्तों में जो बोर्ड कायम हैं, साल में उन की बैठक एक ही बार होती है। उस में अनेकों सुझाव दिये जाते हैं—घरों के सम्बन्ध में, शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में और अन्य बहुत सी बातों के सम्बन्ध में। गृह मंत्रालय ने इन सभी सुझावों पर काफ़ी ग़ौर भी किया और किसी हद तक अमल करने की भी कोशिश की, जिसके लिये मैं मंत्रालय का धन्यवाद करती हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इन सलाहकार समितियों के द्वारा आज हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है। कारण कि भारत की अनुसूचित जातियों की समस्याओं का समाधान इस प्रकार की धीमी गति से नहीं हो सकता। जब रेफ्यूजीज़ की समस्याओं को हल करने के लिये, उनको बसाने के लिये, उनको रोज़गार दिलाने के लिये, उनके लिये शिक्षा का सुचारु रूप से इन्तज़ाम करने के लिये एक रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बन सकती थी, तो क्या देश के पिछड़े वर्गों के लिये एक सैपेरेट मिनिस्ट्री को कायम करके उनकी समस्याओं का शीघ्र ही अन्त करना आवश्यक नहीं था? यदि सरकार एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती है और इस देश में पिछड़े वर्गों और शिडयूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की कमियों को पूरा करना चाहती है, तो मैं समझती हूं कि केन्द्र में इस प्रकार का मंत्रालय स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। हरिजन कल्याणकारी सभी कार्य करने के अधिकार उस मंत्रालय को दिये जायें, क्योंकि एक मंत्रालय के पास अनेकों कार्य एक साथ रहने से किसी विशेष कार्य पर विशेष ध्यान देना कठिन हो जाता है और इस प्रकार किसी निश्चित कार्य को निश्चित समय में नहीं कर पाते। जितने भी एडवाइज़री बोर्ड बने हुए हैं, उन की चाल बहुत धीमी है—चींटी की चाल से भी धीमी है, जब कि सदियों से उनकी ये समस्यायें इसी प्रकार चली आ रही हैं और इतनी धीमी गति से इन समस्याओं का अन्त नहीं किया जा सकता। यह कार्य बड़ी शीघ्रता और सूझ का है। कारण यह है कि एक निर्धारित समय इस वर्ग को मिला है और उसी बीच में उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक विषमताओं को समाप्त करके उनको अन्य वर्गों के समानान्तर ला कर रिज़र्वेशन की आवश्यकता को समाप्त कर देना है। फिर रिज़र्वेशन के दस वर्ष भी इसी प्रकार व्यतीत होते दिखाई दे रहे हैं। इस कारण मैं कहना चाहती हूं कि इन सभी बातों का हल एक अलग मिनिस्ट्री कायम कर के ही हो सकता है।

शैड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने इन पिछड़ी हुई जातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है और इनके स्तर को ऊंचा करने के लिए १९५२ में अपनी रिपोर्ट में अनेकों सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। न सैंटर में और न ही स्टेट्स में उस पर कोई गौर किया गया। यदि उन पर अमल

[श्रीमति गंगा देवी]

किया गया होता तो मैं समझती हूं कि रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता होती। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में पेज ९४, पैरा २६ में सिफारिश करते हुए कहा है :—

> पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिये उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा के क्षेत्र पर अधिक जोर डालना आवश्यक है। निसंदेह अन्य दिशाओं में भी साथ साथ उन्नति की जानी चाहिये। पिछड़े वर्गों के विकास के लिये शिक्षा के अलावा इन बातों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है : (क) आवास व्यवस्था (ख) पीने के पानी का संभरण (ग) खेती के लिये भूमि की व्यवस्था (घ) घरेलू उद्योगों का विकास (ङ) स्वच्छता में सुधार (च) निशुल्क विधि सहायता।

ये जो सिफारिशें की गई हैं, इन पर आज तक भी गौर नहीं किया गया।

अब मुझे लैंड रिफार्म्स के बारे में कुछ कहना है। कुछ दिन पहले यू० एन० ओ० में बोलते हुए खाद्य समस्या के बारे में श्री कृष्ण मेनन ने कहा था कि १६ मिलियन एकड़ भूमि नई तोड़ कर के खेती के योग्य बनाई गई है और इस जमीन से देश की खाद्य समस्या बहुत हद तक हल हो जायेगी और अनाज के मामले में देश आत्म-निर्भर हो जायेगा। मैं समझती हूं कि इस प्रकार से सरकार जो जमीन को तोड़ती है, उस में से अगर ५० या ७५ प्रतिशत जमीन भी हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिस के लोगों को जिन के पास आज जमीन नहीं है, दे दी जाती तो देश की खाद्य समस्या हल हो गई होती और बेरोज़गारी और गरीबी भी बहुत हद तक दूर हो गई होती।

उत्तर प्रदेश में ९२ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को मिली है। ग्राम सभाओं के पास भी बहुत सी इस तरह की जमीन आई है। लेकिन लैंडलैस लेबरर्ज को और हरिजनों को यह जमीन न दे करके उन लोगों को दे दी गई जिन के पास पहले से ही जमीन थी। उन्होंने इस जमीन में बहुत बड़े बड़े फार्म खोले। गांव सभाओं तक की यह हालत है कि उन्होंने गांवों के लैंडलैस लेबरर्ज़ को जमीन न दे कर के दूर-दूर से दो दो और तीन-तीन सौ मील के फासले से लोगों को बुला कर जमीन दे दी। जब ऐसा किया जाता हो तो लैंडलैस लेबरर्ज़ की हालत कैसे सुधर सकती है ? मैं चाहती हूं कि इस ओर आपका ध्यान अवश्य जाये।

छुआछूत निवारण कानून के बारे में मैं अब कुछ कहना चाहती हूं। जिस तरीके से आज इस कानून पर अमल हो रहा है, उस तरह से छुआछूत कभी भी दूर नहीं हो सकती। अगर सरकार चाहती है कि यह दूर हो तो उसे कोई ठोस कदम उठाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो इसके बारे में कानून बना हुआ है, उसको रद्द कर दिया जाना चाहिये। उसके रहने की कोई जरूरत नहीं है।

एक अन्तिम बात कह कर म समाप्त कर दूंगी। बहुत से डेपुटेशन हमारे फारेन कंट्रीज़ में जाते हैं। मैं समझती हूं कि ये जितने भी डेपुटेशन गये उन्होंने वहां जा कर जितना भी अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव से हमारी जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। जितना पैसा हमारी सरकार ने डेपुटेशनों को बाहर भेजने पर खर्च किया है, वही पैसा अगर इंडस्ट्रीज़ में या टैक्नीकल इंस्टीटयूशंज़ में खर्च किया जाता तो उचित था और मैं समझती हूं कि ऐसा करने से उस पैसे का सदुपयोग हो सकता था। मेरा सुझाव है कि जब तक हमारा देश धन धान्य से पूर्ण न हो जाये तब तक जितने भी इस प्रकार के डेपुटेशंज़ जायें वे अपने खर्चे से जायें।

किसी भी वैलफेयर स्टेट के लिए यह आवश्यक है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैं उन सभी में सभी वर्गों के लोग हो । पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी जो श्रेणियां हैं, उन सभी में शैडयूल्ड कास्टस का रिप्रिजेंटेशन बिल्कुल निल के बराबर है । रेलवे ने इस बारे में अगर कोई कदम उठाया तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कर्मचारियों ने एक रिट पेटीशन दायर करके अपनी अनुदारता का परिचय दे दिया । मैं चाहती हूं कि स्टेटस में और सैंटर में भी उनकी आबादी के अनुपात से सर्विसिज़ में उन को कोटा पूरा मिलना चाहिये और इसको देने की समुचित व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये ।

†**श्री दातार** : मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं । श्री सुशीला नायर ने यह कहा है कि मैसूर सरकार ने यह घोषणा की है कि केवल ब्राह्मण ही पिछड़े हुए नहीं हैं । मेरे पास इस सम्बन्ध में सही जानकारी है इसके अनुसार मैसूर सरकार ने १९५९ में एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार १६४ समुदाय पिछड़े हुए थे, जो जातियां पिछड़ी हुई नहीं थीं, उन में ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रीय, पारसी और आंगल भारतीय भी शामिल थे । इसके पश्चात उन्होंने एक नगर गावडा समिति नियुक्त की इस के प्रतिवेदन के अधीन दो बड़े समुदाय यथा लिंगायत और वीर शैव व मुसलमानों को भी पिछड़ी हुई जातियां नहीं माना गया । अभी इस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी एक क्षेत्र के माननीय सदस्य आपस में समझौता नहीं करते हैं और सभी बोलना चाहते हैं जब कि सभा का समय सीमित है मैं ने संवाद पत्रों में इस आशय का समाचार भी देखा है कि चर्चा बहुत नीरस रही है । अतः मुझे चर्चा का स्तर बनाये रखने का भी विचार करना होता है, इसके अतिरिक्त मुझे सभी सम्प्रदायों के सदस्यों को भी समय देना होता है । अतः माननीय सदस्यों को अपने बीच में से ही चुनाव करना होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : आपने हमारे दल के दूसरे सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आज ही इस प्रकार का अपवाद उठ खड़ा हुआ है । मैं किसी अन्य मौके पर उनके तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा । मैं ने उनके एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया है, उन्होंने २५ मिनट तक अपना भाषण दिया । मैं सदैव उनके दो सदस्यों को बोलने का अवसर देता रहा हूं । कभी कभी ऐसा करना असंभव हो जाता है । अतः यदि इतने पर भी वे सभा त्याग करना चाहें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ।

(इस पर श्री त० ब० विट्ठल राव तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से उठ कर बाहर चले गये)

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय हम भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री स्वर्गीय श्री गो० ब० पंत की मृत्यु से दुखी हैं । उनकी मृत्यु पर सभा तथा देश के बाहर भी उनके प्रति श्रद्धान्जलि अर्पित की गयी है । निसंदेह उनकी मृत्यु से राष्ट्र की महान हानि हुई है और हम सब को भी बहुत दुख पहुंचा है । तथापि हमें इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आगे बढ़ते रहना है जिनके लिये उन्होंने संघर्ष किया था ।

श्री प्रभात कार ने यह पूछा है कि दिल्ली और नई दिल्ली में पिछले ६ या ७ वर्ष से दफा १४४ लगे रहने का क्या कारण है । दफा १४४ दिल्ली के कुछ विशेष क्षेत्रों में यथा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के चारो ओर, केन्द्रीय सचिवालय के चारों ओर तथा चांदनी चौक में लागू है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

वस्तुतः मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये कि कनाट प्लेस और चादनी चौक इत्यादि में इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि यदि वहां पुलिस को बताये बिना कोई प्रदर्शन किया जाय या जलूस निकाला जाय तो वहां बड़ा हंगामा मच सकता है। इससे वहां के यातायात और जनता को बहुत असुविधा हो सकती है।

जहां तक संसद भवन और केन्द्रीय सचिवालय का प्रश्न है आपने स्वयं इस सम्बन्ध में कहा था कि चाहे प्रदर्शन किसी प्रकार का भी क्यों न हो उसे संसद भवन से एक फर्लांग दूर पर ही रहना चाहिये, क्योंकि हम संसद भवन की सुरक्षा चाहते हैं। तथापि हम विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शनों या जलूसों पर बाधा नहीं डालते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने दिल्ली पुलिस के स्थायी पदों के बारे में कहा था। दिल्ली पुलिस में ३१५९ पद दीर्घ कालीन रूप से तीन वर्ष के लिये हैं। इनमें से २५२७ पदों को स्थायी बना दिया जायेगा। स्थायी बनाने से पूर्व सीधे भर्ती हुए उम्मीदवार को ३ वर्ष तक और पदोन्नत उम्मीदवार को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाता है। हेड कान्सटेबलों, ए० एस० आई० और इन्सपेक्टरों के पदों पर किसी भी व्यक्ति को सीधे नियुक्त नहीं किया जाता है।

श्री वाजपेयी ने जासूस के मामले का उल्लेख किया। इस संबंध में पांच मामले हुए हैं जिन में कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ गैर सरकारी व्यक्ति पकड़े गये हैं। ९ व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध किया गया है। हम इस मामले में पूर्ण सतर्कता बरत रहे हैं और ऐसी घटनायें रोकने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री ले० अचौ० सिंह : अपनी नज़रबन्दी के संबं में बहुत कुछ कहा है। उन के कागजातों का अध्ययन करने से मुझे ज्ञात हुआ कि उन पर वही कार्यवाही की गयी जो कि उस प्रकार के अन्य मामलों में की जाती है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हों ने सदन के सम्मुख अपनी शिकायत रखी है जब कि वे देश के उच्चतम न्यायालय तक पहुंच गये हैं, वहां से भी उनकी लेख याचिका अस्वीकार हो चुकी है, अतः मेरे विचार से अब उन्हें यह मामला समाप्त कर देना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने तीन या चार महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि निम्न मामलों पर उच्च शक्तियुक्त समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये।

(१) सरकारी प्रक्रिया में सुधार और उसे सरल बनाने के लिये आवश्यकता

(२) जनता की सेवा शीघ्रता और विनम्रता से करना

(३ बेकार विभागों और खंडों की समाप्ति

(४) विभिन्न एकाइयों और संस्थाओं के बीच समायोजन और

(५) काम को दुबारा करने या एक ही काम के दूसरे अंश को पुनः करने की समाप्ति।

(६) व्यय में कमी

राज्य सभा में इसी प्रकार की एक समिति नियुक्त करने के सुझाव के संबंध में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि कोई भी अकेली समिति सरकारी काम को सरल बनाने, उस के संगठन तथा जांच करने का कार्य सरलता से नहीं कर सकती है, तथापि मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि क्या कुछ चुने हुए कार्य की जांच के लिये जिसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है छोटे आन्तिरिक दल नहीं बनाये जा सके हैं।

प्रधान मंत्री के आश्वासन के अनुसार प्रशासन के कुछ चुने हुए क्षेत्रों की विस्तृत जांच के संबंध में मंत्रालयों ने आंतरिक दलों की स्थापना कर दी है । कुछ समय पूर्व स्वयं मंत्रियों ने भी इस संबंध में दिलचस्पी ली थी कई मंत्रियों ने स्वयं अपने प्रतिवेदन तैयार कर उन्हें मंत्रिमंडल के पास विचार करने के लिये भेजा था । तथा पि यह समस्या इतनी बड़ी है कि कुछ मंत्रियों के लिये या कुछ अधिकारियों के लिये इस पर चर्चा कर कुछ निर्णय कर सकना संभव नहीं है । मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मामले को केवल अधिकारियों तक ही छोड़ा जाय । वे पिछले ५० या १०० वर्ष से अधिक एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाते रहे हैं । उन के लिये उस से बाहर निकलना बहुत कठिन है । कुछ समय पूर्व मैंने ही सरकार को यह सुझाव दिया था कि इस विषय पर अधिकारियों की एक समिति बनायी जानी चाहिये । तथापि उस समिति में कुछ गैर सरकारी व्यक्ति भी होने चाहियें जिस से कि वे इस विषय के संबंध में नया दृष्टिकोण पैदा कर सकें । एक ऐसे व्यक्ति को जिस से प्रशासन का अनुभव हो इस समिति का अध्यक्ष होना चाहिये । इस में केवल ऐसे गैर सरकारी व्यक्ति नहीं होने चाहियें जिन के पास अपेक्षित समय नहीं हो, क्योंकि ऐसा होने पर वे इस कार्य के साथ पूरा न्याय नहीं कर पायेंगे । संसद् सदस्य इस समिति के सदस्य बन सकते हैं पर उन्हें इस कार्य के लिये अपना पूरा समय देना होगा । निसंदेह सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को इस ओर प्रयत्न करना चाहिये जिस से कि वे कुछ ऐसे निर्णय कर सकें जिन से प्रशासन के कार्य में सुधार हो ।

श्री मनायन ने कहा है कि नैपाली दार्जिलिंग जिले की सरकारी भाषा घोषित की जानी चाहिये । पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने बंगाल में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को संविधान के अनुच्छेद ३४५ के अधीन सरकारी भाषा घोषित नहीं किया है । नैपाली को मान्यता देने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब राज्य सरकार किसी भाषा को सरकारी भाषा बनाने के संबंध में निर्णय करेगी । अभी वहां राज्य तथा जिला स्तर पर भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है ।

उन्होंने संविधान में भाषा आयुक्त से संबंधित उपबंध का भी निर्देश किया, और यह कहा कि भाषा आयुक्त को विशेष शक्तियां दी जानी चाहियें । तथापि उसे कार्यपालिका शक्तियां देना संभव नहीं है । इस संबंध में भूतपूर्व गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों से बात-चीत की थी और यह सुझाव दिया था कि उन्हें आयुक्त की सिफारिशों पर तत्काल ध्यान देना चाहिये । आयुक्त केवल देश के विभिन्न भागों में जा कर अपना प्रतिवेदन दे सकता है । उन के प्रतिवेदन पर संसद् में चर्चा की जाती है और संसद् की स्वीकृति होने के उपरांत हम राज्य सरकारों को उस पर कार्यवाही करने की सलाह देते हैं । निसंदेह कई बार यह कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा उन सिफारिशों पर शीघ्रता से अमल नहीं किया जा रहा है ।

हाल ही में स्वर्गीय गृह मंत्री की सलाह पर राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि आयुक्त की सिफारिश पर ऊंचे स्तर पर विचार किया जाये । हम इस मामले पर गौर करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भाषा आयुक्त की सिफारिशों पर तत्काल अमल किया जाय ।

श्री नवल प्रभाकर ने यह कहा है कि तीसरी योजना के दौरान हरिजनों के कल्याण के लिये दिल्ली में पर्याप्त राशि नहीं रखी गयी है । इस संबंध में उनकी सूचना सही नहीं ज्ञात होती है । दूसरी योजना में इस प्रयोजन के लिये १९.५६ लाख रुपये रखे गये थे तीसरी योजना में इसे बढ़ा कर ३८.५५ लाख रुपये कर दिया गया है ।

[श्री लै० अचौ० सिंह]

श्री तिम्मय्या ने हरिजनों के लिये जो कुछ भी कहा है मैं उसे ध्यान में रखूंगा। तथापि इस संबंध में हमारी कुछ सीमायें हैं। वित्तीय संसाधनों के अनुसार हम स संबंध में भरसक प्रयत्न करेंगे, तथापि जहां तक इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति का प्रश्न है यह कार्य-राज्य सरकारों पर भी निर्भर करता है। उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण देने के संबं में जो कुछ कहा गया है मैं उस से सहमत हूं और हम इस कार्य में और अधिक प्रगति करने का प्रयत्न करेंगे।

ग्वालियर की महारानी ने प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अश्लील साहित्य के संबंध में कहा है। स्वयं गृह उपमंत्री ने यह कहा है कि स प्रकार का साहित्य कनाट प्लेस में बिकता है। मैं उपमंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वे इन बातों पर प्रतिबंध लगाने पर बिचार करें।

श्री फ्रैंक एंथनी ने आंग्ल भारतीय स्कूलों को मिलने वाले अनुदान की चर्चा की और कहा कि आंग्ल भारतीय विद्यार्थियों को दरिद्रता अनुदान जारी रहना चाहिये। स्वर्गीय गृह मंत्री ने दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इसका जिक्र किया था। कुछ दिन पूर्व भी वे इस के संबंध में मुख्य मंत्रियों से लिख चुके थे। इस में संदेह नहीं है कि कुछ राज्यों ने उन को लिखा है कि संवैधानिक कठिनाइयों के कारण वे उन्हें उपदान नहीं दे सकते हैं। तथापि राज्य सरकारें इस विषय पर पुनर्विचार कर सकती हैं। गृह मंत्री के पत्र के उत्तर में कुछ राज्य सरकारें उनको यह उपदान देने में सहमत हो गयी हैं। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि हम अन्य राज्यों से भी इसका जिक्र करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अन्य राज्य भी इस बात से सहमत हो जायेंगे।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने काश्मीर और उस के प्रशासन के बारे में जो बात कहीं हैं उन में से बहुत सी बातों का उत्तर श्री तारिक दे चुके हैं। निसंदेह जम्मू और काश्मीर के प्रशासन में भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तथापि यह जानने के लिये कि काश्मीर ने क्या प्रगति की है सब से अच्छा यह होगा कि स्वयं काश्मीर जाकर देखें कि वहां कितनी प्रगति हुई है। मैं पांच वर्षों बाद वहां गया और वहां की चतुर्दिक उन्नति देख कर स्तब्ध रह गया। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वे उद्योगों की प्रगति के लिये भी बहुत जागरूक हैं। वे वहां सीमेंट और कच्चे लोहे के कारखानों की स्थापना करना चहाते हैं। अतः यह कहना अनुचित है कि वहां के लिये जो रुपया दिया जा रहा है उसका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। जहां तक कि संघ प्रशासित क्षेत्रों की बात है मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्रों का प्रशासन करने का अवसर दिया जाये। यह एक न्यायोचित बात है। अभी तक कुछ क्षेत्रीय परिषद हैं जिन में वहां के लोग काम कर रहे हैं। इस बारे में इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि पंत जी से मिले थे और वे स्वयं यहां के प्रशासन में कुछ परिवर्तन करने के बारे में तथा इन लोगों को कुछ और अधिकार देने की बात सोच रहे थे। इस समय यह बताना कठिन है कि हम क्या कार्य-वाही करेंगे। जो भी काम हम करें वह अच्छी तरह किया जाना चाहिये। हम चाहते हैं कि लोगों को वहां प्रशासन संबंधी पूरे पूरे अधिकार मिलें।

साथ ही हम यह भी नहीं चाहते हैं कि त्रिपुरा, मनीपुर तथा दिल्ली जैसे छोटे छोटे राज्य राजनीतिक दलों के अखाड़े बनें। यदि वहां लोग लोकतंत्रीय राज्य चाहते हैं तो उन्हें उत्तरदायित्व लेना होगा। और यह देखना होगा कि वहां हर समय राजनतिक दलों का प्रभाव नहीं बना रहेगा। और वहां का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। मैं मानता हूं कि यह कहा जा सकता है कि बड़े राज्यों में भी तो गुट बंदियां हैं। लेकिन उन के संसाधन बहुत हैं और राज्य के विकास के

लिये बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वे लड़ते भी हैं तो उनका काम चलता रहता है । लेकिन छोटे छोटे राज्यों में काम चलाना कठिन हो जायेगा अगर वे लोग ही आपस में लड़ते रहे जो कि प्रशासन को चलायेंगे। और इस से राज्य एवं वहां की जनता के सामने कठिनाई आ जायेगी। मैं समझता हूं कि संसद मेरी इस बात से सहमत होगी कि इस पर कुछ प्रतिबन्ध रखा जाये। ऐसी कार्यवाहियों पर प्रतिबंध रखा जाये जो इन क्षेत्रों के प्रशासन एवं योजना में रुकावट डालें। इस बारे में गृह मंत्रालय बड़ी सावधानी तथा अच्छी तरह से विचार करेगा और उस के बाद भारत सरकार कोई निर्णय करेगी। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस बारे में जो भी निर्णय किया जायेगा वह आगामी चुनावों से बहुत पहले निश्चय कर लिया जायेगा। दिल्ली के बारे में भी हम विचार करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि हम दिल्ली को एक अलग ही श्रेणी में रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि हम दिल्ली को हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, अथवा त्रिपुरा की श्रेणी में नहीं रख सकते ।

जहां तक सेवाओं तथा प्रशिक्षण की बात है मैं इस बात से सहमत कि सेवा पदाधिकारियों को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा तथा भविष्य में सरकार जो काम करेगी उसके ढंग में भी परिवर्तन करना होगा। पहले स्थिति कुछ दूसरी ही थी और विधि और व्यवस्था की स्थापना करना ही उनका मुख्य दायित्व था लेकिन अब विकास कार्यों को जैसे कृषि तथा उद्योगों को अथवा अन्य दूसरे सामाजिक विकास कार्यों को जैसे शिक्षा आदि को अधिक उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । अतः हम प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस दृष्टिकोण से कार्य करना है कि सरकार की नीति का अच्छे एवं संतोषजनक ढंग से पालन हो सके।

अब प्रशासनिक पदाधिकारियों को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । भारतीय प्रशासकीय संस्था मसूरी में उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण कोर्स दिया जा रहा है । यह संस्था मसूरी में गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन खोली गई है और एक नये प्रकार का कोर्स वहां निर्धारित किया गया है । यह संस्था सर्व प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारियों को देश की राष्ट्रीय पृष्ठ भूमि की जानकारी देती है। उन्हें इस बात की भी अच्छी जानकारी कराई जाती है कि सरकार की नीति क्या है, तथा सरकार के आगामी कार्यक्रम क्या हैं और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उनकी कार्यवाहियां क्या हैं ? इस के अलावा उन्हें यह भी बताया जाता है कि महात्मागांधी के सिद्धान्त क्या हैं तथा उनकी नीति क्या थी एवं उन के कार्यक्रम क्या थे। मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी क्या कहते थे और क्या वह हम को बनाना चाहते थे इस से तो हम बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी हमारी कार्यवाहियों का आधार गांधी जी के विचार एवं उन के कार्यक्रम ही हैं। मेरा विचार है कि यह बता ठीक है यह बात दूसरी है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं। कमियां ही यदि किसी में देखी जांय तो इन से कोई बचा नहीं है । सभी लोगों में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इस संस्था में केवल आई०ए० एस० पदाधिकारियों को ही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है बल्कि सभी सेवाओं के उच्च पदाधिकारियों को इस संस्था में प्रशिक्षग दिया जाता है । वैसे तो हर सेवा के अपने अपने प्रशिक्षण केन्द्र हैं लेकिन इस संस्था में आ कर सभी लोग एक साथ मिलते हैं और सामान्य रूप से चर्चा करते हैं। और इस प्रकार वे समझ सकते हैं कि भविष्य में वे किस प्रकार अधिक सहयोग के द्वारा कार्य कर सकते हैं।

ऐसे पदाधिकारियों के लिये भी पुनरध्ययन पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है जो गत दस या १५ वर्षों से सेवा में हैं। इसके अलावा यह भी निश्चित कर दिया गया है कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिये गोष्ठियां की जायें। सरकार तथा कर्मचारियों के बीच के आपसी संबंधों के बारे में बस इतना ही

[श्री ले० अचौ० सिंह]

कहा जा सकता है कि सभी चाहते हैं कि इसके संबंध यथासंभव शांतिजनक हों। कुछ दिन हुये तब विभिन्न मजदूर संगठनों ने यह निर्णय किया था कि सरकारी कर्मचारियों की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। उस समय सरकार ने सुझाव दिया था कि हम यह सोचेंगे कि बड़े बड़े झगड़ों को किस प्रकार निपटाया जा सकता है। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या इन मामलों को अन्ततोगत्वा निपटाने के लिये क्या कोई मध्यस्थ न्यायाधिकरण हो। यह बात उस समय के लिये सोची गई थी कि जबकि बातचीत बराबर चलती रहे और कोई निर्णय न हो। लेकिन सरकार का विचार है कि न्यायाधिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार ही अन्तिम निर्णायक है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना पसन्द करेंगे। अगर सरकारी कर्मचारी इस बात के लिये तैयार हो जाते हैं तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की भी बात उठती है और वह न्यायाधिकरण यदि किसी प्रकार कर्मचारियों को सन्तोष देता है तो सरकार उसके लिये सहमत हो सकती है। मुझे मालूम हुआ है कि श्रम संगठनों में इस बारे में मतभेद है। लेकिन फिर भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और यथाशीघ्र ही हम इसके बारे में कोई निर्णय करेंगे।

जहां तक हड़तालों की बात है ये हड़ताल रुकनी चाहिये इनके खिलाफ रोकने वाले उपाय किये जाने चाहिये। ताकि ये हड़तालें न हों। इस संबंध में वेतन आयोग ने इंगलिस्तान के ढांचे पर ह्वाइटले परिषद् बनाने की राय दी है। सरकार ने इस बारे में भी अच्छी तरह जांच की है और गृह कार्य मंत्रालय ने एक पूरी योजना तैयार कर ली है। इन परिषदों में सरकारी तथा श्रमिक दोनों के ही प्रतिनिधि होंगे इसमें श्रमिक प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी। इन परिषदों का कार्य मामलों की अच्छी तरह जांच करना और समझौता कराना होगा। अतः ये परिषदें भी अच्छी तरह काम करेंगी और हड़तालों को रोकने में सहायता देंगी।

श्री माथुर ने सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिये। मेरा विचार है कि इस समय सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देगी। मेरे विचार से इस समय यह नीति अपनाना कर्मचारियों एवं सरकारी उपक्रम दोनों के लिये ही घातक होगी। क्योंकि हम अभी लोकतंत्र के प्रथम चरण में ही हैं हम ऐसी स्थायी परम्परायें एवं रूढ़ियां स्थापित करना चाहते हैं जो हमें दृढ़ एवं गतिशील बनायें। हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकारी काम में ध्यान लगायें। मेरा विचार है कि यदि वह पूरे दिल से और गम्भीरता से काम करें तो उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिये बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। दूसरे उन्हें नई पीढ़ी को इसके लिये तैयार करना है कि वे उनका स्थान ग्रहण कर सके। हमें ऐसी परम्परा बनानी होगी कि राजनीतिज्ञों अथवा विधायकों और सरकारी कर्मचारियों में किस प्रकार के संबंध हों। यह बड़ा अजीब सा मामला है और अभी तक हम इसका कोई समाधान नहीं कर सके हैं। इतना जरूर है कि सरकारी कर्मचारियों को सामान्यतः यह जानना चाहिये कि सरकार की नीति क्या है। और यह बात उन्हें मालूम हो जाने के बाद उन्हें इस बात का अवसर मिलना चाहिये कि वे इन योजनाओं को यथा साध्य अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर सकें। अगर उनके काम में दैनिक हस्तक्षेप किया जाये तो यह न तो पदाधिकारियों के ही और न संबंधित व्यक्तियों के हित में होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि कर्मचारी राजनीति से अथवा किसी भी राजनीतिक कार्य से अलग रहें। मेरा विचार है कि यदि वे राजनीति के पचड़े मे पड़ गये तो पता नहीं कि क्या परिणाम होगा। क्योंकि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता इन कर्मचारियों पर अपनी अपनी धौंस जमायेंगे। और इस प्रकार उनका पतन होगा। अगर पदाधिकारियों को अकेले ही छोड़ दिया गया तो वे जनता के हितों को भलकर अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ही ध्यान रखेंगे। अतः मेरे विचार से

वर्तमान स्थिति में वर्तमान पराम्परायें ही ठीक हैं। आगामी कुछ दिनों के लिये हमारे यहां प्रचलित ब्रिटिश पद्धति ही ठीक है। और हमें इसी पर दृढ़ रहना चाहिये। लेकिन इसका यह भी अभिप्राय नहीं है कि पदाधिकारियों का परिवर्तन नहीं होना चाहिये अथवा उन्हें अपने काम के ढंग में परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

कर्मचारियों के साथ जिस सहानुभूति के साथ बर्ताव करना चाहिये वैसा बर्ताव पदाधिकारी नहीं करते। यह बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। जहां तक कि हमारी सरकार के विकास कार्य का संबंध है पदाधिकारियों को गैरसरकारी पदाधिकारियों के साथ पूरे सहयोग एवं सामंजस्य के साथ बर्ताव करना चाहिये। पदाधिकारियों को सन्देह और भ्रांति से दूर रहना चाहिये। पदाधिकारियों में विद्वता होना भी आवश्यक है। उनमें जनता का विश्वास भी होना चाहिये। हमारी सरकार का स्तर बहुत ऊंचा है। एक बात और है जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध हमें शिकायत मिलती है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व हमें नियम तथा प्रक्रिया का भी अच्छी तरह अध्ययन कर लेना चाहिये। वर्तमान नियम बहुत ही जटिल तथा परेशानी में डालने वाले हैं। निर्णय करने में काफी देर लग जाती है।

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित करना नितांत आवश्यक है। जब कभी दो राज्यों के बीच सीमा के झगड़े, भाषा की बात या इसी प्रकार की कोई बात उठती है तो बहुत सी पेचीदीगियां सामने आ जाती हैं जो हमारी कमजोरी का कारण बनती हैं। अतः इसके लिये यह आवश्यक है कि संसद् इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करे।

अभी हाल में जबलपुर और सागर में झगड़े हुये हैं जिनके कारण अल्पसंख्यकों को काफी परेशानी हुई है और उनको हानि भी उठानी पड़ी है। संसद् के सभी वर्गों ने इन बातों की कटु आलोचना की है। और निन्दा भी की है। यह बात ठीक है कि अल्पसंख्यक जातियों में भी जातीय भावनायें हैं लेकिन बहुमत वाली जातियों को चाहिये कि वे इसे भूल जायें। इस मामले में हमारा ही उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये हमें उपाय सोचने चाहियें।

मौलाना हिफजुर रहमान ने एक आयोग में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पहले भी ऐसा ही हुआ है। दूसरे उन्होंने कहा है कि खोज करने के दौरान में किसी भी तरह के कागज़ को उपस्थित कराने का अधिकार आयोग को नहीं दिया गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह अधिकार तो आयोग को दिया गया है। शायद उनके समझने में कुछ भूल हुई हो।

भाषा का प्रश्न भी एक बहुत जटिल मामला बन गया है।

भाषा विवाद का राजनीतिक लाभ उठाने के लिये कई राजनीतिक दलों ने प्रयत्न किया है। यह ठीक बात नहीं है। पंजाब में मास्टर तारा सिंह सिख राज की बातें कर रहे हैं। पंजाबी सूबे की बात दूसरी है, परन्तु मास्टर तारा सिंह जो कुछ कहते और बताते हैं उनसे तो सिख राज की ही बू आती है। सिख राज्य की मांग एक विगठनकारी शक्ति के रूप में देश में काम कर रही है। ऐसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने के हेतु मार्गोपाय ढूंढने के लिये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राजनीतिक तथा सभी प्रकार के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये।

मेरा तो यह मत है कि अब समय आ गया है कि साम्प्रदायिकता की आड़ में काम कर रहे समाज विरोधी तत्वों और उन लोगों के विरुद्ध जो गड़बड़ करना चाहते हैं, क्यों न निवारक

[श्री ले० अचौ० सिंह]

नजरबन्दी अधिनियम का प्रयोग किया जाय। इस अधिनियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिये नहीं किया गया है, परन्तु अब इसका प्रयोग साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध भी किया ही जाना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि हमें सचेत रहना चाहिये और भूलें नहीं करनी चाहिये परन्तु कड़ी कार्यवाही करने से भी घबराना नहीं चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४६	गृह-कार्य मंत्रालय	३,२२,४६,०००
४७	मंत्रिमंडल	३४,१४,०००
४८	क्षेत्रीय परिषदें	२,२३,०००
४९	न्याय प्रशासन	२,२५,०००
५०	पुलिस	६,५०,७०,०००
५१	जनगणना	३,०६,१९,०००
५२	आंकड़े	१,४४,३२,०००
५३	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां व भत्ते	३,९१,०००
५४	दिल्ली	१३,६०,५९,०००
५५	हिमाचल प्रदेश	८,७०,२८,०००
५६	अन्दमान व निकोबर द्वीपसमूह	२,७३,१४,०००
५७	मनीपुर	३,६६,१७,०००
५८	त्रिपुरा	५,७४,६१,०००
५९	लक्कद्वीप, मिनीकोय व अमीनद्वीप द्वीपसमूह	२५,१४,०००
६०	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	६३,८९,०००
१२५	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	८४,६३,०००

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहें १५ मिनिट में दे दें।

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१-६२ के लिए निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९७	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय	५९,५३,०००
९८	संभरण . .	२,८२,८४,०००
९९	अन्य असैनिक निर्माण-कार्य	३०,४६,४०,०००
१००	लेखन-सामग्री और मुद्रण . . .	८,१९,११,०००
१०१	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विधि विभाग तथा व्यय . . .	६०,९१,०००
१३८	दिल्ली पूंजी व्यय	११,१९,५२,०००
१३९	भवनों पर पूंजी व्यय	८,८८,२५,०००
१४०	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	२,१७,२१,०००

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): श्रीमान जी मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ११३० से ११६२, १०५० से १०६७ और १०८६ से १०९७ तक प्रस्तुत करना चाहता हूं । यह सब ६३ कटौती प्रस्ताव हैं। इस मंत्रालय का संबंध देश की विकास योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों से हैं। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक मकान योजना और बागानों के लिए मकान योजना के प्रति कर्मचारियों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया है। औद्योगिक मकान योजना को बढ़ावा देने के लिए समुचित विधान की अपेक्षा है । मजदूरों और सहकारी संस्थाओं को सीमेंट और इस्पात की उपलब्धि के लिये उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि वे मजदूरों के लिए मकान बना सकें ।

गन्दी बस्तियों को साफ करना बड़ा महत्वपूर्ण मामला है । सरकार को बताना चाहिए कि गन्दी बस्तियों को खत्म करने में क्या प्रगति हुई है और उस के लिये कितने धन की व्यवस्था की गयी है । राष्ट्रीय निर्माण निगम को मेरा सुझाव है कि उन्हें ठेका देने के बजाय स्वयं निर्माण का काम करना चाहिये । इन भवनों की मरम्मत और देख भाल का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। स्टोर अधिकारी तथा कर्मचारी अधिकारी भी नियुक्त किये जाने चाहिएं । कर्मचारियों को स्थायी करने में होने वाले विलम्ब को यथा शक्ति कम कर दिया जाना चाहिए। इस मामले में जो परस्पर विरोधी बातें चलती रहती हैं उन्हें दूर करने के लिए जो समिति है उस के साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मजदूर संघ को संबद्ध किया जाना चाहिए ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

मैं एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय सम्पत्ति उपनिदेशक के पदों को समाप्त कर देना चाहिए । चन्दा समिति की सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये क्वार्टर उन के दफ्तरों से बहुत दूर नहीं बनाये जाने चाहिएं। क्वार्टरों में बिजली पानी आदि की सभी अपेक्षित सुविधायें होनी चाहिएं ।

मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ता मिला दिया गया है, इस बात को देखते हुए क्वार्टरों के लिए वेतन का १० प्रतिशत किराया कहीं बहुत अधिक तो नहीं है । इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि राजकीय सम्पत्ति निदेशक का एक प्रादेशिक कार्यालय मद्रास में स्थापित किया जाये ।

सम्भरण और निपटान निदेशालय में मामलों की जांच का जो ढंग अपनाया जाता है वह ठीक नहीं है इस में सुधार किया जाना चाहिए । यह भी देखा जाना चाहिए कि सरकारी मुद्रणालयों में काम करने वाले लोगों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही वेतन मिले ।

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि विस्फोटक सामान बनाने वाले कारखानों की जांच जल्दी जल्दी की जाये ताकि दुर्घटना होने की सम्भावनायें कम हो जायें । मेरा यह भी मत है कि कलकत्ता और मद्रास में इन्स्पैक्टरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ।

जनपथ होटल के बारे में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है । इस होटल के भोजन प्रबन्ध को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। कर्मचारियों एवं मालिकों के आपसी सम्बन्ध भी शुरू से ही बहुत खराब हैं। इन संबंधों की जांच की जानी चाहिये। कुछ आपरेटरों को लगातार रात में काम करना पड़ता है इस प्रथा को भी समाप्त किया जाना चाहिये। चौकीदारों के साथ बड़ा अशिष्ट व्यवहार किया जाता है । उनकी देख भाल करने वाला पदाधिकारी उन्हें गालियां देता है । इन चौकीदारों को स्थायी बनाया जाना चाहिये । जनपथ होटल के प्रशासन की जांच होनी चाहिये । इस होटल के कर्मचारियों को निवास आदि की पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिये। कर्मचारियों को केन्टीन की सुविधा भी मिलनी चाहिये ।

अंत में मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों के बारे में विचार करेंगे ।

†श्री पु० र० पटेल (मेहसाना) : भवन निर्माण के मामले में जो प्रगति हुई है निश्चय ही उस के लिये मंत्रालय बधाई का पात्र है । औद्योगिक तथा नगरीय आवास व्यवस्था की दिशा में प्रशंसनीय प्रगति हुई है, पर ग्रामों में आवास व्यवस्था की दिशा में प्रगति नहीं हुई है और यह बड़े दुख की बात है । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि जिस प्रकार औद्योगिक आवास व्यवस्था के लिये राजकीय सहायता दी जाती है क्या उसी प्रकार खेतिहर मजदूरों की आवास व्यवस्था के लिये भी राजकीय सहायता नहीं दी जा सकती है। खेतीहर मजदूर की दशा औद्योगिक कर्मचारी की अपेक्षा शोचनीय है । इसी प्रकार किसानों की दशा भी खराब है इन की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कम आय वालों के लिये मकानों के निर्माण में भी काफ़ी प्रगति हुई है। यह बड़े संतोष की बात है। गंदी बस्तियों के हटाने की दिशा में भी अच्छी प्रगति हुई है। लेकिन गंदी बस्तियों के हटाने का काम केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है; गावों में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस सिलसिले में गांवों की दशा अति ही शोचनीय है। गावों में मनुष्य तथा जानवर एक ही मकान में रहते हैं। गरीबी के कारण उन्हें यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। क्योंकि वे दूसरे मकान नहीं बना सकते इसलिये उन्हें यह सब कुछ करना पड़ता है। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि इन ग्रामीण निवासियों को क्या सहायता दी जा रही है।

दूसरी योजना में ग्रामों की आवास व्यवस्था के लिये जो धन रखा गया था, उसका पूरा पूरा सहयोग नहीं किया गया है। इस मामले में राज्य बेपरवाही कर रहे हैं, उन से कहा जाना चाहिये कि वे गावों के रहने वालों की आवास व्यवस्था की समस्या की ओर ध्यान दें। दिल्ली में मकानों की बड़ी तंगी है। यद्यपि एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है और मकान बनवाने के लिये भूमि भी अर्जित कर ली गई है, पर यह भूमि सहकारी आवास, समितियों को नहीं दी जा रही है। इन समितियों को भूमि दी जानी चाहिये ताकि वे मकान बनवा सकें।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में जब कि हम तीसरी योजना का श्रीगणेश कर रहे हैं और देश के सामने सुरक्षा का बड़ा सवाल है, वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई विभाग की जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गयी हैं।

यह मिनिस्ट्री सन् १८५४ में सबसे पहले कायम हुई। उस वक्त अंग्रेजों का राज्य था। उस वक्त इस विभाग की एक्टिविटीज ज्यादातर मिलिटरी के कामों की तरफ थीं। उस वक्त बड़े सिविल वर्क्स कुछ नहीं होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस डिपार्टमेंट का डेवेलपमेंट हुआ और आज इसका ७१,२१,७२,००० का खर्चा हमारे सामने है।

जैसा कि पिछले साल भी मैंने अर्ज किया था इसमें वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई, ये तीन मुहकमे शामिल हैं। यह बहुत बड़ा मुहकमा है और इसलिये मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि इस थोड़े से समय में इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकूं। लेकिन मैं वर्क्स और हाउसिंग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा।

वर्क्स के मुताल्लिक पिछले साल भी मैंने अर्ज किया था कि जितना करप्शन और भ्रष्टाचार इस मुहकमे में है शायद किसी दूसरे मुहकमे में नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें पबलिक एकाउंट्स कमेटी की ३४वीं रिपोर्ट से आपको मिल सकती हैं।

एक मिसाल है कि एक हैल्थ सेंटर बनाया गया जिसकी कास्ट ३,३५,२५० रुपये थी। इसमें लिंटल का काम होना था। काम हो रहा था कि आंधी आयी और उसकी वजह से इलेक्रीट का जो काम था वह गिर गया और उसके बाद ३७,६६३ रुपया और लगाकर उसको ठीक किया गया। यह अजीब तमाशा है कि इतना कमजोर काम किया जाता है जो तेज हवा में गिर जाता है।

इसके अलावा कुछ सैनीपुलेशन आफ मेजरमेंट के केसेज हैं। इसमें एक केस है पेज १२१ पर। यह एक सड़क का काम था। इसमें जो अर्थ वर्क हुआ वह १,७८,००० क्यूबिक फीट था लेकिन उसको नाप दिया गया ६,०३,१३९ क्यूबिक फीट और इस तरह से डिपार्टमेंट को ७९३२ रुपये का घाटा हुआ।

[श्री मोहन स्वरूप]

इसी तरह से ओवर पेमेंट के भी कुछ केसेज हैं। पेज १२१ पर दिया हुआ है कि एक सड़क पर काम हो रहा था। वहां पर जो अर्थ वर्क हुआ था वह ३२,४८,३७२ क्यूबिक फीट था, उसका पेमेंट होना था, लेकिन पेमेंट किया गया ३६,५९,७१६ क्यूबिक फीट के लिए। और इसमें ठेकेदार को १२,५५३ रुपये का फायदा हो गया। इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। पार्लियामेंट की स्क्रीनिंग कमेटी और आडिट रिपोर्ट की ये मिसालें हैं। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इस विभाग का फिर से रिआरगेनाइजेशन करने पर विचार किया जाए।

खुशी की बात है कि पिछले साल जब इस पर बहस हुई तो उस वक्त कहा गया था--एक कमेटी बनी है करप्शन को रोकने के लिए। मुझे भी सजेशन देने को कहा गया था लेकिन उस वक्त मैं सजेशन नहीं दे सका। अब मैं करप्शन को रूट आउट करने के लिए कुछ सजेशन देना चाहता हूं। मेरे सजेशन इस प्रकार हैं :

इससे पहले कि काम शुरू हो मैं चाहता हूं कि उसके तखमीने पर विचार किया जाए। ये एस्टीमेट एक स्क्रीनिग कमेटी के सामने रखे जाएं और वह देखे कि एस्टीमेट दुरुस्त है या नहीं। उसके बाद काम शुरू होने पर साइट पर यह देखा जाए कि जो मैटीरियल लगाया जा रहा है वह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं। जिस वक्त काम चलता है उस वक्त मैटीरियल का सेम्पिल लिया जाए और उसको लेबारेटरी में टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि सीमेंट वगैरह ठीक ठीक लग रहा है या नहीं। उसी के साथ सीमेंट और रेत का रेशियो भी देखा जाए कि ठीक है या नहीं। उसके बाद काम खत्म होने पर मेजरमेंट करके देखा जाए कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम हुआ है या नहीं। ये सब चीजें मैं चाहता हूं।

इसके साथ साथ एक चीज और भी है। मेरा सुझाव है कि इस विभाग के जो आफिसर्स हैं जैसे ओवरसियर, सब डिवीजनल आफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह इनको कहा जाए कि ये सालाना अपना हिसाब सबमिट करें कि इनका बैंक बैलेंस कितना है। ताकि मालूम हो सके कि इनकी आमदनी और खर्च क्या है। मैंने पार साल कहा था कि जब ये लोग नौकर होते हैं तो इनका बैंक बैलेंस निल होता है लेकिन साल भर के अन्दर ही इनका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाता है। तनख्वाह में तो गुजारा होना कठिन है। तब यह देखना होगा कि यह रुपया कहां से आता है। इसका हिसाब देने के लिए उनको मजबूर किया जाना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट की एक कमेटी बने जो कि साइट पर जाकर काम की जांच पड़-ताल करे जिससे जनता को विश्वास पैदा हो। आज हालत यह है कि अगर कोई पुल बनाया जाता है तो लोग यह नहीं समझते कि यह काम हमारा हो रहा है। हालांकि यह पुल लोगों के फायदे के लिये बन रहा है लेकिन वह कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के कामों के साथ पीपिल्स पारटिसिपेशन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह जो कमेटी बने इसमें कुछ पबलिक के आदमी हों, कुछ लेजिसलेटर हों और कुछ दूसरे लोग हों। यह कमेटी सी० पी० डबल्यू० डी० के डिवीजन्स के बेसिस पर बनायी जाए और काम की देखभाल करे।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जो अफसर ठीक काम नहीं करते हैं या जो एजेंसीज़ ठीक काम नहीं करती हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उस लिस्ट को बाकायदा मेनटेन किया जाए और काम देते वक्त उसका लिहाज रखा जाए, जब किसी अफसर को डिप्यूट किया जाए तो, मैं चाहता हूं कि यह देख कर डिप्यूट किया जाए कि वह ईमानदार आदमी है। जो अफसरान अच्छा

काम करें उनको मैं चाहता हूं कि इनाम मिले । अभी अच्छी खेती करने के सिलसिले में कृषि पंडित की उपाधि दी जाती है । मैं चाहता हूं कि उसी पैटर्न पर उसी तरीके पर विश्वकर्मा की उपाधि अच्छे इंजीनियर्स को दी जाय । अब विश्वकर्मा का नाम बहुत महत्व रखता है और जब मैं बंगाल गया था तो मैंने देखा कि वहां पर विश्वकर्मा की पूजा होती है । मैं चाहता हूं कि जो अच्छे इंजीनियर्स हैं जिनका कि काम क्रेडिटेबुल हो और जिनके कि काम की प्रशंसा होती है उनको इसकी उपाधि मिलनी चाहिए । छोटे वर्कर्स को भी इनकरेजमेंट मिलना चाहिए ताकि वे खुश होकर दिल लगा कर काम करें और उनमें आगे बढ़ कर सच्चाई और लगन से काम करने की प्रवृत्ति पैदा हो ।

प्रमोशंस के बारे में मुझे यह कहना है कि उसमें कास्टिज्म चलता है, जातिवाद चलता है । मैं आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि यह तो सेंट्रल पी० डब्लू० डी० की बात है लेकिन अभी हमारी आर्मी में और डिफेंस फोर्सेज में प्रमोशंस् के सवाल पर डिसरप्शन पैदा हो गया था । इस प्रमोशन के सिलसिले में फेवरिटिज्म घर करती चली जा रही है । अगर चीफ इंजीनियर के सामने प्रमोशन का कोई सवाल आयेगा तो वह जिस जाति से ताल्लुक रखता है उस जाति वाले की मदद करेगा ।

मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक अलग से कमेटी बने । आल इंडिया बेसिस पर यह कमेटी बनाई जाय और जितनी सर्विसेज हैं उनके प्रमोशंस का मामला इस कमेटी के सामने रखा जाय । वह एक एक्सपर्ट्स कमेटी हो और उसमें पार्लियामेंट के मेम्बर्स भी रखे जायें । वह सारे प्रमोशंस् के मामलों को देखें । उसके बाद वे लोग जो कि काम करने की क्षमता रखते हों और जो ईमानदार हों उनको आगे बढ़ाया जाये लेकिन जो आदमी अच्छा काम नहीं करते हैं उनको काम करने का मौका न दिया जाय ।

जो भी काम होता है ठेकेदारी सिस्टम पर होता है । इंजीनियर्स खाली इंस्पैक्शन का काम करते हैं । साइट्स पर जाकर काम को देखा और चाहा तो उसे पास कर दिया या रिजैक्ट कर दिया । ठेकेदारों का एक ऐसा क्लास बन गया है जो कि लेबरर्स को तंग करता है और उन पर जुल्म करता है । यह मिडिलमैन की हैसियत से जो ठेकेदार रहता है वह सारे करप्शन की बुनियाद है । अब यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि २५ परसेंट ठेकेदार खाता है । मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और अगर जरूरत पड़े तो सबूत दे सकता हूं कि २५ परसेंट स्टाफ, इंजीनियर्स वगैरह खा लेते हैं और बाकी सिर्फ ५० फीसदी ऐसा है जो कि काम में लगता है । आप देखते हैं कि यही कारण है जो इमारतें बनती हैं और वह दूसरे साल ही गिरने लग जाती हैं । मैटीरियल उसमें नहीं लगता है । एक तरीके से यह ठेकेदार लोग ब्लडसकर्स हैं और मजदूरों को बहुत कम मजदूरी यह लोग देते हैं और उनको स्टारवेशन वेजेज पर रखते हैं । उनसे ओवर टाइम वर्क कराते हैं और उनको मजदूरी नहीं देते हैं । यह पीस वर्क कंट्रैक्ट बेसिस पर या डिपार्टमेंटल बेसिस पर जो लेबर एम्पलाई काम करते हैं उसके बारे में मैं स्लाई कमेटी की जो रिपोर्ट है, सन् १९१७ की बहुत पुरानी रिपोर्ट है उसमें बहुत दिलचस्प चीजें मौजूद हैं और मैं उसका कुछ हवाला इस मौके पर देना चाहता हूं । उसमें देश के एक बहुत बड़े इंजीनियर राय बहादुर गंगा नाथ शामिल थे .....

श्री अ० मु० तारिक : १९१७ की रिपोर्ट में लेटेस्ट चीजें कैसे हो सकती हैं ?

श्री मोहन स्वरूप : उसमें बेसिस और फाउंडेशन का जिक्र है और उसमें तो कोई फर्क नहीं आया है। राय बहादुर गंगा राम पंजाब के एक बहुत मशहूर इंजीनियर थे और वह इस स्लाई कमेटी में शामिल थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि पीस वर्क पर ज्यादा काम लिया जाय। जो बड़े काम हैं उनको डिवाइड कर दिया जाय। । लोकल बाडीज को काम ज्यादा दिया जाय। उन्होंने तजवीज किया था कि जो बड़े काम हैं उनको पी० डब्लू० डी० अंजाम दे .....

उपाध्यक्ष महोदय : उस रिपोर्ट पर अमल हुआ ?

श्री मोहन स्वरूप : वह रिपोर्ट यूं ही पड़ी रह गई। रिपोर्टों पर अमल होता कहां है। रिपोर्ट तो एक डिलेइंग मेजर है। एक कमेटी बना दी गई उसने एक रिपोर्ट पेश कर दी और इस तरह वह झमेला बढ़ता रहा। रिपोर्ट्स इम्पलीमेंटेशन के लिए नहीं होती हैं .....

एक माननीय सदस्य : उस रिपोर्ट का नाम क्या है ?

श्री मोहन स्वरूप : मिस्टर स्लाई जो नागपुर में कमिश्नर थे उन्होंने उस रिपोर्ट में यह तजवीज किया था कि जब टेंडर की एक्सेप्टेंस हो जाय तो उसके बाद ठेकेदारों को वह काम न करने दिया जाय। इसी के साथ साथ उन्होंने यह तजवीज किया था कि प्रमोशंस् खाली सीन्यारिटी पर न हों बल्कि वरिष्ठता अन्य योग्यताओं के समान होने पर निर्धारित की जाये। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज किया था कि पीस वर्क पर काम किया जाय। ठेकेदारों को उन्होंने इनकरेज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ठेकेदार काम को सबलैट कर देते हैं। उससे एक्सप्लायटेशन बढ़ता है, और करप्शन बढ़ता है। ठेकेदार उसमें गड़बड़झाला करते हैं।

यह ठेकेदारी प्रथा ब्लैक मार्केट का घर है। ठेकेदार लोग चीजों को चुराते हैं और ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। हमारे इंजीनियर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह सामान चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेच सकें लेकिन उनके जरिये से यह सब चीजें वे करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बिलकुल ही हटा दिया जाय। हमारे इंजीनियर्स लोग जो कि अभी टांग पसार कर बंगलों में आराम से सोते हैं वे निकल कर देखें कि काम ठीक से और ईमानदारी से चल रहा है कि नहीं।

अगर ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल समाप्त करना संभव न हो तो मेरा सुझाव यह है कि आप बिल्डिंग कंसट्रक्शन सोसाइटीज बनायें जैसे कि अमरीका और इंगलैंड आदि देशों में है। वहां बड़ी बड़ी कंसट्रक्शन फर्म्स मौजूद हैं और वह इंजीनियर्स रखती हैं और उनके जरिये यह कंसट्रक्शन का काम कराया जाता है। उसी तरीके से यहां पर भी किया जाता है और इस तरह की रजिस्टर्ड बाडीज की स्थापना की जा सकती है। मेरा खयाल है कि ऐसा होने से हमारे देश में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स के निकलने में मदद मिलेगी। सेंट्रल पी० डबलू० डी० का जो इंसपैक्शन का काम है उसमें थोड़ी सी अड़चन पड़ेगी क्योंकि टेकनिकल नो हाऊ के आदमी इधर इन रजिस्टर्ड बोडीज में भी एम्पलायेड होंगे और उनके कारण आज जो बड़े स्केल पर गड़बड़घुटाला चलता है उस पर कुछ रोक लग सकेगी और उसमें कुछ कमी आ सकेगी। इसी के साथ साथ अच्छे इंजीनियर्स भी पैदा होंगे। हमारे देश में लड़कों के मन में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति पैदा होगी। उस हालत में हमारे देश में इंजीनियर्स की काफी डिमांड होगी। आज देश में अगर कोई कमी है तो ईमानदारी की कमी है। हमारे देश में निरन्तर अच्छे लोगों की कमी होती चली जा रही है। अभी हमारे पंत जी चले गये। उनके निधन से ऐसा लगता है कि मानो एक वैकुअम हो गया हो। हालत यह हो रही है कि हिन्दुस्तान में अच्छा आदमी अगर चला जाता है तो दूसरा वैसा आदमी

मिलता नहीं है और यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब अगर हिन्दुस्तान के डेमोक्रेटिक सेट अप को ठीक तरीके से चलाना है तो इस करप्शन को रूट आउट करना होगा। इस रिश्वतखोरी का सबसे बड़ा अड्डा अगर कोई है तो वह सेंट्रल पी० डब्लू० डी० है।

अब ज्यादा न कह कर आखिर में मैं केवल हाउसिंग के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल हाउसिंग के लिये २३.५ करोड़ बतौर कर्जे के रूप में दिया जाता है और २०.९१ करोड़ ऐज सबसिडी दिया जाता है। ३०.०७ करोड़ रुपया इस थर्ड फाइव इयर प्लान में प्रोवाइड हुआ है और लो इनकमग्रुप हाउसिंग के वास्ते ३७.२७ करोड़ प्रोवाइड हुआ है। ७.१८ करोड़ रुपया रिवाइज्ड बजट में रखा गया है और इसके बाद प्लान्टेशन लेबर हाउसिंग में नार्थ इंडिया में २,४०० रुपये और साउथ इंडिया में १,९२० रुपया एक मकान के लिये रखा गया है और अस्सी परसेंट कास्ट दी है। जहां हाउसिंग की दूसरी ब्रांचिज हैं, उनमें काफी रुपया दिया जाता है—मिसाल के तौर पर सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग में लोन और सबसिडी दोनों रखे गये हैं—लेकिन जहां गरीब आदमियों का, गांवों के पिछड़े आदमियों का सवाल आता है, वहां कुछ नहीं है, वहां निल है।

इनिशियल स्टेजिज में ५०० गांवों को माडल विलेज बनाने की तजवीज थी। अब उस तादाद को ५,००० कर दिया गया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के ५,५८,००० गांवों में यह तादाद तो एक कतरे के बराबर है—कुछ नहीं के बराबर है। थर्ड फाइव-यीअर प्लान में इसके लिये सिर्फ १४.५५ करोड़ रुपये प्रोवाइड हुये हैं, जबकि इंडस्ट्रियल हाउसिंग में और दूसरी मदों में जो रुपया रखा गया है, उस पर आप गौर करें कि कितना रुपया रखा गया है। हिन्दुस्तान की आबादी ४३ करोड़ से ऊपर हो गई है और गांवों में रहने वाले लोग उस आबादी का ८५ प्रतिशत, बल्कि ९० प्रतिशत हैं। फिर भी अगर गांवों को डेवेलप न किया जाये, तो यह मुनासिब न होगा। मजदूरों को इसलिये कुछ फायदा पहुंचाया जाता है कि वे आरगनाइज्ड हैं, जब कि किसान आरगनाइज्ड नहीं हैं और बहुत से हिस्सों में बिखरे हुये हैं। मजदूर की बात सुनी जाती है और मजदूर की बात करने वाले लोग भी हैं, जबकि किसान की बात करने वाले कोई नहीं हैं। लेकिन वोट तो किसान से आते हैं। वोट हासिल करने के वक्त किसान के पास जाया जाता है, लेकिन डेवेलपमेंट के बारे में गांवों को एकदम भुला दिया जाता है। कहा जाता है कि गंवार लोग हैं गांवों के, उनको जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल इन्सान नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की मनोवृत्ति ज्यादा अर्से तक नहीं चल सकती। जब किसान जाग जायगा और अपने कदमों पर खड़ा हो जायगा, तो ये बेइन्साफियां बर्दाश्त नहीं होंगी।

मैं डिमांड्स में दी गई कुछ दिलचस्प बातों का भी जिक्र कर देना चाहता हूं। पेज ६८ पर खस की टट्टियों का तजकिरा किया गया है, जिन पर दो लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन इसके साथ ही करोड़ों रुपया एयर कन्डीशनिंग पर भी खर्च हो रहा है। ये डबल बातें क्यों हैं? या तो सरकार हिन्दुस्तानी तरीके पर चले और या अंग्रेजी तरीके पर—या तो वह खस की टट्टियां इस्तेमाल करे और एयर कन्डीशनिंग को खत्म कर दे, या सिर्फ एयर कन्डीशनिंग को रखे। मैंने अक्सर देखा है कि कमरे में एयर कन्डीशनिंग भी है और बरामदे में खस की टट्टी लगी हुई है। हर साल खस की टट्टियां खराब हो जाती हैं। हम अक्सर सड़कों के किनारे खस की टट्टियां बनते हुये देखते हैं। बाद में उनको खत्म कर दिया जाता है। इस तरीके से बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, जो रोका जा सकता है। यह बात मुनासिब नहीं है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। या तो खस की टट्टियां हों और या एयर कन्डीशनिंग हों।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : इससे मजदूरों को काम मिलता है।

श्री मोहन स्वरूप : काम मिलता है, लेकिन यह फिजूल खर्ची है। काम कहां मिलता है मजदूरों को ? अगर मजदूरों और किसानों को काम मिलने लगे, तो रोना काहे का है ? दिक्कत तो यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर टट्टियों को डेस्ट्राय न करें, तो काम और भी कम हो जायगा।

श्री मोहन स्वरूप : पिछली बार श्री ब्रजराज सिंह ने कालीनों का तजकिरा किया था। समझ में नहीं आता कि कालीनें हर साल पुरानी हो जाती हैं, या उनको जंग लग जाता है। पेज ७० पर लिखा है कि राष्ट्रपति भवन के लिये २,०६,००० रुपये की कालीनें आयेंगी इस साल और पेज ११५ पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के यहां १,३७,३०६ रुपये की एक कालीन और १०,००० रुपये की एक कालीन आयगी। इसमें लिखा हुआ है—**रिप्लेसमेंट आफ बोर्न आउट कारपेट्स इन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस**।

श्री अ० मु० तारिक : आनरेबल मेम्बर ने कहा है कि एक लाख का कालीन है। वह कौन सा है ?

श्री मोहन स्वरूप : मुझे क्या मालूम कि कौन सा है। इसमें यह लिखा हुआ है। अगर ये फिगर्ज सही हैं, तो यह बात भी सही है।

पिछले साल श्री ब्रजराज सिंह ने इसका जिक्र किया था। मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि ये क्या तमाशा है। क्या ये कालीन फेंक दिये जाते हैं, या सड़ जाते हैं ?

श्री अ० मु० तारिक : पिघल जाते हैं।

श्री मोहन स्वरूप : पिघल कर क्या होता है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों का फिर से सर्वेक्षण हो और इस बीमारी को दूर करने के लिये मुअस्सर कदम उठाये जायें। अगर नहीं उठाये जाते हैं, तो यह महकमा बदनाम होता चला जायगा और काम भी मिट्टी होता चला जायगा।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अ० मु० तारिक : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डब्ल्यू० एच० एस० मिनिस्ट्री को और खास तौर पर वजारत के वजीर साहब और नायब वजीर साहब को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि अब के फूलों की नुमायश में डब्ल्यू० एच० एस० मिनिस्ट्री ने काफी इनामात जीते हैं, खासकर हार्टिकल्चर डिवीजन ने।

जहां तक इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, यकीनन इसका ताल्लुक हिन्दुस्तान के हर शहरी से है, चाहे वह छोटा हो, या बड़ा। जहां तक इस वजारत के आम कामों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी हद तक इस वजारत ने यह कोशिश की है कि इस सिलसिले में पेश आने वाली मुश्किलात को दूर किया जाये। जहां तक देहातों की तरक्की का ताल्लुक है, देहातियों की जिन्दगी को संवारने का सवाल है, माडर्न तरीके पर गांवो को बनाने का सवाल है, यह मिनिस्ट्री हर मुमकिन तरीके से इस बात की कोशिश करती है कि उन मुश्किलात पर काबू पाया जाये, जो कि मौजूदा हालात में हिन्दुस्तान की तमाम जरूरियात को पूरा करने के सिलसिले में पेश आती

हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं इस वजारत की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस वजारत का काम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि बहुत सी और बातों की तरफ तवज्जह देना जरूरी है, जैसे आनरेबल मेम्बर साहब ने अभी कालीनों का जिक्र किया और मेरा ख्याल है कि उनकी मालूमात दुरुस्त नहीं है और उन्होंने कीमतों के बारे में काफी मुबालगे से काम लिया है। यह हम जानते हैं और यह हकीकत है —और किसी हद तक वजीर साहब इत्तिफाक करते हैं—कि हम फरनीचर पर, सरकारी मकानों और दफ्तरों के फरनीचर पर काफी रकम खर्च करते हैं। अगर इस तरफ थोड़ी सी तवज्जह दी जाये, तो यकीनन हम इस खर्च को बहुत बड़ी हद तक कम कर सकते हैं।

जहां तक वजारत के छोटे-छोटे कारिन्दों का ताल्लुक है, हमारी राय है कि वजारत ने उनकी जिन्दगी को संवारने के लिये बहुत ज्यादा काम नहीं किया और न इस वजारत की तरफ से छोटे-छोटे काम करने वालों को कोई गारण्टी है, कोई जमानत है कि उन्हें हर वक्त या पूरा साल, काम मिलता रहेगा।

जहां तक उनकी दूसरी जरूरियात का ताल्लुक है, उनके रहन सहन का ताल्लुक है, उसकी तरफ भी खास तवज्जह दी जानी चाहिये। यह वजारत जहां दिल्ली शहर में बहुत बड़े बड़े मकान बनाने में कामयाब हुई है, वहां उन मकानों के बनाने वालों के लिए कोई खास अच्छा इंतिजाम नहीं कर पाई है। हमारे शहर में जहां जहां मकान बनते हैं, वहां-वहां छोटे-छोटे रहने वालों की गन्दी वस्तियां भी बनती शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दूर दराज से जिन मजदूर को काम करने के लिए लाया जाता है, उनके रहने का यह वजारत ठीक इंतजाम नहीं करती है। अगर उनके रहने का इंतिजाम हो जाए तो वे लोग कभी भी अपनी जिंदगियां इन गन्दे मकानों में और इन गन्दी बस्तियों में नहीं गुजारेंगे। यह वजारत अपनी गैर-तवज्जही की वजह से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। मैं चाहता हूं कि उनके रहने के लिए दिल्ली शहर में चन्द मील के फासले पर कोई बड़ी-बड़ी सरायें बनाई जायें या बैरेक्स बनाई जायें और साथ ही साथ उनके लिए ट्रांस्पोर्ट का अच्छा बन्दोवस्त किया जाए ताकि वे काम पर आ जा सकें।

जहां तक छोटी-छोटी नौकरियां का ताल्लुक है, जिनके बारे में यू० पी० एस०सी० की जरूरत नहीं है या जहां कोई इम्तहान की जरूरत नहीं और जहां सिर्फ इन्सान के लिए कारीगर होना जरूरी है जैसे तरखान है, मेसन है, कुली है, मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के तमाम फिरकों के लोगों को, तमाम मजहबों के लोगों को बराबर की नुमाइंदगी दी जानी चाहिये। किसी खास आदमी को, किसी खास वजह से इससे महरूम नहीं रखा जाना चाहिये, उसका काम उससे नहीं छीना जाना चाहिये। बिना मजहब के इमत्याज के सभी को नौकरी मिलनी चाहिये। मैं यह इसलिए कहता हूं कि यह वजारत ऐसी है जहां हर किस्म के लोगों का ताल्लुक पड़ता है और मजदूरों का मजहब मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन जहां तक काम का ताल्लुक है, वह एक है। इस वास्ते इस तरफ खास तौर पर तवज्जह दी जानी चाहिये।

मैं इस वजारत को बुद्धा पार्क बनाने के लिए खासतौर पर मुबारिकबाद पेश करता हूं। मैंने उसको दूर से देखा है। काफी खूबसूरत है। दिल्ली में इस तरह के पार्क बनाने की खास तौर से जरूरत है।

[श्री अ० मु० तारिक]

अशोका होटल के सामने काफी जगह खुली पड़ी है जिसकी तरफ मैं वजीर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जगह बिल्कुल पब्लिक लैट्रिन बन चुकी है। हजारों लोग दिनदहाड़े और रात को इसको इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस जगह को अगर एक अच्छे पार्क की सूरत दे दी जाए तो वहां रहने वाले लोगों को, करीब के रहने वाले लोगों को काफी फायदा हो सकता है। वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, उनको भी फायदा हो सकता है।

अब मैं अशोका होटल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी ने इसके बारे में एक रिपोर्ट पेश की है जिस की तरफ मैं जी इज्जत मैम्बर साहिबान की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अभी तंगामणि साहब ने इसकी तरफ आपकी तवज्जह दिलाई है और इसके बारे में तजकरह किया है। इस में कोई शक नहीं है कि जहां तक प्रापेगंडा का ताल्लुक है, पब्लिसिटी का ताल्लुक है, वह काफी होता है। हमें बताया गया है कि अशोका होटल अब काफी फायदा देगा। ठीक है, उसे फायदा देना चाहिये क्योंकि हमने इस पर काफी बड़ी रकम खर्च की है। लेकिन इसके बारे में चन्द बातों की तरफ मैं इस एवान का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज के बारे में है। यह किसी हद तक अफसोसनाक है कि जितने भी इसके डायरेक्टर्ज हैं, वे हमारी वजारतों के सैक्रेट्रीज हैं। हर वजारत का सैक्रेट्री कम अज कम इसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में है। एक तरफ यह कहा जाता है कि उनके पास बहुत काम है, सरकारी फाइलें इतनी हैं कि वे उनको पूरे तौर पर देख भी नहीं पाते हैं, उनसे काम नहीं निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यह काम भी सौंपा गया है और एक ऐसी आर्गेनाइजेशन के बोर्ड आफ डायेक्टर्ज में रखा गया है जिसके बारे में उन्हें ए, बी, सी, डी, भी मालूम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कितने डायरेक्टर हैं, अशोका होटल के जो कभी खुद होटल में रहे हैं या किसी विजिनेस को उन्होंने किया है। जहां तक बिजिनेस का ताल्लुक है, उसका इंतिजाम विजिनेस को जानने वालों के हाथ में ही दिया जाना चाहिये। जहां तक मेरा ख्याल है एस्टीमेट्स कमेटी ने इसके बारे में सिफारिश भी की है और मैं चाहता हूं कि उस तरफ खास तवज्जह दी जाए। सरकारी डायरेक्टर्ज की तादाद कम की जाए।

अब मैं अशोका होटल में काम करने वालों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक छोटे-छोटे लोगों का ताल्लुक है, उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। बेयरर्ज की तनख्वाह शायद पचास रुपये माहवार से ज्यादा नहीं है। उनका जो गुजारा जिन्दगी है, वह टिप्स पर ही चलता है। टिप्स वहां पर बांटी जाती हैं और इसके अन्दर ऐसे लोगों को भी शरीक किया जाता है जिनकी तनख्वाह ५०० रुपये माहवार है। मैं समझता हूं कि हमारे समाज में टिप लेना और खास तौर से ऐसे आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह ५०० रुपये माहवार है, अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है।

आप वहां पर काम करने वालों को तनख्वाहें देते हैं, और काफी बड़ी तनख्वाहें देते हैं। जनरल मैनेजर साहब की तनख्वाह २४०० रुपये है। वैसे यह कोई बहुत बड़ी तनख्वाह भी नहीं है लेकिन और जो उनके रहन सहन पर हम ५२५० रुपये इसके अलावा खर्च करते हैं और इस तरह से उनकी तनख्वाह कुल मिला कर तकरीबन साढ़े सात हजार के करीब होती है।

श्री मोहन स्वरूप : तब तो यह प्रेजीडेंट साहब के बराबर हो गई।

श्री अ० मु० तारिक : एक और मैनेजर साहब है, उनकी तनख्वाह २५०० है और उसके रहन सहन पर हम ३९०० रुपये खर्च करते हैं। इस तरह से उनकी कुल तनख्वाह सवा छः हजार हो जाती है। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं। अगर वाकई में आपको अशोका होटल को सही तरीके पर चलाना है, तरीकेकार पर चलाना है तो जिस तरह से हमारे सैक्रेट्रीज जिन पर कि इस हुकूमत का दारोमदार है, जो हकूमत को चलाते हैं, अलग से वे अपना गुजारे जिन्दगी चलाते हैं, उसी तरह से हमारा यह फर्ज है कि हम अशोका होटल में मोटी-मोटी तनख्वाहों वालों के लिए अशोका होटल से बाहर रहने का इंतिजाम करें, उनको सरकारी मकान एलाट करें। मैं नहीं समझ सकता कि वह वजारत जिसके हाथ में इस मुल्क में तमाम मकानों के एलाटमेंट का काम है, वह उनको रहने के लिए मकान नहीं दे सकती है। यह वजारत मकान देने या न देने में ना-खुदा है और अगर वह चाहे तो स्टाफ को मकान दे सकती है। मोटी-मोटी तनख्वाहों वाले चन्द अफराद पर वह क्यों अपना हाथ नहीं डालती है।

एक और अफसोसनाक वाके की तरफ जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे जनरल मैनेजर यूरोप जाते हैं, शायद चार पांच हफ्ते से ज्यादा वहां रहते हैं। हमारे खर्च से जाते हैं यह जानने के लिये कि यूरोप के होटल कैसे चलते हैं, वहां कैसा इंतिजाम है। लेकिन जब वापिस आते हैं तो कई दिन तक, कई हफ्तों तक और शायद कई महीनों तक कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है। जब यह मसला एस्टीमेट्स कमेटी के सामने आता है तो कहा जाता है मेरे पास कोई नोट नहीं था। मैं आपकी वसालत से इस वजारत से ही नहीं बल्कि इस हुकूमत से क्या यह पूछने का हक रखता हूं कि क्या यह पैसा यहां के रहने वाले लोगों का पैसा नहीं है और क्या इसमें वह पैसा भी शामिल नहीं है जो उन लोगों से वसूल किया जाता है जो खुद तो फाका रहते हैं, लेकिन हुकूमत को टैक्स की सूरत में या और सूरतों में रकमें अदा करते हैं? अगर यह सही है तो क्या यह इस हुकूमत का फर्ज नहीं है कि काम ठीक ढंग से चले? हम और आप लोग जिन के बल बूते पर यहां बैठे हैं, अगर हम इस पैसे का ठीक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके साथ आंख नहीं मिला सकते हैं। किसी से पैसा लेना तो ठीक है लेकिन पैसे का नाजायज तरीके पर इस्तेमाल करना हिन्दुस्तान की शान के खिलाफ है।

होटल के इंतिजाम का जहां तक ताल्लुक है, वहां जो लिफट्स हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वे इस काबिल भी नहीं हैं कि मुझे और सामन्त साहब को एक साथ ले जा सकें। लेकिन उन्हीं लिफट्स में आज आठ-आठ और दस-दस आदमियों को ऊपर ले जाया जाता है। मैं टोकियो गया था और कुछ और लोग भी गए थे और हमने वहां देखा टोकियो शहर में बेशक हम कोई बहुत अच्छे होटल में नहीं ठहरे, कि सैयाहों के आराम के लिए जो लिफ्टस थीं और जो नौकरों के बात करने का तरीका था, लोगों को मिलने का तरीका था, वह इस कद्र अच्छी थीं और वह तरीका इस कद्र अच्छा था कि मालूम होता था कि मशरिकी हम नहीं बल्कि मशरीकी वे हैं। मैं चाहता हूं कि यही चीज यहां पर भी हो।

जहां तक होटल के इंतिजाम का ताल्लुक है, जो जनरल मैनेजर हैं, वह ब्रिगेडियर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है वह कर्नल है, उसके बाद जो हाजिरी लेने वाला है, वह कैप्टेन है और इन दोनों के —दर्म्यान एक मेजर— साहब हैं और नीचे सब के सब सूबेदार

[श्री अ० मु० तारिक]

हैं। मैं नहीं समझ सका हूं कि यह क्या कोई बिजिनेस कनसर्न है या कोई मार्शल ला एडमिनिस्टर्ड एरिया है। मैं इस बात से इत्तिफाक कर सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फौजियों का होना जरूरी है। लेकिन वहां सौ दो सौ आदमी हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर है, एक जनरल मैनेजर है जिसको बिजिनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और उसके नीचे जितने भी आदमी हैं सब आप फौजी रखते हैं, इस सबसे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूं। आप कहते हैं कि अशोका होटल तरक्की की तरफ जा रहा है। वह तरक्की की तरफ इसलिए जा रहा है कि उसके साथ कम्पीटीशन बहुत कम है, हुकूमत के जितने भी गेस्ट आते हैं, वे वहीं ठहरते हैं, कान्फ्रेंसिस के सिलसिले में जितने भी लोग आते हैं, उनके लिए और कोई चायस नहीं है, वे वहीं जा कर ठहरते हैं। कई लाख का बिल तो गवर्नमैंट ही अदा करती है।

इसके अलावा मैं छोटे छोटे दूकानदारों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जी इज्जत मैम्बर खास तौर से इस पर खयाल करें। वह यह है कि छोटे छोटे दूकानदारों से साल भर का किराया २०,००० रु०, २२,००० रु० और ३०,००० रु० तक लिया जाता है, और वहां पर मेरे ख्याल में ऐसी २० के करीब दूकानें होंगी। एक छोटी बुक स्टाल से, जो सवा सवाया डेढ़ डेढ़ रु० की किताबें बेचती है, २२,००० रु० किराया लिया गया है। वह शख्स यह किराया कैसे अदा करेगा ? उस के बारे में आज लोगों की राय है कि वह वहां किताबों का बिजिनेस नहीं होता बल्कि कुछ और होता है।

जहां तक अशोक होटल का ताल्लुक है, यह कहा जाता है कि वहां काफी आमदनी होगी, लेकिन जहां तक अकाउंट्स का ताल्लुक है उन के बारे में कोई खास इन्तजाम नहीं है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि यह ऐवान इस काम के लिये कोई खास कमेटी मुकर्रर करे, जो हिसाब से ताल्लुक रखती हो। मिसाल के तौर पर समझ लीजिये कि कोई मेम्बर वहां एक पार्टी देता है तीस या चालिस आदमियों का। टेबल पर लगाया जाता है तीस या चालिस आदमियों का खाना। उस में ऐसी चीजें भी हैं, जिन को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह फूट की शक्ल में हों या किसी और शक्ल में। उस का रिटर्न कसे भरा जाता है अकाउंट्स का ? यह ठीक है कि चीजों की खरीद दिखलाई जाती है और फरोख्त दिखलाई जाती है। २० सन्तरे लिये गये और २० सन्तरे बेचे गये। लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं तो वह बचे हुए सन्तरों को तो अपने साथ नहीं ले जाते। जो चीज बची हुई होती है उस का रिटर्न नहीं दिखलाया जाता। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी चीज है और इस का सही तौर पर हिसाब रखने से बहुत फायदा हो सकता है। वहां पर छोटी छोटी चीजों की ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी रकमों की गड़बड़ी होती है।

मैं वजारत की तवज्जह इस अशोक होटल की बात के अलावा, वहां की एक और बड़ी चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अशोक होटल में जरूरियात की जो चीजें हम हिन्दुस्तान से हासिल कर सकते हैं, खादी के रंग में, यूनिफार्म वगैरह के सिलसिले में, उस की तरफ खास तवज्जह दी जाये और कम से कम एक इन्साफ किया जाय और वेअररर्स को सारी वर्दियां साफ दी जायें और अच्छी खादी की दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो अशोक होटल के अन्दर ही चक्कर लगाते रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : जरा जनता होटल पर आइये।

श्री अ० मु० तारिक : उस पर भी अभी आऊंगा। यह भी बहुत बड़ा मसला है। इस के अलावा मैं एस० टी० सी० की बिल्डिंग के बारे में भी वजीर साहब से पूछना चाहता हूं। जहां तक एस० टी० सी० का ताल्लुक है, आज से तकरीबन तीन साल पहले हमें यह बतलाया गया था कि एस० टी० सी० के लिये हम एक बिल्डिंग बनायेंगे और उस बिल्डिंग के लिये तकरीबन ५० लाख रु० अलग रक्खा गया था। अब दो साल हो चुके हैं लेकिन एस०टी०सी० के लिये कोई बिल्डिंग नहीं बनाई गई। इस का असर अवाम पर या अवाम के खजाने पर पड़ा है और एस० टी० सी० जो एक आध साल पहले १०,००० रु० अपने दफ्तर के किराये के ऊपर अदा करता था, अब से ४५,००० रु० माहवार इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के हिस्से पर अदा करना पड़ता है। इस के लिये जिम्मेदार है हमारी डब्ल्यू० एच० एस० मिनिस्ट्री। दूसरे जब हम ने एक्सप्रेस पेपर्स को जमीन दी थी तो हम ने वादा लिया था कि वह अपने प्रेस के अलावा किसी और को किराये पर बिल्डिंग नहीं देंगे, और अगर देंगे तो हुकूमत को जिस हिसाब से उस जमीन की कीमत अदा करनी पड़ेगी उस हिसाब से किराये पर देंगे। तो अब जब कि यह बिल्डिंग किराये पर दे दी गई है तो हम यह जानने का हक रखते हैं कि क्या इसी हिसाब से एक्सप्रेस पेपर्स से जमीन की कीमत वसूल की गई थी ? जब उन को इजाजत दी गई थी उस वक्त आप ने किराये के बारे में जो शर्त रक्खी थी क्या वह शर्त अब हटा दी गई कि जिस हिसाब से हम किराया दें उस तरह की कीमत वह अदा करें? मैं जानना चाहता हूं कि एक्सप्रेस बिल्डिंग का कितना हिस्सा ऐसा है जो वह खुद इस्तेमाल करते हैं और कितना किराया उस से वसूल होता है, और क्या यह भी हकीकत है कि एक्सप्रेस बिल्डिंग के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया ने लाखों रुपये बिल्डिंग बनाने के लिये दिये थे ? अगर यह सब चीजें हम ने दी थीं तो किस हिसाब से हम यह लाखों रुपया एस० टी० सी० के लिये किराये के तौर पर देते हैं ? वजारत क्यों नाकामयाब हुई है एस० टी० सी० के लिये बिल्डिंग बनाने में ?

इस के अलावा मैं आप की तवज्जह इस पर दिलाना चाहता हूं कि कई साल हुए इस ऐवान में आप ने वादा किया था कि छोटे छोटे लोगों के लिये, गरीब लोगों के लिये या ऐसे लोगों के लिये जो हिन्दुस्तान में या दिल्ली शहर में अच्छी तालीम के लिये या खास काम के लिये आयें, आप एक जनता होटल बनायेंगे।

(श्री मूलचंद दुबे पीठासीन हुए)

वादा आपने किया था जनता होटल बनाने का और बना दिया आपने जनपथ होटल। इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जह दी जाये और जनता की तरफ भी ख्याल किया जाये।

एक और बात जो मैं आप की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वह यह कि अशोक होटल के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, जिस का आप फायदा उठा सकते हैं, अगर आप उसे एक पार्क की सूरत दें, और उस में आप का कोई ज्यादा रूपया भी खर्च नहीं होगा। बल्कि इस एरिया से जिस ने आज एक गन्दी बस्ती की सूरत अख्त्यार कर ली है, आप को नजात हासिल होगी, और वहां पर छोटे छोटे लोग जो नाजायज इस्तेमाल उस का करते हैं, वह भी बन्द हो जायेगा।

अगली चीज जिस की तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह उस फर्निचर के बारे में है जिसका किराया आप हम लोगों से भी लेते हैं और शायद सरकारी मुलाजिमात से भी। जिस वक्त उस को आप खरीदते हैं उस वक्त जो किराया आप उस का लेते हैं वही बाद में भी लेते रहते हैं। क्या आपको यह महसूस नहीं होता कि वह असासा कदीमा है।

[श्री अ० मु० तारिक]

इस वक्त भी आप उस का किराया उसी हिसाब से काटते हैं। इस बारे में आप की तरफ से अपनी पालिसी वाजेह होनी चाहिये। यह भी बतलाया जाना चाहिये कि कितने साल में आप उसे रिप्लेस करेंगे और जब रिप्लेस करेंगे तो पुराना फर्निचर क्या होगा। जैसा एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि पुराने कालीन कहां जाते हैं ? मैं ने कहा कि वह पिघल जाते हैं। अगर आप को समझ में न आता हो कि पिघलना क्या होता है तो आप दुबे साहब से पूछ लीजिये। तो यह पिघलना भी एक बहुत बड़ी बात है और इस की तरफ भी आप तवज्जह दें। खास कर उन छोटे छोटे आदमियों की तरफ जो आप के कारिन्दे हैं।

हमें बहुत सी शिकायतें मौसूल हुई हैं कि वहां हर तरीके के लोगों के लिये आसानी से काम नहीं मिलता है। इस की तरफ भी आप को तवज्जह देनी चाहिये।

मैं एक बात पर आप के मतालबात जर की ताईद जरूर करता हूं कि फूलों की नुमाइशों में आप ने तमगे वगैरह हासिल किये हैं। डब्ल्यू० एच० एस० मिनिस्ट्री का यह बहुत बड़ा कारनामा है, सब से बड़ी बात है कि फूलों की नुमाइश में उस ने कुछ इनामात जीते हैं। इस पर मैं उस को मुबारकबाद देता हूं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, इस निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय की चर्चा आज हो रही है। इस मंत्रालय का प्रमुख कार्य सरकारी और गैर-सरकारी लोगों के आवास की व्यवस्था करना और भवनों का निर्माण करना तथा सरकारी विभागों और मंत्रालयों के लिये जो आवश्यक सामग्री है उस को खरीदना है। मैं समझता हूं कि इन १३ वर्षों में जब से देश आजाद हुआ, तब से यदि हम दृष्टिपात करें तो जो आवास की समस्या है, चाहे वह सरकारी कर्मचारियों की हो चाहे शहर में रहने वाले दूसरे लोगों की हो अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की हो, वह समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई। वह समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस के साथ साथ यदि आप इस बात को देखें कि आखिरकार निर्माण कहां हो रहा किस के लिये निर्माण हो रहा है, तो आप दूर मत जायें, इन १३ वर्षों के अन्दर इस लोक सभा के चारों तरफ, जहां हम बैठे हुए हैं, दो वर्ग मील की ओर दृष्टिपात करें, तो हम को लगेगा कि इस में जितने भवन बने हुए हैं, अशोक होटल से लेकर कनाट प्लेस तक, या जहां भी आप दृष्टिपात करें, इस लोक सभा के आस पास दो दो मील तक लगभग २ अरब के भवन बने हुए हैं। इन में २ अरब रुपये का सीमेंट, इटें और दूसरी वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। आप देखें कि देश के अन्दर जितना उत्पादन सीमेंट और लोहे का होता है उसका कितना भाग आपने लोक सभा के आसपास के दो वर्ग मील में लगा दिया है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि ये चीजें ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा पातीं जहां कि हाल की जनगणना के अनुसार देश की ४३ करोड़ की आबादी में से ३५ करोड़ आबादी रहती है। अगर पूछा जाये कि आपने कितना लोहा और सीमेंट गांवों में भेजा है तो स्पष्ट उत्तर मिलेगा कि बहुत कम भेजा है। हम देख रहे हैं कि इन १३ वर्षों में शहरों में बड़े बड़े भवन बनते जा रहे हैं, लेकिन गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ? मैं समझता हूं कि यह जो आपके बड़े भवन बनते जा रहे हैं यह कोई सचमुच में योजना नहीं है। यह तो ऐसे है जैसे कि आपने कीचड़ में कुछ शहरों में कमल खिला दिए हों। इससे कोई देश का सफल निर्माण नहीं हो सकता। आपने जो ये बड़े बड़े भवन खड़े किए हैं ये करदाताओं के पैसे से खड़े किए

हैं। लेकिन करदाता के पैसे में से गांवों को कितना दिया गया ? आज भी गांवों के लोगों को सीमेंट और लोहा प्राप्त करने के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने होते हैं। वह सीमेंट कहां जाता है। अगर खोज की जाए तो वह इन बड़े बड़े शहरों में दिखायी देगा दिल्ली में और दूसरे बड़े बड़े शहरों में सीमेंट और लोहा लगाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि यह मंत्रालय इस बात का विचार करें कि यह सीमेंट और लोहा जो आप यहां बड़े बड़े भवनों में लगा रहे हैं वह अब कुछ गांवों की ओर जाना चाहिए। आप अपनी योजनाओं को कुछ कम कीजिए ताकि आप गांवों का भी कुछ निर्माण कर सकें। शहरों का निर्माण कर के आप गांवों को बरबाद करें यह तो कोई वास्तविक योजना नहीं है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं वह ठेके हैं। मैंने इस रिपोर्ट में पढ़ा है कि आप जो लोगों को व्यक्तिगत ठेके देते हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार होता है जिसके बारे में अभी हमारे मित्र ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं उसी बात को नहीं दुहराना चाहता। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने से मालूम हुआ है कि अब भारत सेवक समाज को पांच लाख के ठेके दिए जायेंगे। अब भारत सेवक समाज भी ठेकेदारी करेगा। ये भारत सेवक समाज, भारत साधु समाज, भारत महिला समाज और भारत युवक समाज क्या हैं मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। अगर थोड़े में कहा जाए तो यह भारत सेवक समाज कुछ निराश लोगों और उन लोगों का, जिनको कहीं और जगह नहीं मिलती है, उनका अड्डा बन गया है और मैं यदि यह कहूं तो अनुचित नहीं होगा कि यह भारत सेवक समाज कांग्रेस की दूसरी रक्षापंक्ति है। अब वह भारत सेवक समाज ठेकेदारी करेगा और आप उसको पांच लाख का ठेका दे रहे हैं और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो और ठेकेदारों से अरनेस्ट मनी जमा कराने का नियम है वह भी भारत सेवक समाज पर लागू नहीं होगा। यही नहीं, भारत सेवक समाज को बिना भवन बनाए हुए भी आप कुछ पैसा दे देंगे और बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। तो यह जो पक्षपात की खिचड़ी पक रही है इसमें से मैं ने एक चावल सदन के सामने रखा है।

एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि तीन वर्षों में हमारे इंजीनियरों ने, ओवरसियरों ने और सबडिवीजनल आफिसरों ने ३६ लाख रुपया ठेकेदारों को ओवरपेमेंट कर दिया। इस ३६ लाख में से अभी तक आप ने कितना रुपया वसूल किया है इसका कहीं कोई ब्यौरा नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जब अपना जवाब दें तो यह स्पष्ट करें कि यह ३६ लाख रुपया किस प्रकार से ठेकेदारों को ओवरपेमेंट हो गया। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि अब वह रुपया ठेकेदारों से आगामी ठेकों में मुजरा किया जायेगा। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ठेकेदार बड़ा भ्रष्ट होता है और जहां कहीं ठेकेदारी करता है वहां अपना पेट खूब भरता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार के लिए केवल मात्र ठेकेदार ही दोषी नहीं है। अगर आपके ओवरसियर, सबडिवीजनल आफिसर और दूसरे इंजीनियर उसके काम को पास न करें तो उसको पेमेंट नहीं हो सकता इसलिए मैं चाहूंगा कि इन ३६ लाख रुपयों के लिए केवल ठेकेदारों को ही जिम्मेदार न ठहराया जाए। ठेकेदारों के साथ साथ उन ओवरसियरों, सबडिवीजनल आफिसरों और इंजीनियरों से भी यह रुपया वसूल किया जाए जिन्होंने कि उन कामों को पास किया।

अभी हमारे मित्र ने कहा कि इन अफसरों के बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे हैं उनको देखा जाए, ठीक है ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार

[श्री जगदीश अवस्थी]

इतना व्यापक हो गया है जैसा कि परमात्मा व्यापक है और उसको आप देख नहीं सकते। इसी तरह से भ्रष्टाचार देश में व्यापक है लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आप में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है या नहीं ?

श्री जगदीश अवस्थी : जहां जहां व्याप्त है आप जानते हैं। मेरा कथन सरकार की तरफ है और मैं समझता हूं कि इसके लिए सारा समाज भी जिम्मेदार है और उसमें हम और आप सभी शामिल हैं, कोई कम दोषी है कोई ज्यादा।

तो मैं यह कह रहा था कि देश में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक हो गया है। उसकी आप जांच करें। लेकिन मेरा कहना है कि यह जो ३६ लाख रुपये का ओवरपेमेंट हो गया है यह जहां ठेकेदारों से वसूल किया जाये वहां साथ साथ उन इंजीनियरों, ओवरसियरों और सबडिवीजनल आफिसरों से भी वसूल किया जाये जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने रिपोर्ट में कहा है कि इन अफसरों को दंड दिया जा रहा है।

इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि जहां यह विभाग एक ओर निर्माण करता है वहां दूसरी ओर भ्रष्टाचार करता है। इसमें अनेक भ्रष्टाचारी अफसरों की संख्या दी हुई है। इससे मालूम पड़ता है कि इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है जिसमें से कुछ आप पकड़ पाये हैं।

दूसरी बात मैं अशोका होटल के बारे में कहना चाहूंगा। उसके बारे में तारिक साहब ने काफी कह दिया है। लेकिन उसके सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट को पढ़ने से स्पष्ट हो जाती हैं। यह होटल लगभग पौने तीन करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और इसमें एक करोड़ रुपए की लागत पूंजी लगी और जो रिपोर्ट डाइरेक्टर्स ने पेश की है उसके अनुसार अक्तूबर सन् १९५६ से सन् १९५९ तक उस एक करोड़ की लागत पूंजी में से ५६ लाख का घाटा हुआ। यानी आप समझिए कि ५० प्रतिशत से अधिक घाटे में चला गया। मैं समझता हूं कि यह बड़ा गम्भीर विषय है। यह अशोका होटल जो कि एक सफेद हाथी के रूप में कर दाताओं पर लाद दिया गया है; इसकी लागत पूंजी में इतना घाटा होना एक बड़ा गम्भीर विषय है। अभी हमारे गृहमंत्री महोदय ने कहा था कि हमारे अधिकारी बड़े योग्य हैं और उनकी योग्यता की कोई कसौटी नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अशोका होटल में जो १२ डाइरेक्टर हैं, जो बारह कि इसको बारहबाद कर रहे हैं, उनमें से ६ आपके आफिसर्स हैं और मंत्रालय के मुख्य सचिव हैं, जिनकी योग्यता पर सरकार गर्व करती है। इन्होंने एक करोड़ की लागत पूंजी में से ५६ लाख रुपया घाटे का दिया। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि यह क्या योग्यता है ?

इसी के साथ साथ आप देखें कि अशोका होटल में कितना अपव्यय होता है। जो रिपोर्ट सदन में रखी गयी है उसमें लिखा हुआ है कि डेढ़ साल के अन्दर ६ लाख रुपया विज्ञापनों और प्रकाशन के लिए विज्ञापनदाताओं को दिया गया। इतना रुपया विज्ञापन के लिए दिया जाना यह भी एक गम्भीर विषय है। यह अपव्यय हो रहा है। कहा जाता है कि यह विज्ञापन इस होटल को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जिसमें विज्ञापन में दिए जाने वाले रुपए की भी बचत हो जाएगी और अशोक का नाम जो स होटल के साथ बदनाम हो रहा है वह भी नहीं

होगा। सम्राट अशोक का विश्व में और हमारे इतिहास में एक विशेष व्यक्तित्व रहा है जिसके बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता। उन्होंने देश को बहुत ऊंचा उठाया। मेरा सुझाव है कि इस होटल के साथ उनके नाम को जोड़ कर उनको बदनाम न किया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अशोक का नाम बहुत पुराना हो गया है। अगर हमारे प्रधान मंत्री जी का नाम इस होटल के साथ जोड़ दिया जाए और इसको नेहरू होटल कहा जाए तो मैं समझता हूं कि इसका विज्ञापन भी हो जाएगा क्योंकि उनको देश विदेश में बहुत लोग जानते हैं, जितना कि शायद अशोक को न जानते होंगे। इस प्रकार आपको विज्ञापन पर भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विदेशों में लोग उनको बहुत जानते हैं। दूसरे यह हमारे प्रधान मंत्री की शान शौकत के अनुरूप भी है। इसका नाम बजाय अशोक होटल के नेहरू होटल कर दिया जाय। इससे एक लाभ यह होगा....

†श्री रघुनाथ सिंह : नियमानुसार इसका नाम नेहरू होटल नहीं रखा जा सकता।

श्री जगदीश अवस्थी : दूसरी बात यह है, मैं निवेदन कर रहा था कि इसके और भी लाभ होंगे। पहला लाभ तो इसके नेहरू होटल बन जाने से यह होगा...

†श्री रघुनाथ सिंह : विधि के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता।

श्री जगदीश अवस्थी : आपको याद है कि हमारे हिन्दुस्तान में बादशाह अकबर का नाम इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि उसने दीन इलाही मजहब चलाया था। शाहजहां का नाम इसलिए लिया जाता है कि उसने ताजमहल बनवाया। वैसे ही मैं तो कहूंगा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जब भारत का इतिहास पढ़ेंगी तो उन्हें यह मालूम होगा कि जब हिन्दुस्तान में गरीबी और भुखमरी जोरों पर थी और हिन्दुस्तान भूखों मर रहा था तब हमारी कांग्रेस सरकार ने ३ करोड़ रुपये की लागत से नेहरू होटल बनाया। लोग इस बात के लिए आपको सदैव याद रक्खेंगे।

इसके अलावा इस अशोक होटल में जो अपव्यय हो रहा है उसको भी कम करने और बंद करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए। इसमें आपने डाइरैक्टरों की संख्या काफी बढ़ा रक्खी है और जो कि गैर-जरूरी है और उस संख्या को कम किया जाय। आज इस होटल के संचालन में जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकने की बड़ी आवश्यकता है। एस्टिमेट्स कमेटी ने भी अनुरोध किया है कि इस होने वाले अपव्यय को रोका जाय और उसके लिए कारगर तरीके अपनाये जायें। मैं समझता हूं कि मंत्रालय को विचार करना होगा कि इस अशोक होटल में जो हमने इतना टीमटाम बना रक्खा है और उसके संचालन में इतना अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको जैसे भी हो रोका जाय।

अशोक होटल को चलाने के लिए जो आपने उसमें रेट्स बढ़ा दी हैं, दरें बढ़ायी हुई हैं तो मेरा कहना है कि दरों के बढाने से आपका काम नहीं चलेगा....

सभापति महोदय : आपका समय हो गया है अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं समझता हूं कि अभी मुझे बोलते हुए केवल १० ही मिनट हुए हैं.....

सभापति महोदय : जी नहीं आपको बोलते हुए १५ मिनट हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी : बहुत अच्छा मैं आपकी इजाजत से दो मिनट में अपनी बात समाप्त किये देता हूं।

मैं कह रहा था कि अशोक होटल में जो आपन दरें बढ़ा रक्खी हैं उसकी जगह पर आप उसके संचालन में जो खर्चा कर रहे हैं और उसके चलाने में बड़े बड़े अधिकारियों पर जो अपव्यय कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश करें।

आपने श्री अशोक सेन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। जिसको कि हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जो गंदे होते हैं उनको हटाने और गंदी बस्तियों की सफाई के बारे में विचार करना था। जो यह कमेटी आपने बनाई थी उसकी इसके बारे में रिपोर्ट भी आ गयी है। अब हमें नहीं मालूम कि उस रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ? हमें यह नहीं बतलाया गया कि उसने जो सुझाव सरकार को अपनी रिपोर्ट में दिये थे उनको सरकार ने कहां तक स्वीकार किया। हमें यह बतलाया जाय कि श्री अशोक सेन कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उनको सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है और अगर स्वीकार किया है तो उनको कार्यान्वित करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? कानपुर नगर जिसके कि बारे में कोई शक नहीं है कि वह एक बहुत गंदा शहर है और वहां की गंदी बस्तियों की सफाई के लिए करीब २ करोड़ रुपया देने का वायदा किया गया था लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहां ४७ लाख रुपया ही अभी तक भेजा है। वहां पर ठीक से काम नहीं हो रहा है और हातों की सफाई उचित रीति से नहीं की जा रही है। जब हाते उजाड़े जाते हैं और जब वहां पर नये मकान बनाये जाते हैं तो उन गंदे हातों से जो आदमी निकाले जाते हैं उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। सरकार को चाहिए कि जिस किसी को भी वह उजाड़े उसको इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वहां पर सफाई होने के बाद जो नये मकान बनेंगे उनमें उन पुराने आबाद निवासियों को जगह दी जायगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानपुर नगर में करीब २० हजार सुरक्षा कर्मचारी मौजूद हैं, उसमें ५००० व्यक्तियों को जो क्वार्टर्स बनाये गये हैं, उनको उनमें रक्खा गया है लेकिन राज्य सरकारों को जो आपने क्वार्टर्स के वास्ते धनराशि दी थी तो आपने यह कहा था कि उनमें केवल इंडस्ट्रियल एम्पलायी ही रहेंगे लेकिन कान ुर की हालत यह है कि ५००० सुरक्षा कर्मचारी उन क्वार्टर्स में बसे हुए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें बसाया हुआ है। मेरा केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि वह राज्य सरकार को उन्हें निकालने के लिए मजबूर करे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अनुदान के रूप में जो धन दिया था उसको ऋण का रूप दे दिया गया है और रेट १० रुपये की जगह १७ रुपये कर दिया गया है जोकि बड़ा अन्याय है। मैं चाहूंगा कि आप श्री अशोक सेन कमेटी की रिपोर्ट जिसके कि सुझाव आपके सामने हैं उनको आप लागू करें और गंदी बस्तियों की सफाई करके वहां पर अच्छे मकान बनवायें।

†सभापति महोदय : निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की मांगों के बारे में ७२ कटौती प्रस्ताव हैं। इन कटौती प्रस्तावों की सूची सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना पटल पर लगा दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
९७	२६४	श्री मो० ब० ठाकुर	तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को आवास देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर १ रुपया दी जाये ।
९७	२६५	श्री मो० ब० ठाकुर	सरकारी कर्मचारियों के लिये अधिक मकान बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९७	२६६	श्री मो० ब० ठाकुर	चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकता अथवा उनके निकटतम रिश्तेदारों की अस्वस्थता के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को नम्बर से पहले क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९७	१११६	श्री जगदीश अवस्थी	अशोक होटल का व्यय .	१०० रुपये
९७	१११७	श्री जगदीश अवस्थी .	ठेकेदारों को अधिक भुगतान .	१०० रुपये
९७	१११८	श्री जगदीश अवस्थी .	सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की कमी ।	१०० रुपये
९७	१११९	श्री जगदीश अवस्थी	नये बनाये गये मकानों में घटिया सामान का प्रयोग ।	१०० रुपये
९७	११२०	श्री जगदीश अवस्थी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुप्रथायें ।	१०० रुपये
९७	११२१	श्री जगदीश अवस्थी	गांवों में ग्रामीण निवासियों को मकान बनाने के लिये पर्याप्त सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९७	११३०	श्री तंगामणि	कोराटी और कोयम्बटूर में सरकारी प्रेस बनाने में देरी ।	१०० रुपये
९७	११३१	श्री तंगामणि	पांडिचेरी में मेडीकल कालेज तथा छात्रावास भवन बनाने में देरी ।	१०० रुपये
९७	११३२	श्री तंगामणि	एस्टेट डाइरेक्टोरेट का क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास में बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९७	११३३	श्री तंगामणि	मद्रास में सरकारी छात्रावास बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९७	११३४	श्री तंगामणि	दिल्ली में छात्रावास बनाने के लिये मद्रास सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९७	११३५	श्री तंगामणि	जनपथ जैसे होटल मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५०	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्जड संस्थानों में प्रवीण कर्मचारियों के लिये वर्तमान दो वेतनक्रमों के स्थान पर एक ही वेतनक्रम रखने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५१	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिशियन तथा हैड इलेक्ट्रिशियन के पदों को मिला कर इलेक्ट्रिकल फोरमैन बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५२	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मशीनों पर काम करने वाले विभिन्न प्रकार के ड्राइवरों की विभिन्न श्रेणियों को मिला कर आपरेटर बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५३	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में चौधरी तथा सहायक चौधरी के पदों को मिलाकर बागवान चौधरी करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५४	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में फायरमैन जमादार, आदि के पदों को हटाकर लीडिंग हैड फायरमैन बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९९	१०५५	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्जड कर्मचारियों की छंटनी करने की दृष्टि से क्षेत्रीय वरिष्ठता स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५६	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियमित रूप से तथा वर्कचार्जड संस्थानों के वर्क सहायतों की छंटनी की दृष्टि से संयुक्त वरिष्ठता स्थापित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५७	श्री तंगामणि . .	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उन वर्कशापों तथा पावर हाउसों को कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीयन करने में असफलता जो अधिनियम के अनुसार "कारखाने" की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।	१०० रुपये
९९	१०५८	श्री तंगामणि . .	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मीटर रीडरों को क्लर्क के वेतन देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०५९	श्री तंगामणि . .	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पावरहाउसों तथा वर्कशापों में काम करने वाले खलासियों को क्लीनर के पद बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०६०	श्री तंगामणि . .	लोक निर्माण विभाग के सभी प्रवीण कर्मचारियों को एक ही सा वेतन देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०६१	श्री तंगामणि . .	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बैलो की देखभाल करने वालों को चारे के लिये अधिक भत्ता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९९	१०६२	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्व रा वर्कचार्जड कर्मचारियों की संख्या जो १–४–६० को तीन या उसके अधिक वर्षों से काम रहे थे सूची बताने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०६३	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्क चार्टड विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बानने में उनकी असफलता जब कि ये पद १–४–१९५८ स खाली पड़े हैं।	१०० रुपये
९९	१०६४	श्री तंगामणि . .	वर्क चार्जड विभाग के उन कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी बनाने में असफलता जिन्होंने १ सितम्बर १९६० को दो वर्ष से अधिक सेवा कर ली है ।	१०० रुपये
९९	१०६५	श्री तंगामणि	वर्क चार्जड विभाग के उन कर्मचारियों को चिकित्सा परीक्षा के लिये ही स्थायी बनाने की आवश्यकता जिनकी चिकित्सा परीक्षा पहले हो चुकी है ।	१०० रुपये
९९	१०६६	श्री तंगामणि	वर्क चाटड तथा विभिन्न विभागों के विभिन्न कर्मचारियो को जाड़े की वर्दी आदि देने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०६७	श्री तंगामणि	वर्क चार्जड तथा विभिन्न विभागों के नियमित कर्मचारियों को संशोधित वेतनदरों के अनुसार वेतन देने तथा बकाया राशि का भुगतान करने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०६८	श्री तंगामणि	विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी पद देने में असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५ . .
९९	१०८७	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कलकत्ता में वर्कचार्जड कर्मचारियों को आवास देने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०८८	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दैनिक मजदूर की हैसियत से काम करने वालों को गणतंत्र दिवस १९६१ को सवेतन छुट्टी देने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०८९	श्री तंगामणि	दिल्ली नगर निगम की उद्यान विभाग के कनिष्ठ कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने में असफलता	१०० रुपये
९९	१०९०	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता डिवीजन नं० ४ में बेलदारों की छंटनी ।	१०० रुपये
९९	१०९१	श्री तंगामणि	वर्कचार्जड कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में तदर्थ समिति के निर्णय के अनुसार परिवर्तन करने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०९२	श्री तंगामणि	उत्तरपूर्व सीमांत क्षेत्रों में वर्कचार्जड विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१०९३	श्री तंगामणि	नेफा के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भूतलक्षी अवधि से प्रतिकरात्मक भत्ता देने की आवश्यकता	१०० रुपये
९९	१०९४	श्री तंगामणि	माधोपुर खंड, उसके विभाग और उपविभागों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों को भूतलक्षी अवधि से प्रतिकरात्मक भत्ता देने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९९	१०९५	श्री तंगामणि	लोक निर्माण विभाग के मशीनों में काम करने वाले खलासियों का नाम बदल कर उन्हें क्लीनर बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९९	१०९६	श्री तंगामणि	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एयर कन्डीशनिंग मैकेनिक और रिफ्रजरेशन मैकेनिक के पदों का एकीकरण कर उस पद को रिफ्रजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक पद बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
९९	१०९७	श्री तंगामणि	लोक निर्माण विभाग के बिजली घरों के डीजिल इंजिन ड्राइवरों को बिजली घरों में बिजली निर्माण ड्राइवरों के नाम से नामोदिष्ट करना	१०० रुपये
१०१	११३६	श्री तंगामणि	विस्फोटक पदार्थों के विभाग के अधीन बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, आगरा और ग्वालियर में किया गया निरीक्षण	१०० रुपये
१०१	११३७	श्री तंगामणि	विस्फोटक पदार्थों के निरीक्षणालय द्वारा पूर्वी खंड के आसनसोल और गोमिया और मद्रास खंड के शिवकाशी में किया गया निरीक्षण	१०० रुपये
१०१	११३८	श्री तंगामणि	विस्फोटक विभाग के कार्य में सामान्य सुधार के लिये विस्फोटक और पैट्रोल उद्योग के कर्मचारियों को विदेशी प्रशिक्षण और अनुसंधान का अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११३९	श्री तंगामणि	विस्फोटक विभाग द्वारा अपने खंडों में विरक्षण के कार्य की वृद्धि	१०० रुपये
१०१	११४०	श्री तंगामणि	९ मार्च, १९६१ को राजस्थान के वाली किले में हुआ विस्फोट	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१०१	११४१	श्री तंगामणि	उदयपुर में हुए राज्य गृह निर्माण मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११४२	श्री तंगामणि	बागान श्रम गृह निर्माण योजना को अमल करने में नियोजकों के सहयोग का अभाव	१०० रुपये
१०१	११४३	श्री तंगामणि	गंदी बस्तियों की सफाई में असंतोषजनक प्रगति	१०० रुपये
१०१	११४४	श्री तंगामणि	गंदी बस्तियों की सफाई के लिये ६ बड़े शहरों का विशेष अनुदान देने सम्बन्धी परामर्श-दातृ समिति जिसके अध्यक्ष श्री अ० कु० सेन थे उसकी सिफारिशों को अमल में लाने में असफलता	१०० रुपये
१०१	११४५	श्री तंगामणि	श्रीनिवासपुरी नई दिल्ली में आवासों का आवंटन करने में विलम्ब	१०० रुपये
१०१	११४६	श्री तंगामणि	एच टाइप के सरकारी क्वार्टरों को बिजली देने में विलम्ब	१०० रुपये
१०१	११४७	श्री तंगामणि	होटल जनपथ में गैरसरकारी भोजन व्यवस्था को हटाकर विभागीय भोजन व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११४८	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कर्मचारियों की काम की शर्तें	१०० रुपये
१०१	११४९	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच के सम्बन्ध	१०० रुपये
१०१	११५०	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कार्य संचालन की जांच करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५१	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कर्मचारियों के लिये एक श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१०१	११५२	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कर्मचारियों के लिये एक पृथक विश्राम गृह और केन्टीन की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५३	श्री तंगामणि	वाली किले में हुए विस्फोट की मजिस्ट्रेट स्तर पर जांच का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५४	श्री तंगामणि	ग्वालियर खंड के विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक की वाली किले में विस्फोट रोकने में असफलता	१०० रुपये
१०१	११५५	श्री तंगामणि	राजस्थान के केन्द्रों का निरीक्षण तथा अग्रेतर दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बारूद को नष्ट करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५६	श्री तंगामणि	विस्फोटक पदार्थ विभाग में बम्बई और मद्रास खंडों में निरीक्षकों की संख्या मे वृद्धि करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५७	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५८	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के क्लर्कों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आकस्मिक ट्रियां मंजूर करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१०१	११५९	श्री तंगामणि	होटल जनपथ के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश प्रदान करने की आवश्यकता	१०० पये
१०१	११६०	श्री तंगामणि	होटल जनपथ में टेलीफोन आपरेटरों की निरंतर चलने वाली रात्रि की पारी के कार्य को बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२		४	५
१०१	११६१	श्री तंगामणि	इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट लंडन और इंडिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन द्वारा क्रय के लिये न्यूनतम टेन्डरों को स्वीकार न करना	१०० रुपये
१०१	११६२	श्री तंगामणि	अशोक होटल के कर्मचारियों को उपयुक्त और अच्छे आवास देने की आवश्यकता	१०० रुपये

श्री म० वो० ठाकुर (पाटन) : पिछले तेरह वर्षों में देश में विशेषत: गांवों में आवास समस्या और भी बिगड़ गयी है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री स० रा० पटेल ने कहा है कि गांवों में मानव और पशु एक साथ रहते हैं यह बात सही है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तीसरी योजना में गांवों की आवास समस्या को हल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिये।

श्री पटेल ने यह कहा है कि गांवों में ५ करोड़ मकानों के तत्काल सुधार करने या उनके मरम्मत करने की आवश्यकता है यह कार्य बहुत बड़ा है और तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इस कार्य के लिये तीसरी योजना में पर्याप्त राशि नहीं रखी जाये।

वस्तुत: गांवों में वे सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं जोकि सामान्य नगरों में उपलब्ध होती हैं। इतने पर भी हम अपने बजट का ९० प्रतिशत शहरों में व्यय कर रहे हैं जब गांव वालों को यह पता चलेगा तो उनके मन में शहरवासियों के प्रति तीव्र असंतोष पैदा हो सकता है। अत: मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से और अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

अब मैं सिंध से आये हुए हरिजन शरणार्थियों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं ये शरणार्थी सब्जी मंडी में बस गये हैं। तथापि उस स्थान की दशा इतनी बुरी है कि वहां मनुष्य रह ही नहीं सकता है। यहां तक कि वहां तक पहुंचने के लिये कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय, पुनर्वास मंत्रालय को भी लिखा तथापि अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि सरकार उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करेगी।

अब मैं अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि हम उनको पत्र तभी लिखते हैं जब हम किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि न्यायोचित रूप से उन्हें बारी से पहले क्वार्टर मिलना चाहिये तभी हम उनकी सिफारिश करते हैं।

यह कहा गया है कि अशोक होटल में गौमांस भी दिया जाता है। यह अनुचित है। जब देश का जनमत इसके विरुद्ध है तो हमें चाहिये कि हम देश की जनता की भावना का आदर करें और वहां गौमांस रुपया कमाने के उद्देश्य से न दिया जाये। अपितु हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि वहां ठहरने वाले यात्री भी भारतीय भोजन करें।

[श्री म० वी० ठाकुर]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं मुझे इस विभाग के कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है ।

सभापति महोदय : सभा अब कल के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार ३० मार्च, १९६१ / ९ चैत्र १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, २९ मार्च, १९६१
८ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	३७३७—६१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११७४	आयात किया गया अखबारी कागज . . .	३७३७—३९
११७८	स्कूटर और मोटर साइकिल . .	३७३९—४१
११७९	बिखरोली में इस्पात के टेंकों का निर्माण	३७४१—४२
११८०	न्यूयार्क में विश्व मेला . . .	३७४२—४३
११८१	दुर्गापुर इस्पात परियोजना क्षेत्र के आसपास छोटे पैमाने के उद्योग	३७४३—४५
११८४	चीनियों की गिरफ्तारी . . .	३७४५—४७
११८५	कानपुर के पटसन कारखानों द्वारा पटसन मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति	३७४७—४८
११८६	अध्यापक प्रशासकों का प्रशिक्षण	३७४८—४९
११८७	आम की लकड़ी से कागज	३७४९—५०
११८९	चाय बागान . . .	३७५१
११९०	'विक्टरी आफ दि फाइव प्रिंसिपल्स' नामक पुस्तिका .	३७५१—५३
११९१	हरिजन और गैर-हरिजन शरणार्थियों को भूमि का दिया जाना .	३७५३—५६
११९२	नई दिल्ली में आकाशवाणी की इमारत की पैड का गिरना	३७५६—५८
११९४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण .	३७५८—५९
११७७	पिछड़े हुये क्षेत्र . .	३७५९—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	३७६२—८८
तारांकित प्रश्न संख्या		
११७५	शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स . . .	३७६२
११७६	बम्बई में उर्वरक संयंत्र . . .	३७६२
११८२	कलकत्ता में रहने वाले चीनी . . .	३७६२—६३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
११८३	निम्न और मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनायें	३७६३
११८८	मैग्नेसाइट की तापसह ईंटें	३७६३–६४
११९३	जियोफोन	३७६४
११९५	चाय उद्योग के लिये रासायनिक खाद	३७६४
११९६	रूसी एटलसें	३७६४
११९७	तीसरी पंचवर्षीय योजना में दस्तकारियों के लिये आवंटन	३७६५
११९८	चाय उद्योग के लिये सीमेंट	३७६५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४६८	भारत पाक सीमांत घटनायें	३७६५–६६
२४६९	स्ट्रेपटोमाइसीन	३७६६
२४७०	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लिमिटेड	३७६६
२४७१	नंगल में कागज बनाने का कारखाना	३७६७
२४७२	उड़ीसा में ठेकेदारों की 'ब्लैक लिस्ट'	३७६७
२४७३	दिल्ली में बेरोजगार व्यक्ति	३७६७–६८
२४७४	आकाशवाणी द्वारा पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा	३७६८
२४७५	बस्तियों में सरकारी दुकानों का दिया जाना	३७६८–६९
२४७६	पंजाब में घड़ी बनाने का कारखाना	३७६९
२४७७	सौल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लांट	३७६९
२४७८	चम्पारन जिले में विस्थापित व्यक्तियों के लिये टेक्निकल स्कूल	३७७०
२४७९	नागा विद्रोही	३७७०
२४८०	पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यभारित कर्मचारी	३७७०
२४८१	लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारियों के लिये वर्दी	३७७१
२४८२	रुआंडा उरुण्डी	३७७१
२४८३	लुधियाना में सहकारी औद्योगिक बस्तियां	३७७१–७२
२४८४	शिलांग में रीड चेस्ट अस्पताल	३७७२
२४८५	उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास	३७७२–७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४८६	निर्यात और आयात लाइसेंस . . .	३७७३
२४८७	सरकारी प्रेसों में वेतनक्रम	३७७३
२४८८	नेफा में तिब्बत से आये शरणार्थी . . .	३७७४
२४८९	विभागीय अभिकरणों तथा ठेकेदारों द्वारा किये गये काम का मूल्य	३७७४–७५
२४९०	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां .	३७७५–७६
२४९१	सहकारी समितियों को ऋण	३७७६
२४९२	केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था, लखनऊ .	३७७६
२४९३	ट्रैक्टर का निर्माण . .	३७७६–७७
२४९४	आसाम में जूट मिल	३७७७–७८
२४९५	मद्रास में योजना व्यय . .	३७७८
२४९६	शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार	३७७८–७९
२४९७	केरल और मद्रास में चाय उत्पादन	३७७९–८०
२४९८	कारों का उत्पादन .	३७८०
२४९९	गोदी खनिज सहकारी समिति . .	३७८०–८१
२५००	बीकानेर की सीमेंट का संभरण	३७८१
२५०१	दक्षिण भारत से चाय का निर्यात	३७८१
२५०२	ब्रिटेन को भारतीय चाय का निर्यात .	३७८२
२५०३	लद्दाख में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना	३७८२
२५०४	प्रागा टूल्स कार्पोरेशन लिमिटेड . . .	३७८२–८३
२५०५	कुआला लमपुर और सिंगापुर में भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शिनी	३७८३
२५०६	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी . .	३७८३
२५०७	नई दिल्ली नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	३७८३–८४
२५०८	दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी .	३७८४
२५०९	श्रीनिवासपुरी में क्वार्टर	३७८४
२५१०	बागान श्रमिकों का आवास	३७८५
२५११	चाय बागानों के लिये राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	३७८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५१३	रेयन टायर कोर्ड कारखाना	३७८५–८६
२५१४	श्रमिक शिक्षा केन्द्र	३७८६
२५१५	रेलवे को कोयले का आवंटन	३७८६
२५१६	दण्डकारण्य क्षेत्र का विकास	३७८७
२५१७	मंडी की सेंधा नमक की खानें	३७८७
२५१८	पंजाब में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े के कारखाने	३७८७
२५१९	त्रिपुरा में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र	३७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३७८८

श्री नौशीर भरूचा ने जलगांव के एक तेल के कारखाने में १७ मार्च, १९६१ को आग लग जाने से तेईस व्यक्तियों की मृत्यु होने और अन्य लोगों के जख्मी होने के समाचार की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने बाद में तथ्यों का पता लगा कर एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखने का वचन दिया ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७८९–९०

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति :—

(एक) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड की वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) ३१ मार्च, १९६० (और वर्ष १९५९–६० की पहली तीन तिमाहियों के बारे में पूरक जानकारी) ३० जून, १९६० और ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली तिमाहियों में किये गये बचत के उपायों के परिणाम बताने वाला विवरण ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उसपर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल का प्रतिवेदन (१९६०)

(चार) उपरोक्त प्रतिवेदन पर दिनांक २४ मार्च, १९६१ का सरकारी संकल्प संख्या २२(१)-टेक्स (बी)/६० ।

(४) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, १९४९ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६०–६१ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष १९६१-६२ के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ३७९०

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना दी :—

कि राज्य सभा ने २७ माच, १९६१ की अपनी बैठक में तार विधि (संशोधन) बिल, १९६० को, जो लोक-सभा द्वारा २३ दिसम्बर, १९६० को पास किया गया था, संशोधनों सहित पास कर दिया है और बिल को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक-सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित कर दिया जाये ।

राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में विधेयक सभा-पटल पर रखा गया ३७९०

सचिव ने तार विधियां (संशोधन) विधेयक को, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटा दिया गया था, सभा-पटल पर रखा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३७९१

इकास्सीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ३७९१

एक-सौ-चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	३७९१
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री आबिद अली खां) ने जादूगुड़ा (बिहार) की यूरेनियम की खान के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १०९२ पर श्री चिंतामणि पाणिग्रही द्वारा २४ मार्च, १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
अनुदानों की मांगें	३७९१—३८५४
(१) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।	
(२) निर्माण आवास तथा संभरण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
३० मार्च, १९६१ / ९ चैत्र, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि	
निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा । सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।	

GMGIPND—LSIII—185 (Ai) LS—18-5-61—125.